

विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

क्र. 4113—अमृत—वि.यो.—31—छिंदवाड़ा—नगरानि—2022

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2022

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छिंदवाड़ा निवेश क्षेत्र के लिए छिंदवाड़ा विकास योजना, 2035 का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट—<http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Chhindwara/Amrut/ChhindwaraDraft2035.pdf> पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं—

1. आयुक्त, छिंदवाड़ा संभाग, छिंदवाड़ा, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, म.प्र.
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, छिंदवाड़ा म.प्र.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिंदवाड़ा, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप छिंदवाड़ा विकास योजना के संबंध में हो, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिंदवाड़ा या ई-मेल आईडी obj-sugg-chhindwara@mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ. सह—आयुक्त—सह—संचालक.

NOTICE

Notice is hereby given that the Chhindwara Development Plan, 2035 for Chhindwara Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub section (2) of section 23 read with sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website—
<http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Chhindwara/Amrut/ChhindwaraDraft2035.pdf> and at following offices during office hours namely -


1. Commissioner, Chhindwara Division, Chhindwara, M.P.
2. Collector, District- Chhindwara, M.P.
3. Commissioner, Nagar Palik Nigam, Chhindwara
4. Deputy Director, Town and Country Planning, District office, Chhindwara

If there be any objection or suggestion with respect to the said - Chhindwara Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Chhindwara or mail on Email-id- obj-sugg-chhindwara@mp.gov.in before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

MUKESH CHAND GUPTA, OSD Cum-Commissioner-Cum-Director.



छिन्दवाड़ा विकास योजना 2035 (प्रारूप)



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश

छिन्दवाडा

विकास योजना 2035 (प्रारूप)

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
के प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित



संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

प्रस्तावना

जबलपुर राजस्व संभाग का प्रमुख जिला मुख्यालय नगर छिन्दवाड़ा सतपुड़ा पर्वत शृंखला के मध्य स्थित है तथा चारों ओर वन एवं खनिज संपदा से ओतप्रोत है। नगर के समीप रमणीय एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण तामिया तथा गर्म पानी के जल स्रोत अमोनी-समोनी एवं पातालकोट की तरह राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थल विद्यमान है। नगर से 35 किलोमीटर की दूरी पर देवगढ़ का प्राचीन किला स्थित है, साथ ही पेंच की प्रसिद्ध कोयला खदानों का प्रवेश द्वार भी है। यह नगर राष्ट्रीय राजमार्गक्रमांक 547 एवं 347 वराज्य राजमार्ग क्रमांक 19 पर स्थित है। छिन्दवाड़ा नगर रेलमार्ग से दिल्ली, भोपाल, नागपुर, व जबलपुर से सीधे जुड़ा हुआ है, साथ ही यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यवसायिक नगर है।

छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(1) के अंतर्गत म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-28 / 2001 / 32 दिनांक 26.07.2002 द्वारा अनुमोदित होकर म.प्र. राजपत्र भाग-1 क्रमांक 1836, दिनांक 9 अगस्त 2002 से प्रभावशील है। वर्तमान में नगर की विकास योजना का पुनर्विलोकन कर छिन्दवाड़ा विकास योजना 2035 प्रारूप का प्रकाशन किया जा रहा है।

नगर का बहुआयामी केन्द्र के रूप में विकास करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये छिन्दवाड़ा विकास योजना 2035 (प्रारूप) 5.00 लाख की अनुमानित जनसंख्या हेतु तैयार की गयी है। विकास योजना में आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद-प्रमोद, परिवहन एवं नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के प्रस्ताव दिये गये हैं। इस विकास योजना में पारंपरिक भूमि उपयोग निर्धारित करते हुये नगरके आलावा आवश्यकता के अनुरूप मिश्रित उपयोग भी प्रस्तावित किया गया है।

इस योजना को तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया गया है। सर्व साधारण एवं संस्थाओं से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रारूप योजना प्रकाशित की जा रही है। मुझे आशा है कि नागरिक गण अपने व्यवहारिक एवं सृजनशील एवं रचनात्मक सुझावों को प्रस्तुत करेंगे, ताकि उनके सक्रिय योगदान से इस योजना को अंतिम रूप देकर और प्रभावशील किया जा सके।

मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ. सह-आयुक्त-सह-संचालक.

योजना दल

संयुक्त संचालक

सी. के. साधव

आर. के. सिंह

डॉ. अमित कुमार गजभिये

उप संचालक (प्रभारी)

विनोद कुमार परस्ते

सहायक संचालक

इन्दु त्रिपाठी

डॉ. विनीता वर्मा पैकरा

कर्मचारीगण

आनन्द मालवीय

शैलेन्द्र कुशवाहा

अमित मरावी

संध्या अहाके

अरविंद सक्सेना

अनिल सक्सेना

सर्वेश पिडिहा

सरिता ठाकुर

मानसी गुज्जेवार

म.प्र. विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी परिषद (LU&USD) का दल

डॉ. विवेक कटारे

प्रमुख

डॉ. देवानु भट्टनागर

प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर, अमृत

किशोर सोनवणे

रिसर्च एसोसिएट

सत्येन्द्र यादव

रिसर्च एसोसिएट

विषय सूची

प्रस्तावना	i
योजना दल	iii
विषय सूची	v
सारणी सूची	xiii
मानचित्र सूची	xvii
अध्याय—1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ	1
1.1 नगर परिचय	1
1.1.1 स्थिति	1
1.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1
1.1.3 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ	2
1.1.4 नगर विकास का क्रम	3
1.2 भौतिक स्वरूप	3
1.2.1 भू—आकृति	3
1.2.2 जलवायु	4
1.2.3 खनिज संपदा	4
1.3 नियोजन हेतु प्रयास	4
1.4 नियोजन के उद्देश्य एवं लक्ष्य	5
1.5 निवेश क्षेत्र	5
1.5.1 नगर पालिक निगम क्षेत्र	9
1.6 नगर के प्रमुख कार्यकलाप	11
अध्याय—2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण	13
2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग	13
2.1.1 अमृत योजना	14
2.1.2 सुदूर संवेदन	14
2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली	16

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली	16
2.2.1 उद्देश्य.....	18
2.2.2 कार्यप्रणाली.....	19
2.2.3 जनसंख्या आकलन पद्धति.....	20
2.3 अमृत मानकों की व्याख्या	20
2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping)	20
2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता	28
2.4.1 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता विकल्प.....	29
2.5 भूमि उपयोग का आवंटन	34
अध्याय—3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण	35
3.1 विकास योजना 2011 क्रियान्वयन परिवृश्य	35
3.2 विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन	35
3.2.1 आवासीय	36
3.2.2 वाणिज्यिक	36
3.2.3 मिश्रित	36
3.2.4 औद्योगिक	37
3.2.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	37
3.2.6 सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं	37
3.2.7 आमोद—प्रमोद	37
3.2.8 यातायात एवं परिवहन	37
3.2.9 जलाशय	40
3.3 विकास योजना में उपांतरण	41
3.4 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग	42
3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण	44
3.5.1 निवेश क्षेत्र की जनसंख्या	44
3.5.2 जनसंख्या लिंगानुपात	50
3.5.3 शिशु जनसंख्या	53
3.5.4 साक्षरता	57
3.5.5 अनुसूचित जाति	64
3.5.6 अनुसूचित जनजाति	67
3.5.7 कार्यशील जनसंख्या	69

3.6 नगरीय विस्तार	71
3.7 गंदी बस्तियाँ	71
3.8 अनुमानित जनसंख्या	71
3.9 आवास आवश्यकता	73
3.10 भौतिक अधोसंरचना	73
3.10.1 जल प्रदाय	73
3.10.2 नालियां तथा मल उपचार	74
3.10.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	76
3.10.4 विद्युत प्रदाय	76
3.11 सामाजिक अधोसंरचना	76
3.11.1 अग्निशमन	76
3.11.2 पुलिस कार्यालय	76
3.11.3 वाचनालय	77
3.11.4 शमशान घाट / कब्रिस्तान	77
3.11.5 धोबी घाट	77
3.11.6 दूरसंचार	77
3.11.7 सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं	77
3.11.8 सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा	77
अध्याय—4 प्रस्तावित भूमि उपयोग	79
4.1 विकास योजना 2011 का पुनर्विलोकन	79
4.2 योजना अवधारणा	79
4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता	80
4.4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव	80
4.4.1 आवासीय	81
4.4.2 वाणिज्यिक	81
4.4.3 मिश्रित	82
4.4.4 औद्योगिक	82
4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्ध—सार्वजनिक	82
4.4.6 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें	83
4.4.7 आमोद प्रमोद	83
4.4.8 यातायात एवं परिवहन	83
4.5 निवेश इकाईयाँ	83
4.5.1 क्षेत्रफल वितरण	83

4.6 मध्यवर्ती क्षेत्र	84
4.7 अनौपचारिक वर्ग	84
4.8 गंदी बस्ती क्षेत्र	85
4.9 पुनर्विकास नीति	86
4.10 ग्राम आबादी विस्तार	86
4.11 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान	86
4.12 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना	87
4.13 कार्यकेन्द्र	89
4.14 व्यापार एवं वाणिज्यिक	89
4.15 नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र	89
4.16 कार्यालय	89
अध्याय—5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना	91
5.1 यातायात संरचना	91
5.2 यातायात की वर्तमान स्थिति	92
5.3 प्रस्तावित यातायात प्रणाली	92
5.3.1 क्षेत्रीय / बायपास मार्ग	92
5.3.2 मुख्य नगरीय मार्ग	93
5.3.3 खण्ड स्तरीय मार्ग एवं उपखण्ड स्तरीय मार्ग	93
5.3.4 स्थानीय मार्ग	93
5.4 मार्गों की चौड़ाई	93
5.4.1 मार्ग संगम, तिराहा एवं चौराहा सुधार	99
5.4.2 बस स्थानक	100
5.4.3 वाहन विराम केन्द्र	100
अध्याय—6 विकास नियमन	101
6.1 प्रवृत्तशीलता	101
6.2 क्षेत्राधिकार	101
6.3 परिभाषायें	104
6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र	105
6.4.1 आवासीय उपयोग परिक्षेत्र	109
6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र	112
6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र	115

6.4.4	मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र	116
6.4.5	सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक	117
6.4.6	सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड	117
6.5	अन्य नियमन	117
6.5.1	12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन	117
6.5.2	बहुविधि बहुमंजिली इकाई निर्माण	117
6.5.3	फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा	117
6.5.4	अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान	118
6.5.5	ईंधन भराव एवं भराव सह—सेवा केन्द्र के मानक	118
6.5.6	यातायात नगर/मैकेनिक नगर/लॉजिस्टिक हब/निजी बस स्थानक	119
6.5.7	शॉपिंग मॉल/खुला मॉल	119
6.5.8	वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन	119
6.5.9	उद्यान	119
6.5.10	बायपास मार्ग पर स्वीकृत गतिविधियों हेतु मानक	119
6.6	संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन	121
6.7	उपयोग परिसर में स्वीकृत गतिविधियाँ	123
6.8	भू उपयोग में स्वीकृत परिसर के नियमन	130
6.9	अन्य सुविधाएँ	178
6.10	विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया	178
अध्याय—7	योजना क्रियान्वयन	179
7.1	विकास योजना का क्रियान्वयन	179
7.2	योजना क्रियान्वयन की नीति	180
7.3	पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम	181
7.3.1	पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व	181
7.4	नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना	182
7.4.1	नियंत्रित विकास	182
7.4.2	अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन	182
7.4.3	एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना	182
7.5	विकास नियमन व्यापक दृष्टिकोण	183
7.6	योजना एवं कार्यक्रम	183
7.6.1	संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व	184
7.7	प्रथम चरण के घटक	184
7.8	प्रथम चरण कार्यक्रम	186
7.9	संसाधन गतिशीलता	187
7.10	योजना पर्यवेक्षण तंत्र	187
7.11	योजना की व्याख्या	189
7.11.1	योजना कालावधि	190

परिमाणाएँ	1
परिशिष्ट 1	15
परिशिष्ट 2	16
परिशिष्ट 3	17
परिशिष्ट 4	18
परिशिष्ट 5	19
परिशिष्ट 6	20
परिशिष्ट 7	21
परिशिष्ट 8	22
परिशिष्ट 9	23
परिशिष्ट 10	24
परिशिष्ट 11	26
परिशिष्ट 12	27

सारणी सूची

सारणी 1.1 छिन्दवाड़ा नगर से प्रमुख नगरों की दूरी.....	3
सारणी 1.2 खनिज संपदा.....	4
सारणी 1.3 निवेश क्षेत्र.....	6
सारणी 1.4 नगर पालिक निगम, छिन्दवाड़ा के वार्ड एवं जनसंख्या	9
सारणी 2.1 उपग्रह चित्रों के मानक	15
सारणी 2.2 स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब—क्लासेस	16
सारणी 2.3 भू—स्थानक डाटा.....	20
सारणी 2.4 बिल्डिंग फुटप्रिंट.....	21
सारणी 2.5 ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल.....	23
सारणी 2.6 मृदा विश्लेषण.....	23
सारणी 2.7 लिथोलॉजी	24
सारणी 2.8 जलाशयों का वर्गीकरण	24
सारणी 2.9 भू—जल विवरण.....	25
सारणी 2.10 सीमाओं का वर्गीकरण	26
सारणी 2.11 जिओमोरफोलॉजी	26
सारणी 2.12 जल स्रोत बफर क्षेत्रफल	27
सारणी 2.13 भूमि अवक्रमण	27
सारणी 2.14 मार्ग संरचना बफर.....	28
सारणी 2.15 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल –1 के लिए वेटेड इंडेक्स.....	30
सारणी 2.16 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल –2 के लिए वेटेड इंडेक्स.....	31
सारणी 2.17 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल –3 के लिए वेटेड इंडेक्स	32
सारणी 2.18 Land Suitability Area	33
सारणी 3.1 विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन	36
सारणी 3.2 यातायात एवं परिवहन विकास	38

सारणी 3.3 जलाशय.....	40
सारणी 3.4 भूमि उपयोग उपांतरण.....	41
सारणी 3.5 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की पुर्नस्थापना एवं क्रियान्वयन की स्थिति.....	42
सारणी 3.6 निवेश क्षेत्र की जनसंख्या.....	44
सारणी 3.7 दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत).....	45
सारणी 3.8 वार्ड वार जनसंख्या घनत्व विवरण.....	46
सारणी 3.9 वार्ड अनुसार जनसंख्या घनत्व विश्लेषण.....	49
सारणी 3.10 पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या.....	49
सारणी 3.11 जनसंख्या लिंगानुपात	51
सारणी 3.12 वार्ड अनुसार लिंगानुपात.....	52
सारणी 3.13 शिशु जनसंख्या	53
सारणी 3.14 वार्ड अनुसार शिशु जनसंख्या.....	55
सारणी 3.15 शिशु लिंगानुपात.....	55
सारणी 3.16 वार्ड अनुसार शिशु लिंगानुपात	57
सारणी 3.17 साक्षर जनसंख्या.....	57
सारणी 3.18 साक्षरता दर.....	59
सारणी 3.19 पुरुष साक्षरता दर.....	60
सारणी 3.20 महिला साक्षरता दर.....	62
सारणी 3.21 पुरुष—महिला साक्षरता दर में अन्तर.....	63
सारणी 3.22 वार्ड अनुसार साक्षरों की जनसंख्या प्रतिशत.....	64
सारणी 3.23 अनुसूचित जाति महिला—पुरुष की जनसंख्या	64
सारणी 3.24 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	67
सारणी 3.25 वार्ड अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या.....	69
सारणी 3.26 कुल श्रमिकों की तुलना में मुख्य श्रमिकों का अनुपात (प्रतिशत).....	70
सारणी 3.27 नगरीय विस्तार एवं वार्डों की संख्या.....	71
सारणी 3.28 छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035)	72
सारणी 3.29 वर्ष 2020 अनुसार आवास आवश्यकता.....	73

सारणी 3.30 जल आपूर्ति आकलन.....	74
सारणी 4.1 छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035.....	81
सारणी 4.2 निवेश इकाईयों का विवरण	84
सारणी 4.3 असंगत भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग.....	87
सारणी 5.1 वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई	94
सारणी 5.2 प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई	97
सारणी 5.3 मार्ग संगमों का सुधार.....	100
सारणी 6.1 मुख्य उपयोग परिक्षेत्र.....	106
सारणी 6.2 आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड.....	110
सारणी 6.3 आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र.....	111
सारणी 6.4 वाणिज्यिक भू-खण्ड के विकास मापदण्ड.....	112
सारणी 6.5 वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक	113
सारणी 6.6 वर्तमान मिश्रित क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात.....	114
सारणी 6.7 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान	118
सारणी 6.8 उपयोग परिसर में स्वीकृत गतिविधियाँ	123
सारणी 6.9 उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण	130
सारणी 7.1 योजना क्रियान्वयन की लागत.....	180
सारणी 7.2 प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक	185
सारणी 7.3 प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत.....	186

मानचित्र सूची

मा. क्र.	शीर्षक	पृष्ठ क्र.
1.1	Regional Setting	2A
1.2	Location Map of Planning Area	4A
1.3	Planning Area	8A
2.1	Satellite Images	14A
2.2	Digital Elevation Model	16A
2.3	Building Footprint	22A
2.4	Contour	22B
2.5	Slope	22C
2.6	Lithology	24A
2.7	Soil Texture	24B
2.8	Groundwater Prospects	24C
2.9	Earthquakes Zones	24D
2.10	Land Value	26A
2.11	Government Land	26B
2.12	Geomorphology	26C
2.13	Waterbody Buffer	26D
2.14	Land Degradation	26E
2.15	Road Buffer	28A
2.16	Land Suitability (Model-1)	34A
2.17	Land Suitability (Model-2)	34B
2.18	Land Suitability (Model-3)	34C
3.1	Existing Landuse	36A
3.2	Ward Map	48A
3.3	Ward Wise Population Density	48B
3.4	Ward Wise Sex Ratio	52A
3.5	Ward Wise Child Population (0-6)	54A
3.6	Ward Wise Child Sex Ratio	56A
3.7	Ward Wise Literacy	64A
3.8	Ward Wise SC/ST Population	68A
3.9	Ward Wise Work Participation	70A
3.10	Urban Sprawl	70B
3.11	Existing Overhead Tank	74A
3.12	Power Supply Network	76A
3.13	Existing ATM	76B
3.14	Existing Community Toilet	76C
3.15	Sewerage Network	76D
4.1	Proposed Landuse	80A
4.2	Planning Unit	84A
5.1	Existing Transport Network	96A
5.2	Existing Bus Stop	96B
5.3	Proposed Transport Network	98A
7.1	First Phase Implementation	186A

अध्याय—1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ

1.1 नगर परिचय

1.1.1 स्थिति

जबलपुर राजस्व संभाग का प्रमुख जिला मुख्यालय नगर छिन्दवाड़ा जबलपुर के दक्षिणी सतपुड़ा पठार के संकरे उत्तर-दक्षिण खण्ड पर स्थित है। यह 22° 03' उत्तरी अक्षांश एवं 78° 58' देशान्तर पर स्थित है। इसके उत्तर में जबलपुर 210 कि.मी., पूर्व में जिला सिवनी 70 कि.मी., दक्षिण दिशा में नागपुर 125 कि.मी. तथा पश्चिम में बैतूल 135 कि.मी. दूरी पर विद्यमान है। छिन्दवाड़ा समुद्र सतह से 685 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।

1.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

छिन्दवाड़ा के दक्षिण-पश्चिम में 48 कि.मी. दूरी पर दूधिया नामक तथा दक्षिण दिशा में नीलकंठ नामक स्थल है, जहां 950 ईस्वी से राजा राष्ट्रकुल ने 23 वर्ष तक राज्य किया। नागपुर के राजा भोसले द्वारा राजा राष्ट्रकुल को 973 ईस्वी में पदच्युत किया गया तथा 1100 ईस्वी तक राज्य किया।

राजा राष्ट्रकुल बैतूल के राजा नरसिंह से धनाढ़्य एवं शक्तिशाली थे। गोंडवाना का समस्त पहाड़ी क्षेत्र उनके कब्जे में था, गुलबर्गा तथा शोलापुर के बहनी के राजा 1433 ईस्वी को मालवा के राजा के साथ मिल गए।

गोंड वंशज के राजा जाटवा देवगढ़ में राज्य करते थे, राजा रणथाए तथा राजा धनशुर गोंड वंशज के थे, जाटवा द्वारा 1590 ईस्वी तक राज्य किया गया। गोंड राजा भक्त बुलंद का मुसलमान धर्म पर विश्वास था। इसलिए उसने मुसलमान धर्म स्वीकार्य किया।

देवगढ़ की घाटी में राजा भक्त बुलंद रहते थे, जो उनकी राजधानी थी, लेकिन राजा भक्त बुलंद के पुत्र चांद सुल्तान ने अपनी राजधानी नागपुर में स्थापित की। 1639 ईस्वी में भक्त बुलंद की मृत्यु के बाद उनके पुत्र नागपुर की भोसले राज्य में शामिल हो गए। बाद में चांद सुल्तान की विधवा पत्नी द्वारा पुनः तैयारी कर उनके पुत्र बुरहन शाह तथा अकबर शाह को राज्य दिलवाया गया, परंतु दोनों भाईयों की आपसी कलह के कारण 1743 ईस्वी में उनकी सत्ता राजा भोसले को चली गई तथा बुरहन शाह नाममात्र के राजा रह गए।

सन् 1803 ईस्वी में द्वितीय राजा रघुजी भोसले सिंधिया सरकार से जा मिले ताकि ईस्ट इंडिया कम्पनी की पराजय हो सकें। द्वितीय राजा की मृत्यु के उपरांत तृतीय राजा के नाबालिग होने के कारण सन् 1818 से 1830 तक सर रिचर्ड जैनकिस द्वारा राज्य किया गया। सन् 1830 में तृतीय राजा रघुजी पदारूढ़ हुए तथा 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। इस समय उनकी कोई संतान नहीं थी। इस प्रकार सन् 1853 ईस्वी से छिन्दवाड़ा ब्रिटिश सत्ता के अधीन आ गया।

सन् 1867 में यहां नगर पालिका की स्थापना हुई एवं नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 26-एफ-1-15-2014 अठारह-3 दिनांक 28.07.2014 को

छिन्दवाड़ा नगर पालिका परिषद् की सीमा में वृद्धि करते हुये 24 ग्रामों एवं छिन्दवाड़ा शहरी क्षेत्र शामिल कर सीमाएं परिनिश्चित करते हुये “नगर पालिक निगम” घोषित किया गया जिसका प्रकाशन म.प्र. राजपत्र 28 अगस्त 2014 पृष्ठ क्रमांक 774(1) में किया गया।


1.1.3 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ

छिन्दवाड़ा नगर, महाकौशल क्षेत्र में स्थित होकर जबलपुर राजस्व संभाग का जिला मुख्यालय है तथा महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ है। नगर समुद्र तल से 685 मीटर ऊंचाई पर $22^{\circ} 03'$ उत्तरी अक्षांश तथा $78^{\circ} 58'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है।

यह नगर रेल मार्ग से सीधे उज्जैन, इन्दौर, भोपाल, नई दिल्ली, आदि देश एवं प्रदेश के प्रमुख नगरों से जुड़ा है, साथ ही सड़क मार्ग से भोपाल, जबलपुर, नागपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट आदि प्रमुख नगरों से सीधा सम्पर्क होने से क्षेत्रीय संदर्भ में काफी महत्व रखता है।

छिन्दवाड़ा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 4 की उपधारा 1 के अन्तर्गत शासन की अधिसूचना पृष्ठ एफ— 49 / 26 / 249 / 33 / 73 दिनांक 22.10.1973 के द्वारा अधिसूचित प्रदेशों के वन और खदानों वाले सतपुड़ा प्रदेश के अन्तर्गत है। छिन्दवाड़ा छोटी रेल लाइन द्वारा सिवनी, नैनपुर, मंडला, जबलपुर एवं नागपुर से जुड़ा हुआ था, जिसे ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तन का कार्य प्रगतिशील है। छिन्दवाड़ा—नागपुर ब्रॉड गेज का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं सिवनी तथा नैनपुर ब्रॉड गेज का कार्य लगभग 60 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। वन सम्पदा की दृष्टि से अत्यधिक संम्पन्न है, जिसमें वनोपज लकड़ी, बांस, तेन्दुपत्ता मुख्य है। इसके अतिरिक्त वनों से गोंद, हर्रा, बहेड़ा, चिरोंजी, भिलमा, महुआ, आँवला भी प्राप्त होता है। यह नगर मुख्यतः कृषि प्रधान है, सब्जी उत्पादन के अलावा वनोपज से स्थानीय निवासी अपनी आजीविका चलाते हैं।

छिन्दवाड़ा नगर राज्य की राजधानी भोपाल से 310 कि.मी., जबलपुर से 210 कि.मी और सिवनी से 70 कि.मी दूर स्थित है। छिन्दवाड़ा के दक्षिण एवं उत्तर में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 547 स्थित है जो नरसिंहपुर से नागपुर को जाता है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 नगर के मध्य में स्थित है जो सिवनी से मुलताई की ओर जाता है। साथ ही शहर के चारों दिशाओं में रिंग रोड 58.0 कि.मी. का स्थित है जो कि शहर में यातायात की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने में सहायक है एवं भारी वाहनों का शहर में प्रवेश कम मात्रा में होने के कारण यातायात व्यवस्था को सुगम बनाता है। शहर के मध्य से राज्य राजमार्ग क्रमांक 19 (छिन्दवाड़ा—भोपाल) भी गुजरता है। छिन्दवाड़ा नगर से प्रमुख नगरों की दूरी एवं दिशाएँ सारणी 1.1 में दी गयी हैं।



सारणी 1.1 छिन्दवाड़ा नगर से प्रमुख नगरों की दूरी

क्रमांक	नगर	छिन्दवाड़ा से दूरी (कि.मी. में)
1	2	3
1	भोपाल	310
2	जबलपुर	210
3	नागपुर	125
4	सिवनी	70

वर्ष 1890 में छिन्दवाड़ा नैरो गेज (रेल लाइन) की स्थापना हुई, जो की छिन्दवाड़ा को नागपुर एवं नैनपुर होते हुए जबलपुर से जोड़ती थी। वर्तमान में नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तन का कार्य प्रगतिशील है। छिन्दवाड़ा से निकटतम हवाई अड्डे की सुविधा नागपुर में है। छिन्दवाड़ा-नागपुर ब्रॉड गेज का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं सिवनी तथा नैनपुर ब्रॉड गेज का कार्य लगभग 60 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में छिन्दवाड़ा में हवाई पट्टी स्थित है।

1.1.4 नगर विकास का क्रम

छिन्दवाड़ा नगर में सन् 1700 से 1965 के मध्य हुए प्रमुख निर्माण का विवरण निम्नानुसार है :—

1. बड़ा तालाब — सन् 1741
2. छोटा तालाब — सन् 1867
3. टॉउन हॉल — सन् 1906
4. उत्कृष्ट विद्यालय — सन् 1911
5. जिला जेल — सन् 1930
6. पातालेश्वर शिव मंदिर — सन् 1948
7. जिला न्यायालय — सन् 1956
8. जिला चिकित्सालय — सन् 1959
9. कलेक्टर कार्यालय — सन् 1959
10. कोतवाली — सन् 1962

1.2 भौतिक स्वरूप

1.2.1 भू-आकृति

कुलबहेरा यहां की प्रमुख नदी है। दक्षिण दिशा में जिला मुख्यालय से 4 कि.मी. की दूरी पर ग्राम सरा एवं ग्राम इमलीखेड़ा की सीमा पर स्थित है जिस पर कन्हरगांव जलाशय स्थित है। जिससे शहर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है, साथ ही पूर्व दिशा की ओर 25 किलोमीटर की दूरी पर पेंच नदी स्थित है, जिस पर पेंच जलाशय निर्मित है। जिससे

छिन्दवाड़ा नगर को शुद्ध पेयजल का मुख्य स्रोत है, जो कि अमृत योजनांतर्गत शहर वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

छिन्दवाड़ा में वर्तमान में सात तालाब / जलाशय हैं। शहर के मध्य छोटा तालाब एवं बड़ा तालाब स्थित हैं एवं निवेश क्षेत्र सीमा में पाँच छोटे जलाशय स्थित हैं।

1.2.2 जलवायु

जलवायु मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में खासकर नगरीय जीवन एवं उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। सम्पूर्ण सतपुड़ा की घाटी क्षेत्र की सौम्य जलवायु होने के कारण इस क्षेत्र में वर्ष भर समस्त गतिविधियाँ सुचारू रूप से सम्पन्न होती रहती हैं। यहां की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में गर्म तथा शीत ऋतु में ठंडी रहती है। नगर में औसतन अधिकतम तापमान मई माह में 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 39.4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तथा औसत न्यूनतम तापमान जनवरी माह में 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। नगर में औसत वर्षा 870 मिलीमीटर होती है। अधिकांश वर्षा जुलाई एवं अगस्त माह में होती है।

अप्रैल से सितम्बर तक नगर में वायु प्रवाह की दिशा दक्षिण—पश्चिम एवं उत्तर—पश्चिम की ओर रहती है, जिसमें सामान्यतः अधिक गति होती है। शेष अवधि में वायु प्रवाह दिशा उत्तर—पूर्व से दक्षिण—पश्चिम दिशा की ओर रहती है।

1.2.3 खनिज संपदा

खनिज संपदा की दृष्टि से छिन्दवाड़ा जिला अधिक सम्पन्न है, यहां पर प्राप्त होने वाले प्रमुख खनिजों का विवरण सारणी क्रमांक 1.2 में दिया गया है।


सारणी 1.2 खनिज संपदा

क्रमांक	खनिज	स्थिति	नगर से दूरी	उपयोग
1	2	3	4	5
1	रेत	कुलबहेरा नदी	4.0 कि.मी.	अधोसंरचना एवं भवन निर्माण
2	पत्थर	रामगढ़ी	10.0 कि.मी.	भवन तथा सड़क
3	कोयला	परासिया	40.0 कि.मी.	औद्योगिक

1.3 नियोजन हेतु प्रयास

भारत सरकार द्वारा “Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation” (AMRUT) योजना की उपयोजना के अन्तर्गत देश के 500 चयनित शहरों की विकास योजनाओं में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करना सुनिश्चित किया गया है। इन 500 शहरों में मध्य प्रदेश के 34 शहरों का चयन किया गया है, जिनमें

1.2 Chhindwara : Location Map



छिन्दवाड़ा शहर भी सम्मिलित है। तदनुसार छिन्दवाड़ा नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, वर्ष 2035 की आवश्यकताओं को आधार मानकर सुनियोजित विकास योजना के प्रस्ताव सूजित किए गए हैं। इन योजना प्रस्तावों में नगर के अनुरूप आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ, आमोद-प्रमोद, यातायात एवं परिवहन के साथ ही नगर की अधोसंरचना के प्रस्ताव दिए गए हैं। यह योजना वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 5.00 लाख को आधार मानकर तैयार की गई है एवं तदनुसार ही यातायात एवं अधोसंरचना के उन्नयन को भी ध्यान में रखा गया है।

1.4 नियोजन के उद्देश्य एवं लक्ष्य

नियोजन की अवधारणा में समयानुसार बदलाव आया है, विकास योजना तैयार करना, अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है। छिन्दवाड़ा विकास योजना 2035 तैयार करते समय अमृत योजना की रूपरेखा एवं मानकों के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव दिये गये हैं। छिन्दवाड़ा विकास योजना 2035 में निम्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है :

1. नगर का प्रकार, आकार एवं माप।
2. सघन विकास।
3. नगरीय प्रबंधन में जन-यातायात व्यवस्था, सरल एवं सामान्य पहुँच के साथ।
4. नगरीय परिवेश का पोषण एवं संरक्षण।
5. नगरीय जीवन स्तर में उत्तरोत्तर गुणात्मक सुधार एवं स्वास्थ्य में वृद्धि।
6. नगर की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत का पोषण एवं परिमार्जन।
7. नगर नियोजन में नागरिकों की अधिकतम सहभागिता को प्रोत्साहन।
8. नगर के भौतिक एवं आर्थिक स्वरूप की गतिशीलता में तीव्रता लाना।
9. मूलभूत जीवन आधार प्रणाली के संसाधनों को अनुरक्षित करना।

1.5 निवेश क्षेत्र

सर्वप्रथम छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र का गठन मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2858-एफ-1-85-तैतीस-73 भोपाल दिनांक 14.11.1973 द्वारा छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र गठित किया गया था। जिसके अंतर्गत छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र का क्षेत्रफल 6972.94 हेक्टेयर था।

द्वितीय बार निवेश क्षेत्र गठित सीमाओं को म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13(2) (क) के अन्तर्गत म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्र0 एफ-3/115/2014/32 भोपाल दिनांक 24.04.2015 द्वारा संशोधित कर पुनरीक्षित की गई इसमें 13 अतिरिक्त ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। जिसके अंतर्गत छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र का क्षेत्रफल 12379.50 हेक्टेयर था।

तृतीय बार छिन्दवाड़ा का निवेश क्षेत्र को वृद्धित कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13(2) के अन्तर्गत म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-115-2014-बत्तीस दिनांक 08.11.2019 को प्रकाशन किया गया।

छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं निम्नलिखित अनुसूची में परिनिश्चित की गयी है :—

उत्तर में : मानेगांव, डुंगरिया, झण्डा, खापामिठ्ठे खाँ, झिरलिंगा, चारगांव, लकड़ाई जम्होड़ी तक।

पूर्व में : लकड़ाई जम्होड़ी, सारना, अजनिया, सुरगी, कबाड़िया, सोनाखार, पखड़िया, अतरवाड़ा, माल्हनवाड़ा, कुकड़ाचिमन एवं अर्जुनवाड़ी तक।

दक्षिण में : अर्जुनवाड़ी, मैनारी, जैतपुर खुर्द, लिंगा, गाडरवाड़ा तक।

पश्चिम में : गाडरवाड़ा, सालीमेटा, खुनाझिरकलां, खैरवाड़ा, थुनियाउदना, गुरैया, कुण्डालीकलां, मोआदेई एवं मानेगांव तक।

छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में छिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम क्षेत्र एवं 30 राजस्व ग्राम समिलित हैं, जिनकी कुल संख्या 56 है। वर्तमान में छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 26364.86 हेक्टेयर है। छिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम का कुल क्षेत्रफल 11710.10 हेक्टेयर है, जो कि कुल निवेश क्षेत्र का 44.40 प्रतिशत है, जो की 48 वार्डों में विभक्त है।

सारणी 1.3 निवेश क्षेत्र

क्रमांक	ग्रामों का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) राजस्व रिकार्ड	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) जी0 आई0 एस0	जनसंख्या
1	2	3	4	5
(अ) नगर पालिक निगम क्षेत्र				
1	छिन्दवाड़ा नगर	1145.427	1530.00	138291
2	लोनिया करबल	588.740	546.34	14989
3	खजरी	975.693	957.40	7338
4	कुकड़ाजगत	276.552	255.25	5997
5	खापाभाट	302.699	292.51	2646
6	कुसमैली	258.683	256.32	904
7	सिवनी प्राणमोती	351.449	349.49	3054
8	झमलियाबोहता	281.831	281.85	830
9	चंदनगांव	1033.548	997.12	16896
10	सर्वा	286.216	284.82	1457
11	मटकुली	145.430	145.79	172
(अ) नगर पालिक निगम क्षेत्र				


क्रमांक	ग्रामों का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) राजस्व रिकार्ड	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) जी० आई० एस०	जनसंख्या
1	2	3	4	5
12	थुनियाभांड	397.906	397.52	1002
13	परतला	446.348	449.00	4388
14	काराबोह	462.943	641.74	1529
15	कबाड़िया	262.509	257.75	924
16	अजनिया	281.339	281.10	774
17	सोनाखार	414.002	417.66	2479
18	बोरिया	421.495	424.66	1892
19	सारसवाड़ा	368.704	366.92	1282
20	सोनपुर	699.182	679.86	1678
21	इमलीखेड़ा	322.336	323.82	2001
22	पौआमा	326.144	329.80	1611
23	लहगङ्गुआ	775.791	756.34	2380
24	चौखड़ाढाना			
25	खैरीभोपाल	177.753	180.28	505
26	झण्डा	310.315	306.70	623
(अ)	योग	11313.035	11710.10	215642
(ब) ग्रामीण क्षेत्र				
1	गुरैया	808.833	803.99	6137
2	उसरिया	234.135	229.02	523
3	सुरगी	282.417	286.21	660
4	झिरलिंगा	689.378	694.62	1383
5	चरगांव प्रहलाद	569.785	566.61	1424
6	लकड़ाई जम्होड़ी	831.595	831.66	1533
7	खापामिट्ठे खॉ	250.432	247.34	659
8	डुड़ासिवनी	255.502	259.93	927
9	सारना	555.907	549.87	3001
10	पखड़िया	277.732	276.22	506
11	अतरवाड़ा	913.040	911.07	1296
12	मालहनवाड़ा	817.450	795.36	1222
13	कुकड़ाचिमन	453.884	457.28	735
(ब) ग्रामीण क्षेत्र				

क्रमांक	ग्रामों का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) राजस्व रिकार्ड	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) जी.आई.एस.ओ	जनसंख्या
1	2	3	4	5
14	चारगांव भाट	174.513	169.63	352
15	थुनिया उदना	431.806	449.93	1432
16	मोआदेई	370.555	376.11	853
17	मानेगांव	644.213	646.66	1150
18	झुंगरिया	488.525	490.06	1008
19	मुरमारी	558.880	588.56	771
20	अर्जुनवाड़ी	723.243	718.04	1155
21	शिकारपुर	498.321	504.78	1065
22	पौनारी	306.370	310.18	458
23	देवर्धा	262.592	263.98	280
24	लिंगा	398.550	391.31	3813
25	जैतपुर खुर्द	224.758	238.04	318
26	गाडरवाड़ा	390.025	389.17	659
27	सालीमेटा	257.508	256.94	291
28	खुनाझिरकलां	698.833	673.92	1786
29	खैरवाड़ा	792.899	665.14	1586
30	कुण्डलीकलां	592.796	613.10	2414
(ब)	ग्रामीण क्षेत्र	14754.477	14654.70	39397
	योग (अ + ब)	26067.512	26364.86	255039

स्रोत: राजस्व विभाग, जी.आई.एस सर्वेक्षण एवं नगर पालिक निगम

टीप: 1. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 क्रमांक 1995 एवं दिनांक 25.12.2015 को ग्राम लहगड़ा को दो भागों विभक्त करने से ग्राम लहगड़ा एवं ग्राम चौखड़ाढाना प्रतिस्थापित किया गया है।

2. छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र हेतु प्रभावशील विकास योजना 2011 भौतिक सर्वेक्षण से तैयार की गई थी। जिसमें विकास योजना 2011 हेतु निवेश क्षेत्र में समिलित ग्रामों का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों के अनुसार 6972.94 हेक्टेयर अंकित किया गया था। विकास योजना 2035 हेतु निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल राजस्व अभिलेख अनुसार 26067.512 हेक्टेयर है। वर्तमान में विकास योजना 2035 हेतु सेटेलाइट इमेज एवं ग्राम सीमा के डिजिटल मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल वास्तविक क्षेत्र को प्रगणित किया गया है, जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 26364.86 हेक्टेयर होता है। यह विकास योजना जी.आई.एस. पद्धति पर स्थल की वास्तविक स्थिति अनुसार तैयार की गई है, इसीलिए विकास योजना तैयार



करने के उद्देश्य से 26364.86 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं।

1.5.1 नगर पालिका निगम क्षेत्र

छिन्दवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र का सर्वप्रथम गठन सन् 1867 में नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत किया गया, जिसका क्षेत्रफल 11.33 वर्ग किलोमीटर था।

छिन्दवाड़ा नगर पालिका परिषद् की सीमा में वृद्धि करते हुये 24 ग्रामों एवं छिन्दवाड़ा शहरी क्षेत्र शामिल कर सीमाएं परिनिश्चित करते हुये “नगर पालिका निगम” घोषित किया गया, जिसका प्रकाशन म.प्र. राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 26—एफ—1—15—2014 अठारह—3 दिनांक 28.08.2014 पृष्ठ क्रमांक 387 में किया गया है। वर्तमान नगर पालिका निगम का क्षेत्रफल 11072.231 हेक्टेयर / 110.72 वर्ग किलोमीटर है (राजपत्र अनुसार)।

कार्यालय आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा म.प्र. राजपत्र दिनांक 19.09.2014 को भाग—2 के पृष्ठ क्रमांक 3688 पर प्रकाशित सूचना क्रमांक 1534—ए/परिसीमन छिन्दवाड़ा द्वारा नगर पालिका निगम क्षेत्र को 48 वार्डों में विभक्त किया गया है।

सारणी 1.4 नगर पालिका निगम, छिन्दवाड़ा के वार्ड एवं जनसंख्या

वार्ड क्र0	वार्डों का नाम	कुल जनसंख्या
1	2	3
1	डॉ. राधाकृष्णन	4487
2	गायत्री	4386
3	वीर सावरकर	4657
4	पृथ्वीराज चौहान	4385
5	बादल भोई	4522
6	लोकमान्य बालगंगाधर तिलक	4081
7	लाल बहादुर शास्त्री	4684
8	शहीद भगतसिंह	4066
9	महारानी लक्ष्मीबाई	3908
10	सिद्धी विनायक	3858
11	स्वामी दयानंद सरस्वती	3948
12	सरदार वल्लभ भाई पटेल	3827
13	जगन्नाथ	4240
14	चन्द्रशेखर आजाद	4773
15	नेताजी सुभाषचन्द्र	4545
16	महात्मा गांधी	4774
17	संतोषी माता मंदिर	4706
18	राजेन्द्र नगर	4401

वार्ड क्र०	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या
1	2	3
19	पातालेश्वर	4421
20	पं. दीनदयाल उपाध्याय	4609
21	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर	4163
22	रानी दुर्गावित्ती	5129
23	संत रविदास	4107
24	महाराणा प्रताप	4852
25	छत्रपति शिवाजी	4510
26	संत कबीरदास	4087
27	श्रीराम मंदिर बड़ी माता	4633
28	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	4370
29	पं. मदनमोहन मालवीय	5135
30	रफी अहमद किदवई	3962
31	छोटी माता	4705
32	संत तुकड़ोजी महाराज	4240
33	ज्योतिबा फुले	4505
34	दुर्गा माता मंदिर	4104
35	कुलबहरा	4631
36	भरतादेव	4341
37	चंदन नगर	4177
38	समर्थ रामदास	4274
39	स्वामी विवेकानंद	5131
40	तात्या टोपे	4838
41	शहीद मेजर अमित ठेंगे	4736
42	महावीर	4622
43	षष्ठी माता मंदिर	4898
44	पं. जवाहरलाल नेहरू	4870
45	महर्षि वाल्मीकी	5076
46	श्री झूलेलाल	4753
47	पं. माखनलाल चतुर्वेदी	5075
48	पंचवटी	4440
कुल योग		215642

स्रोतः— नगर पालिक निगम

1.6 नगर के प्रमुख कार्यकलाप

छिन्दवाड़ा जिला मुख्यालय होने के साथ-साथ यह नगर आस-पास के क्षेत्रों के लिए प्रमुख व्यापार-वाणिज्यिक, वनोपज आधारित केन्द्र तथा प्रमुख संग्रहण एवं वितरण केन्द्र के रूप में कार्यरत है। वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, हिन्दुस्तान यूनी लीवर एवं केन्द्र शासन व राज्य शासन के कार्यालय स्थित हैं। शिक्षा में भी नगर अपनी पहचान रखता है, जिसके अंतर्गत जिले में छिन्दवाड़ा विश्वविद्यालय एवं छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेंस (CIMS) की स्थापना की गयी है, जिससे छिन्दवाड़ा जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ प्राप्त होगी। जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सतपुड़ा लॉ कॉलेज एवं फुट डिजायन डेव्लपमेंट इंस्टीट्यूट (FDDI) स्थित है, जो कि नगर के प्रमुख कार्यकलापों का प्रमुख अंग है।

छिन्दवाड़ा नगर में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। जिसके अंतर्गत चौपाल सागर, टेक्सटाईल पार्क एवं शाही एक्सपोर्ट का निर्माण होने से नगर में आर्थिक विकास की अत्यधिक संभावना है।

अध्याय—2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

नगर विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिससे नगर नियोजन के द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय संदर्भ में, नगर के विभिन्न आयामों में विकास के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए नागरिकों के आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है। विकास हेतु उत्तरदायी शासकीय, अर्द्ध शासकीय, सामाजिक एवं निजी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि, विकास योजना में दिये गये भू-उपयोगों के प्रस्तावों का पालन करते हुए नियोजित विकास में अपनी सक्रिय सहभागिता निभायें, जिससे नगर अपनी आवश्यकता के अनुरूप कृषि, औद्योगिक एवं अन्य उत्पादन पर आधारित वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास हेतु कार्यक्षम वातावरण के साथ-साथ अन्य आवश्यक गतिविधियों जैसे—आवासीय, अमोद-प्रमोद, व्यावसायिक, प्रशासनिक, सार्वजनिक-अर्द्ध सार्वजनिक विकास को समाहित कर सकें।

नगर की विकास योजना बनाने के लिए यह समझना आवश्यक है कि नगरीय विकास के विभिन्न घटकों में किस प्रकार से संबंध एवं सामंजस्य स्थापित रहे। नगरीय विकास से संबंधित विभिन्न आंकड़े एकत्रित कर उनके अध्ययन के आधार पर भावी आवश्यकताओं का आकलन किया जाना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। विकास योजना तैयार करने के लिए नगरीय विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर नियोजन किया जाना आवश्यक है। विकास योजना पुनर्विलोकन का लक्ष्य केन्द्र शासन की अमृत योजना अंतर्गत निर्धारित मापदंड तथा जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना है।

भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा "Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation"(AMRUT) योजना की शुरुआत जून 2015 में हुई। अमृत योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात् जल-आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, बिजली, शहरी परिवहन, हरित क्षेत्र इत्यादि मुहैया कराने एवं सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेषतः गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा। इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस.तकनीक) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड (Design & Standards) दिये गये हैं।

विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है। इन पद्धतियों से भूमि उपयोग

सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं। इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है।


2.1.1 अमृत योजना

"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation" (AMRUT) योजना की उपयोजना के मुख्य उद्देश्य है:

1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना।
2. अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना।
3. Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाईन के मानकों को समाहित करना।

2.1.2 सुदूर संवेदन

सुदूर संवेदन तकनीक के अंतर्गत भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू II (World View II) के उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। उपग्रह चित्रों का उपयोग अमृत योजना के अन्तर्गत 1:4000 पैमाने पर आधार मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है। अमृत योजना में उपग्रह चित्रों के मानक, सारणी 2.1 में दर्शाये गये हैं।



सारणी 2.1 उपग्रह चित्रों के मानक

No.	Description	Value	Remarks
1	2	3	4
1	Spatial Resolution	0.5 meters or better	-
2	Spectral Resolution	PAN Sharpened (Bands: Panchromatic, Red, Green, Blue and Near Infrared)	IR band is optional
3	Band to Band registration	Less than 1/4th of pixel size	-
4	Radiometry	10 bit or better	-
5	Image Resampling	Nearest Neighbourhood	-
6	Monoscopic / Stereoscopic	Plain Areas: Monoscopic Highly Hilly areas: Stereoscopic	Need of Stereoscopic to be reviewed case by case. If the city is built on terrain slope more than 15 degrees.
	Monoscopic data view angle	Less than 10 degree from nadir	In specific cases, maximum of up to 15 degrees view angle shall be allowed
	Stereoscopic	One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir	Base to Height (B/H) ratio: $0.6 < B/H < 0.8$
7	Product type	Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)	Ortho-kit data with RPCs

स्रोतः— एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

भौगोलिक सूचना प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन, एवं क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है। अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स को क्लासेज एवं सब—क्लासेज में विभाजित किया गया है। इनका उपयोग विकास योजना तैयार करनें में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। जो कि मत्तवत! त्ममितमदबम 'वनतबम वज विनदकण में दर्शाया गया है।


सारणी 2.2 स्पेशियल लेयर्स की क्लासेज एवं सब—क्लासेज

No.	Spatial Layers	Source for Spatial data generation	Classification based on Use & Attributes	
			Classes	Sub Classes
1	2	3	4	5
1	Base layers	Very high resolution satellite data	3	16
	1. Road			
	2. Bridges			
	3. Water Bodies			
2	Urban Land use/Land cover	Very high resolution satellite data	22	48
3	Building Footprints	Very High Resolution satellite data	16	46
4	Digital Elevation Model (DEM) Type : Digital Terrain Model (DTM)	CARTO DEM – NRSC, ISRO	1	1
5	Cadastral Layer	State Revenue Department	1	-
6	Boundaries			
	1. Planning Boundaries	Town & Country Planning	1	1
	2. Municipal Boundaries	Urban Local Bodies	1	1

स्रोतः— एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

विकास योजना प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है, स्थायी एवं पूर्व क्षमता युक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना। तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से



सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु, भावी बसाहट, वर्तमान में विद्यमान बसाहट तथा पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार आवश्यक है, प्रस्तावित अर्थात् भविष्य के विकास के लिए भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके। अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने, नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये। इसके साथ ही, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव, भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर हो। एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्न लिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है।

- **धारातल विशेषताएँ**

भौतिक स्थिति, कंटूर, सामान्य अथवा अत्याधिक ढलान, भूगर्भ विशेषताएँ, मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्त्रोत, जल प्लावित क्षेत्र, सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग।

- **भूमि उपयोग वितरण**

नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू-दृश्यीकरण स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, आमोद प्रमोद, यातायात, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता।

- **जनसंख्या विशेषताएँ**

आयु समूह, लिंगानुपात, आव्रजन वितरण, भावी जनसंख्या, आगामी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर एवं व्यवसायिक संरचना।

- **आर्थिक गतिविधियाँ**

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ, आर्थिक समस्याएँ एवं संभावनाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएँ एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएँ।

- **यातायात विशेषताएँ**

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, साइकिल पथ, पादचारी पथ, जलाशय, रेलवे, वायु सेवा एवं यातायात संरचना।

- **आवास विशेषताएँ**

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति एवं भावी आवश्यकता, झुग्गी वासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण, भूमि तथा वित्तीय स्थिति।

- **सार्वजनिक सेवाएँ**

पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवहन प्रणाली, विद्युत प्रदाय तथा संचार सेवाएँ।

- **सार्वजनिक सुविधाएँ**

शैक्षणिक संस्थाएँ, आमोद प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र।

एकत्रित जानकारी एवं एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत, वर्ल्डव्यू-II (World View-II) उपग्रह चित्रों के साथ समन्वित कर विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों पर निर्धारित है, जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाईडलाईन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है।

2.2.1 उद्देश्य

- **भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना**

वर्ल्डव्यू-II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी जो श्रेणी-II को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो।

- **बसाहट के विस्तार का मानचित्र तैयार करना**


विभिन्न स्थितियों पर, उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास, क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, जिसके मानचित्र तैयार करना।

- संपूर्ण छिन्दवाड़ा नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना
- नैसर्गिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना।
- जल स्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढलान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना।
- नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि का संरक्षण करना है, उसका मानचित्र पर अंकन करना।
- प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना।

2.2.2 कार्यप्रणाली

अमृत योजना के अन्तर्गत एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त, स्थल मानचित्र, जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर, अमृत मानकों के अनुसार आकड़े एकत्रित कर, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु, आधार मानचित्र तैयार किया गया। छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 का पुनर्विलोकन अमृत योजना के अनुसार जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली निम्नानुसार दर्शायी गई है।

कार्यप्रणाली



2.2.3 जनसंख्या आकलन पद्धति

सन् 2035 की भावी जनसंख्या के आकलन करने हेतु वर्ष 1991 से 2011 तक की जनगणना जानकारी एकत्र की गई एवं विभिन्न सांख्यिकी पद्धति के आधार पर अंकगणितीय वृद्धि पद्धति, ज्यामितीय वृद्धि पद्धति, घातांकीय वृद्धि पद्धति एवं इंक्रीमेंटल पद्धति द्वारा प्रगणित की गई है।

2.3 अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों (Design and Standard) के अनुसार, शहर के विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्रित किये गये हैं। इन आंकड़ों में शहर की भौगोलिक जानकारी, सांख्यिकी आंकड़े, औद्योगिक पहलू, भौतिक अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार, इत्यादि सम्मिलित है। जल प्रदाय, जल—मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरण, पुरातत्व, पर्यटन, राजस्व आदि से संबंधित इत्यादि जानकारी सम्मिलित है।

2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping)

विकास योजना तैयार करने हेतु विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार कर विश्लेषण किया गया है।

2.3.1.1 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर, वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किये जाने हेतु उपग्रह चित्र आधारित मानचित्रों का उपयोग किया गया है। जिसमें निम्न मानकों को आधार मानकर वर्णिकृत किया गया है। जिसे सारणी क्रमांक 2.3 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.3 मू—स्थानक डाटा

No.	Code	Class	Sub-Class
1	2	3	4
1	01-01	Road	National Highway
	01-02		State Highway
	01-06		Bypass
	01-09		Major City Road
	01-10		Minor City Road
	01-11		Other Public Road
	01-12		Other Private Road
	01-15		Village road

2.3.1.2 भूमि उपयोग / भूमि आच्छादन

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) हैदराबाद से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, छिन्दवाड़ा नगर का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया है। भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दिए गये वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया। अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली, निम्न सारणी में उल्लेखित है:—

सारणी 2.4 बिल्डिंग फुटप्रिंट

No.	Code	Class	Sub-Class
1	2	3	4
1	06-04	Residential	House
	06-05		Group of Houses
	06-06		Apartment
2	07-01	Commercial	Retail
	07-03		General Business
	07-04		Hotel / Lodge / Restaurant
	07-13		Hostel
3	08-01	Industrial	Manufacturing
	08-08		Agro based & Food Processing
	08-09		Obnoxious
	08-10		Cottage & Household
	08-11		Other Industries
4	09-01	Mixed	Residential & Commercial
5	10-01	Educational	School
	10-05		Anganwari
			College
			Polytechnic
6	11-01	Health Services	Govt. Hospital
	11-02		Private Hospital
	11-04		Clinic/Dispensary
7	12-01	Central Govt. Property	Office
	12-02		Quarter
8	13-01	State Govt. Property	Office
9	15-02	Public & Semi-Public	Banks
	15-05		Police Station
	15-06		Cantonment/Battalion
	15-08		Crematorium /Burial Ground /Grave Yard


No.	Code	Class	Sub-Class
1	2	3	4
10	15-09		Guesthouse/Resthouse
	15-11		Dharmashala
	15-12		Tourist Facility Centre
	15-15		Museum
	15-16		Public Library
	15-25		Public/Community Toilet
	15-28		Old age Home
	15-30		Fire Station
10	16-01	Religious	Temple
	16-05		Gurudwara
			Mosque
			Chruch
	16-09		Aashram/Math/Bhojanshala
11	17-01	Recreational	Garden
12	18-01-01	Public Utilities	Water Treatment Plant
	18-01-02		Water Pumping Station
	18-03-01		Sewage Treatment Plant
	18-04-02		Electric Sub-Station
13	21-01	Heritage	Monuments
	21-02		Fort
	21-03		Archaeological Site
14	24-01	Transportation	Bus stand /Terminus
15	25-04	Traffic related	Multi-Level Parking
16	26-02	Rural	House
	26-03		Group Of House
17	33-09	Others	Farm house
	33-10		Dairy farm
	33-17		Gaushala


2.3.1.3 ढलान


भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto-DEM (Cartosat-1 derived Digital Elevation Model) के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया। ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति एवं निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है।

$$\text{ढलान का प्रतिशत} = (\text{ऊँचाई में अंतर}/\text{दूरी में अंतर}) \times 100$$

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रफल सारणी 2.5 में दिया गया है।







सारणी 2.5 ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

No.	Class	Area (Ha)	%
1	2	3	4
1	Nearly Level (0-1 %)	10190.84	38.65
2	Very Gently Sloping (1-3 %)	8375.51	31.77
3	Gently Sloping (3-5 %)	3507.94	13.31
4	Moderately Sloping (5-10 %)	3380.93	12.82
5	Strongly Sloping (10-15 %)	770.54	2.92
6	Moderately to Steep Slope (15-35 %)	139.11	0.53
Grand Total		26364.86	100

स्रोतः— भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.4 मृदा

सम्पूर्ण जिले की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करने हेतु “भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग” Soil & Land Use Survey of India (SLUSI) जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त की गई है। उक्त मानचित्र तैयार करने में, सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल के विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित की गई है जिसका उपयोग किया है। मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर, भूमि का कटाव मानचित्र, मिट्टी की बनावट का मानचित्र तथा मिट्टी की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया। जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 2.6 में दर्शायी गयी है।

सारणी 2.6 मृदा विश्लेषण

क्र.	मिट्टी की संरचना	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Water Body	489.80	1.86
2	Clayey	4895.86	18.57
3	Clayey Skeletal	309.44	1.17
4	Fine	8047.96	30.53
5	Fine Loamy	2797.14	10.61
6	Loamy	8922.10	33.84
7	Loamy Skeletal	902.57	3.42
Total		26364.86	100

सारणी 2.7 लिथोलॉजी

क्र.	श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Basaltic (Pahoehoe)	7543.52	28.61
2	Basaltic flows	11743.98	44.54
3	Basic dykes and Sills	446.37	1.69
4	Granites	6574.04	24.93
5	Sabdstone with clay bands	56.96	0.22
Total		26364.86	100

2.3.1.5 जलाशय


वर्ल्डव्यू-II (World View-II) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर, छिन्दवाड़ा शहर मे स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है। अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 2.8 में उल्लेखित है


सारणी 2.8 जलाशयों का वर्गीकरण


NO.	Code	Class	Sub-Class
1	2	3	4
1	05-01	Water Bodies	River
	05-02		Stream
	05-03		Canal
	05-04		Drain
	05-05		Ponds


2.3.1.6 भूजल स्तर

छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में मुख्यतः तालाबो, नाला, नदी सम्मिलित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निवेश क्षेत्र में भू-जल स्तर मुख्यतः मध्यम है। जिसका विवरण सारणी क्रमांक 2.9 में दर्शाया गया है।









सारणी 2.9 भू-जल विवरण

क्र.	श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Water Body	489.8	1.86
2	Good to Moderate	462.01	1.75
3	Moderate to Poor	25203.51	95.60
4	Poor	209.54	0.79
Total		26364.86	100

2.3.1.7 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्ट्स (Fractures and Faults) तथा मिट्टी की जानकारी, ढलान की जानकारी एवं जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, एन.जी.आर.आई. के आंकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्रिकरण किया गया है। आपदा प्रबंधन योजना अंतर्गत छिन्दवाड़ा भूकंप संभावित क्षेत्र है; जो कि Zone III Moderate Damage Risk Zone (MSK VII) के अंतर्गत आता है।

2.3.1.8 भूमि मूल्य

महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा प्रकाशित बाज़ार मूल्य मार्गदर्शिका से निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत कुल वार्ड के अन्तर्गत, भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई एवं बाज़ार मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया है।

2.3.1.9 ग्राम/वार्ड सीमा

राजस्व विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया है। भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर खसरा मानचित्रों का स्पेशियल एडजस्टमेंट किया गया। ग्राम मानचित्रों का स्पेशियल एडजस्टमेंट करने के पश्चात निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गयी। नगर परिषद से प्राप्त वार्ड मानचित्र के आधार पर नगर का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया। अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग की 1:30000 का तथा 1:25000 मापक पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया।

यह मानचित्र एकीकृत वॉर्ड की विभिन्न जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। जनसंख्या के आंकड़े जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किये गये, उनको ग्राम मानचित्रों से संबद्ध किया है। अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली, निम्नसारणी में उल्लेखित है:-

सारणी 2.10 सीमाओं का वर्गीकरण

No.	Code	Class	Sub-Class
1	2	3	4
1.	37-05	Administrative Boundaries	Village Boundary
	37-06		Forest Boundary
	37-07		Revenue Boundary
2.	38-01	Planning Boundaries	Planning Area Boundary
	38-04		Controlled Area Boundary
3.	37-05	Municipal Boundaries	Municipal Boundary
	37-06		Ward Boundary
	37-07		Zone Boundary


थीमेटिक मानचित्र, भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) वर्गीकरण का उपयोग कर डिजिटाइज कर निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किये गये हैं। निवेश क्षेत्र के सांख्यिकीय औँकड़े, भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गये हैं।


2.3.1.10 भू—आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड


छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र को भू—आकृति की दृष्टि से 06 भागों में विभाजित किया गया है। क्षेत्र का अधिकांश भाग भू—आकृति की दृष्टि से पेडीप्लेन क्षेत्र में आता है। यह जानकारी सारणी क्रमांक 2.11 में दर्शायी गयी है।


सारणी 2.11 जिओमोरफोलॉजी


क्र.	जिओमॉर्फोलॉजी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Butte	75.44	0.29
2	Mesa	30.05	0.11
3	Pediment	6606.24	25.06
4	Pediplain	15507.65	58.82
5	Scarp	40.47	0.15
6	Water Bodies	489.80	1.86
Total		26364.86	100














2.3.1.11 जल स्त्रोत बफर

छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में मुख्यतः तालाबों, नाला, नदी सम्मिलित किये गये हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 489.80 हेक्टेयर है। तालाबों के चारों ओर एवं नालों के किनारे वृक्षारोपण का प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 अनुसार दिया गया है, जिससे पर्यावरण एवं संरक्षण हेतु तटीय क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप में यथावत रखा जा सके। जल स्त्रोत बफर की जानकारी सारणी 2.12 में दर्शायी गई है।

सारणी 2.12 जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

क्र.	बफर (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1	15	240.60
2	30	235.03
3	45	230.75
4	60	228.30
5	>60	24590.85

2.3.1.12 भूमि अवक्रमण

छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र अंतर्गत भूमि की अवक्रमण संबंधी जानकारी सारणी 2.13 में दर्शायी गई है।

सारणी 2.13 भूमि अवक्रमण

क्र.	श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	2	3	4
1	Water erosion - Sheet - Moderate	3022.54	80.04
2	Water erosion - Sheet - Severe	263.80	6.99
3	Water bodies	489.80	12.97
Total		3776.14	100

2.3.1.13 मार्ग संरचना बफर

मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है। छिन्दवाड़ा से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 547 एवं 347 गुजरते हैं, जो नगर को सिवनी, नागपुर, नरसिंहपुर एवं मुलताई नगरों से जोड़ता है तथा राज्य राजमार्ग क्रमांक 19 जो सीधे राजधानी भोपाल को जोड़ता है। नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु मार्गों को सम्मिलित किया गया है एवं बफर ज़ोन, मार्ग के दोनों ओर

निर्धारित किए गये हैं। जोन के अन्तर्गत बफर मार्ग संरचना की जानकारी उपरोक्त सारणी 2.14 में दर्शायी गयी है।

सारणी 2.14 मार्ग संरचना बफर

क्र.	मार्ग बफर (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1.	100	2131.57
2.	200	2035.00
3.	500	5517.89
4.	>500	16290.47

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना है कि, कौनसी भूमि का विकास किया जाये एवं किस प्रकार किया जाये। इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक, विशेषताएँ, नैसर्गिक अवरोध एवं सामाजिक एवं आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं। मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अन्तर्गत, भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है। भूमि उपयुक्तता का निर्धारण, भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर है, भूमि का मूल्य प्रमुखतः तीन आधार पर निर्भर होता है :-

1. भूमि का बाजार मूल्य जो पूर्णतः विक्रय के आधार पर होता है।
2. प्राकृतिक संरचना के गुणात्मक मूल्यांकन।
3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य।

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र, के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जा सकते हैं। निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं। भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है, अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करना है, एवं भूमि के विस्तृत वर्गीकरण, विभिन्न विकास हेतु करना संभव है। इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुक्तता निर्धारण, वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव महत्वपूर्ण है। यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में, उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर, विकास हेतु ग्राह्य नहीं है, का भी विकास होगा। यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होगी जो बाजार के संदर्भ से प्रभावित होती हैं। अतः उपरोक्त संदर्भ में, उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस रिपोर्ट में उल्लेखित है, वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारण की दृष्टि से देखा गया है अतः इस अध्ययन में, बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर

संवेदन तकनीक से प्राप्त चित्र) किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण संभव हुआ है। छिन्दवाड़ा नगर के संदर्भ में Composite Land Suitability Analysis हेतु अपनाई गई। उदाहरण के रूप में, इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा विकास हेतु प्रतिबंधित/संरक्षित रखी जाना है। भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों का विचार किया है।

1. वर्तमान भूमि उपयोग
2. मिट्टी का प्रकार
3. ढलान का प्रतिशत
4. बाढ़ आपदा
5. जलाशय
6. मार्ग संरचना
7. जियोमार्फोलॉजी
8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से, नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है। सीमा की अवधारणा, भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है, कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्त्रोत (धन, जनशक्ति, सामग्री) आवश्यक होंगे। अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी। उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है। इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किये गये हैं।

2.4.1 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि/नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है। भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन सारणी क्रमांक 2.15 में दिया गया है।

सारणी 2.15 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल –1 के लिए वेटेड इंहेक्स

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	LANDUSE	25	Wasteland	9
2			Vacant Land	8
3			Agriculture	7
4			Waterbody	0
5			Roads	0
6			Builtup	0
1	GEOMORPHOLOGY	20	Pediplain	9
2			Pediment	7
3			Plateau Remnant	2
4			Mesa	1
5			Butte	1
6			Scarp	1
1	GROUNDWATERPROSPECTS	10	Good to Moderate	7
2			Moderate to poor	4
3			Poor	2
1	SOIL TEXTURE	05	Loamy Skeletal	9
2			Fine Loamy	8
3			Fine	7
4			Loamy	6
5			Clayey Skeletal	3
6			Clayey	4
1	ROAD BUFFER	10	100 m	9
2			200 m	8
3			500 m	7
4			>500 m	3
1	WATER BODIES BUFFER	15	15 m	1
2			30 m	2
3			45 m	5
4			60 m	7
5			>60 m	9
1	SLOPE	10	0-1 %	9
2			1-3 %	8
3			3-5 %	7
4			5-10 %	6
1	LAND VALUE	05	<5000	9
2			5000-10000	9
3			10000-15000	7
4			15000-20000	6
5			20000-25000	5
6			25000-40000	4
7			40000-60000	3
8			60000-100000	2

सारणी 2.16 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल -2 के लिए वेटेड इंडेक्स

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	LANDUSE	20	Wasteland	9
2			Vacant Land	8
3			Agriculture	7
4			Waterbody	0
5			Roads	0
6			Builtup	0
1	GEOMORPHOLOGY	10	Pediplain	9
2			Pediment	7
3			Plateau Remnant	2
4			Mesa	1
5			Butte	1
6			Scarp	1
1	GROUNDWATERPROSPECTS	10	Good to Moderate	7
2			Moderate to poor	4
3			Poor	2
1	SOIL TEXTURE	10	Loamy Skeletal	9
2			Fine Loamy	8
3			Fine	7
4			Loamy	6
5			Clayey Skeletal	3
6			Clayey	4
1	ROAD BUFFER	10	100 m	9
2			200 m	8
3			500 m	7
4			>500 m	3
1	WATER BODIES BUFFER	15	15 m	1
2			30 m	2
3			45 m	5
4			60 m	7
5			>60 m	9
1	SLOPE	15	0-1 %	9
2			1-3 %	8
3			3-5 %	7
4			5-10 %	6
1	LAND VALUE	10	<5000	9
2			5000-10000	9
3			10000-15000	7
4			15000-20000	6
5			20000-25000	5
6			25000-40000	4
7			40000-60000	3
8			60000-100000	2

सारणी 2.17 कम्पोजिट भूमि उपयोग उपयुक्तता मॉडल –3 के लिए वेटेड इंडेक्स

S.NO.	THEME	THEME WEIGHT	CLASS	CLASS WEIGHT
1	LANDUSE	14	Wasteland	9
2			Vacant Land	8
3			Agriculture	7
4			Waterbody	0
5			Roads	0
6			Builtup	0
1	GEOMORPHOLOGY	12	Pediplain	9
2			Pediment	7
3			Plateau Remnant	2
4			Mesa	1
5			Butte	1
6			Scarp	1
1	GROUNDWATERPROSPECTS	12	Good to Moderate	7
2			Moderate to poor	4
3			Poor	2
1	SOIL TEXTURE	12	Loamy Skeletal	9
2			Fine Loamy	8
3			Fine	7
4			Loamy	6
5			Clayey Skeletal	3
6			Clayey	4
1	ROAD BUFFER	14	100 m	9
2			200 m	8
3			500 m	7
4			>500 m	3
1	WATER BODIES BUFFER	12	15 m	1
2			30 m	2
3			45 m	5
4			60 m	7
5			>60 m	9
1	SLOPE	12	0-1 %	9
2			1-3 %	8
3			3-5 %	7
4			5-10 %	6
1	LAND VALUE	12	<5000	9
2			5000-10000	9
3			10000-15000	7
4			15000-20000	6
5			20000-25000	5
6			25000-40000	4
7			40000-60000	3
8			60000-100000	2

स्रोतः— भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण

टीप: भूमि उपयोग, जियोमॉर्फोलॉजी एवं जलाशय बफर को मूल्यांकन वरीयता प्रदान की गई है।

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई, जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है। इन मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई स्लिवर पॉलीगॉन निर्मित हुए। उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगॉन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum Mappable Unit) है। एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं। प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया। सी.एस.आय. को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया। इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है, अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम सी.एस.आय. का औसत एवं स्तरीय डेविएशन (Standard Deviation) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है। सी.एस.आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का द्योतक होगा। कम सी.एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है।

सारणी 2.18 Land Suitability Area

Land Suitability Area [Model-1]			
S.No	Suitability Class	AREA (ha)	(%)
1	Highly Suitable	17623.52	66.84
2	Moderately Suitable	7502.18	28.46
3	Less Suitable	1239.16	4.70
	Grand Total	26364.86	100

Land Suitability Area [Model-2]			
S.No	Suitability Class	AREA (ha)	(%)
1	Highly Suitable	11870.49	45.02
2	Moderately Suitable	13039.23	49.46
3	Less Suitable	1455.14	5.52
	Grand Total	26364.86	100


Land Suitability Area [Model-3]			
S.No	Suitability Class	AREA (ha)	(%)
1	Highly Suitable	11068.62	41.98
2	Moderately Suitable	14118.53	53.55
3	Less Suitable	1177.71	4.47
	Grand Total	26364.86	100


नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु [Model-1], [Model-2] एवं [Model-3] तैयार किए गए, जिन्हें उपरोक्त सारणी में दर्शाया गया है। निवेश क्षेत्रांतर्गत [Model-1] में अधिकतम उपयुक्त भूमि 17623.52 हेक्टेयर (66.84 प्रतिशत) प्राप्त हुई। अतः [Model-1] का चयन अंतिम रूप से छिन्दवाड़ा विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया।


2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI) गाइडलाइन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है। पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानवित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है। इसी कार्यप्रणाली के आधार पर छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है।







अध्याय—3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

3.1 विकास योजना 2011 क्रियान्वयन परिदृश्य

विकास योजना क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु यह वांछनीय है कि विगत वर्षों में हुए विकास में यह आंकलित किया जावे कि नगर में यातायात प्रणाली की कार्यक्षमता कैसी है, तथा वर्तमान यातायात प्रणाली के साथ भविष्य के क्षेत्रों की संबद्धता किस प्रकार होगी। विकसित क्षेत्र में चिन्हित असंगत भूमि उपयोगों की वर्तमान में स्थिति क्या है। इसके साथ ही पूर्व प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन का विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत स्तर क्या है। आर्थिक रूप से कमज़ोर तथा आवास विहीन परिवारों की स्थिति का भी आकलन आवश्यक है जिससे पुनर्विलोकन के समय उन बिन्दुओं का समावेश किया जा सके, जिससे क्षेत्र का कार्यक्षम विकास हो सके। प्रबंधन के अभाव में योजना के प्रभावित होने के बिन्दु निम्नानुसार है :—

- विकास योजना क्रियान्वयन हेतु विकास प्राधिकरण का गठन नहीं होना।
- संस्थागत संरचना के लिए भूमि आपूर्ति एवं नगरीय भूमि प्रबंधन प्रक्रिया का अभाव।
- क्रियान्वयन से सम्बद्ध संस्थाओं में आवश्यक समन्वय एवं रुचि का अभाव।
- नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों का समय पर उपलब्ध न होना।
- निजी निवेश के लिए संसाधनों को प्रोत्साहित करने में अपेक्षित प्रणाली का विकास न होना।
- योजना क्रियान्वयन के सतत पर्यवेक्षण तथा क्रियान्वयन के पूर्व अनुभवों के आधार पर संशोधन प्रणाली का विकास न होना।

अतः क्रियान्वयन संबंधी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में अधिकांश क्षेत्रों में अवांछनीय, अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास, गंदी बस्तियों का विकास तथा भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना रहित क्षेत्रों का विकास हुआ है।

3.2 विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 में 2.00 लाख अनुमानित जनसंख्या को समाहित करने हेतु विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत 1874.00 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 2020 के वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार 2636.84 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है। विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन अनुसार विवरण सारणी क्रमांक 3.1 में दिया गया।

सारणी 3.1 विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

क्र.	भूमि उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2011 (हेक्टेयर में)		विकसित क्षेत्रफल 2020 (हेक्टेयर में)		क्रियान्वयन का प्रतिशत
		क्षेत्र	प्रतिशत	क्षेत्र	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7
1	आवासीय	905.00	48.29	1216.39	46.13	134.41
2	वाणिज्यिक	114.00	6.00	73.97	2.81	64.89
3	मिश्रित	-	-	20.69	0.78	-
4	औद्योगिक	55.00	2.93	98.84	3.75	179.71
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	217.00	11.57	298.08	11.30	137.36
6	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं	63.00	3.36	30.95	1.17	49.13
7	आमोद—प्रमोद	151.00	8.06	136.98	5.19	90.72
8	यातायात एवं परिवहन	369.00	19.71	760.94	28.86	206.22
योग		1874.00	100	2636.84	100	140.71

स्रोतः— नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

3.2.1 आवासीय


छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 में आवासीय उपयोग के अंतर्गत 905.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 1216.39 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। आवासीय उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 134.41 प्रतिशत रहा है।

3.2.2 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत 114 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2011 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 73.97 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। वाणिज्यिक उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 64.89 प्रतिशत रहा है।

3.2.3 मिश्रित

छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 में मिश्रित भूमि उपयोग प्रस्तावित नहीं किया गया था। वर्तमान में छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में मिश्रित भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 20.69 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शहर का विकास अब मिश्रित उपयोग की तरफ बढ़ रहा है।



3.2.4 औद्योगिक

औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत 55 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2011 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 98.84 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। औद्योगिक उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 179.71 प्रतिशत रहा है। जन सामान्य के आर्थिक जीवन में सुधार के लिये नगर के औद्योगिक आधार में सुधार करने की आवश्यकता है।

3.2.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

सामान्य नागरिकों को सुविधाओं एवं सेवा प्रदान करने के अतिरिक्त सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक भूमि उपयोग के अन्तर्गत शिक्षा, अस्पताल, सामाजिक-सांस्कृतिक तथा अन्य सुविधाएँ आती हैं। सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत 217 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2011 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 298.08 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 137.36 प्रतिशत रहा है।

3.2.6 सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं

सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं उपयोग के अंतर्गत 63 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2011 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 30.95 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 49.13 प्रतिशत रहा है।

3.2.7 आमोद-प्रमोद

आमोद-प्रमोद उपयोग के अंतर्गत 151 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2011 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 136.98 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। आमोद-प्रमोद उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 90.72 प्रतिशत रहा है। इसका मुख्य कारण पहाड़ों पर एवं राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण एवं कुलबहेरा, बोदरी नदी एवं नालों के किनारे कुछ भाग में पर्यावरण वानिकी का विकास है।

3.2.8 यातायात एवं परिवहन

यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत 369 हेक्टेयर भूमि का विकास योजना 2011 में प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें से 760.94 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है। यातायात एवं परिवहन उपयोग का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 206.22 प्रतिशत रहा है।

नगर में सभी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियाँ नगर के मध्य संपादित हैं, जिससे यातायात/पार्किंग इत्यादि की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। नगर का वर्तमान सड़क नेटवर्क अस्त-व्यस्त है और बहुत सी जगहों पर सड़कों की चौड़ाई एक समान नहीं है। इसलिये

नगर से गुजरने वाले इस मुख्य मार्ग पर यातायात सुलभ बनाने के लिये प्रयास किया जाना चाहिये।

सारणी 3.2 यातायात एवं परिवहन विकास

क्रमांक	विवरण	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	क्रियान्वयन स्थिति
			वर्ष 2020
1	2	3	4
1.	परासिया मार्ग	24.00-36.00	क्रियान्वित
2.	नरसिंहपुर मार्ग	24.00-36.00	क्रियान्वित
3.	सिवनी मार्ग	24.00-36.00	क्रियान्वित
4.	नागपुर मार्ग	24.00-36.00	क्रियान्वित
5.	खजरी मार्ग	24.00	क्रियान्वित
6.	चक्कर मार्ग (खजरी चौक से छोटे तालाब तक)	18.00	क्रियान्वित
7.	चक्कर मार्ग (सर्किट हाउस से खजरी चौक तक)	24.00	क्रियान्वित
8.	चांद मार्ग	18.00	क्रियान्वित
9.	भरतादेव मार्ग	18.00	क्रियान्वित
10.	वर्तमान बायपास मार्ग	24.00	क्रियान्वित
11.	वृत्तीय बायपास मार्ग	36.00	क्रियान्वयन से शेष
12.	एम0आर0-1 (परासिया से चंदनगांव)	24.00	क्रियान्वयन से शेष
13.	एम0आर0-2 (चक्कर मार्ग से प्रियदर्शनी)	24.00	क्रियान्वयन से शेष
14.	एम0आर0-3 (प्रियदर्शनी से खजरी मार्ग)	24.00	क्रियान्वयन से शेष
15.	एम0आर0-4 (परासिया मार्ग से खजरी मार्ग)	18.00	क्रियान्वयन से शेष
16.	एम0आर0-5 (खजरी चौक से प्रस्तावित बायपास)	24.00	क्रियान्वयन से शेष
17.	एम0आर0-6 (चक्कर मार्ग से इंदिरा आवास)	24.00	क्रियान्वयन से शेष
18.	एम0आर0-7 (कालेज मार्ग से नरसिंहपुर मार्ग)	24.00	क्रियान्वयन से शेष

क्रमांक	विवरण	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2020
1	2	3	4
19.	एम0आर0—8 (कालेज मार्ग से सिवनी मार्ग)	30.00	क्रियान्वयन से शेष
20.	एम0आर0—9 (शमशान मार्ग से चांद मार्ग)	24.00	क्रियान्वयन से शेष
21.	एम0आर0—10 (नागपुर मार्ग से बायपास मार्ग)	24.00	क्रियान्वयन से शेष
22.	एम0आर0—11 (चार फाटक से बोदरी नाला)	18.00	क्रियान्वयन से शेष
23.	एम0आर0—12 (नागपुर मार्ग से बायपास)	18.00	क्रियान्वयन से शेष
24.	एम0आर0—13 (चंदनगांव से गुरैया मार्ग)	24.00	क्रियान्वयन से शेष
25.	एम0आर0—14 (नागपुर मार्ग से एम0आर0 13 तक)	18.00	क्रियान्वयन से शेष
26.	एम0आर0—15 (दुर्घ डेयरी से धरम टेकड़ी)	24.00	क्रियान्वयन से शेष
27.	एम0आर0—16 (सिवनी मार्ग से सिवनी प्राणमोती मार्ग)	18.00	क्रियान्वयन से शेष

स्रोतः— नगर तथा ग्राम निवेश

3.2.9 जलाशय

छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में वर्तमान में कुल 7 तालाब/जलाशय हैं। जिनके विवरण निम्नानुसार है :-

सारणी 3.3 जलाशय

क्रमांक	तालाब/ जलाशय का नाम	क्षेत्र लगभग (हेक्टेयर)	तालाबों की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	छोटा तालाब (छिन्दवाड़ा खास)	5.35	पानी भरा हुआ है।
2.	बड़ा तालाब (छिन्दवाड़ा खास)	5.93	
3	कुकड़ा जलाशय	7.60	
4	चारगांव जलाशय	14.06	
5	कबाड़िया जलाशय	35.19	
6	काराबोह जलाशय	49.86	
7	पखाड़िया जलाशय	77.97	

3.3 विकास योजना में उपांतरण

छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 प्रभावशील होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23(क) के विकास योजना में निम्न भूमि उपयोग उपांतरित किये हैं, जिनका समावेश छिन्दवाड़ा विकास योजना 2035 में किया गया है, जिसका विवरण सारणी क्रमांक 3.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.4 भूमि उपयोग उपांतरण

क्र०	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना 2011 के अनुसार भू—उपयोग	धारा 23 (क) के तहत उपांतरित भू—उपयोग	अधिसूचना विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	लोनिया करबल	245 / 2, 253	2.768	कृषि एवं प्रस्तावित बायपास	आवासीय एवं प्रस्तावित बायपास	एफ—3 / 112 / 2008 / 32 भोपाल दिनांक 29.09.2008
2	छिन्दवाड़ा खास	991	1.800 में से 1.397	कृषि	वाणिज्यिक	एफ—3 / 87 / 2007 / 32 भोपाल दिनांक 12.10.2007
3	खापाभाट कुसमैली	1 एवं 57 1 / 1	29.865 10.360	कृषि	औद्योगिक	एफ—3—21—2020—18—5 दिनांक 20.03.2020

3.4 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

छिन्दवाड़ा विकास योजना-2011 में असंगत भूमि उपयोग को वर्तमान स्थल से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित था, यह कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

सारणी 3.5 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की पुर्नस्थापना एवं क्रियान्वयन की स्थिति

क्र.	उपयोग वर्णन	वर्तमान स्थल	स्थानांतरण का कारण	क्रियान्वयन की स्थिति
1	2	3	4	5
(अ) असंगत भूमि उपयोग				
1.	सब्जी बाजार	तहसील कार्यालय मार्ग पर	यातायात में अवरोध	क्रियान्वित
2.	बुधवारी सब्जी बाजार	पाटनी टाकीज के पास (मध्यवर्ती क्षेत्र)	यातायात में अवरोध	क्रियान्वित से शेष
3.	घास मंडी	मौसम विभाग का कार्यालय	शासकीय कार्यालय	क्रियान्वित
4.	फुटपाथ पर स्थित दुकानों के सामने, बुधवारी बाजार क्षेत्र	जेल, तिराहा, चारफाटक, मुख्य डाकघर	यातायात एवं वाहन विराम की समस्या	क्रियान्वित से शेष
5.	जेल परिसर के सामने फुटकर दुकानें	फुटपाथ पर अतिक्रमण	यातायात एवं वाहन विराम की समस्या	क्रियान्वित से शेष
6.	पशु वधगृह एवं मांस बाजार	दिवानचीपुरा आवासीय क्षेत्र (मध्यवर्ती क्षेत्र)	पर्यावरण की समस्या	क्रियान्वित से शेष
7.	कृषि उपज मंडी एवं संलग्न गोदाम	गांधीगंज क्षेत्र	यातायात एवं वाहन विराम	क्रियान्वित
8.	तेल मिल	शनिचरा बाजार	वायु प्रदूषण एवं यातायात समस्या	क्रियान्वित से शेष
9.	आरा मशीन	अलका टाकीज के पास	ध्वनि प्रदूषण एवं यातायात समस्या	क्रियान्वित से शेष

10.	जिला जेल	बस स्टैण्ड के पास	सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त	क्रियान्वित से शेष
11.	महिला विविध शिल्प कला मंदिर	नरसिंहपुर मार्ग	अनुपयुक्त	क्रियान्वित
12.	फर्स्ट स्टेप स्कूल	चक्कर मार्ग	अनुपयुक्त	क्रियान्वित
13.	सेन्टर स्कूल	कालेज मार्ग	अनुपयुक्त	क्रियान्वित
14.	क्षय अरोग्य धाम	खजरी मार्ग पर	स्वास्थ्य हेतु हनिकारक	क्रियान्वित
15.	क्रिश्चयन कब्रिस्तान	साउथ सिविल लाईन	आवासीय क्षेत्र के मध्य होने के कारण अनुपयुक्त	क्रियान्वित से शेष
16.	निजी बस स्टेन्ड / टैक्सी स्टेन्ड	बस स्टेन्ड के समीप	यातायात अवरोध	क्रियान्वित
17.	ट्रक विराम	रेलवे स्टेशन से चार फाटक, अलका टाकीज के पास	वाहन विराम, यातायात अवरोध	क्रियान्वित से शेष
18.	ट्रक, टैक्सी एवं आटो रिपेयर की दुकानें	बस स्टैण्ड क्षेत्र	फुटपाथ पर अतिक्रमण व वाहन विराम	क्रियान्वित से शेष

(ब) अकार्यक्षम भूमि उपयोग

1.	शासकीय बहुउद्देशीय माध्यमिक शाला	एम. एल. वी. माध्यमिक शाला के सामने	स्थान की कमी एवं यातायात परिवहन समस्या	क्रियान्वित से शेष
2.	कन्या महाविद्यालय	फव्वारा चौक के सामने	स्थान की कमी एवं वाणिज्यिक क्षेत्र	क्रियान्वित से शेष

स्त्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश

3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

3.5.1 निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

जनगणना 2011 के अनुसार छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र की कुल जनसंख्या 255039 है जिसमें 215642 (84.5 %) जनसंख्या नगरीय और 39397 (15.5 %) जनसंख्या ग्रामीण है। जनगणना 2011 में निवेश क्षेत्र में पुरुष एवं महिला की जनसंख्या 130511 एवं 124528 क्रमशः है (सारणी क्रमांक 3.11)।

सारणी 3.6 निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

क्र.	क्षेत्र	जनसंख्या			जनसंख्या वृद्धि दर (2001–2011)
		1991	2001	2011	
1	2	3	4	5	6
नगर पालिका निगम क्षेत्र					
1	छिन्दवाड़ा नगर पालिका निगम क्षेत्र	125461	176312	215642	22.31
ग्रामीण क्षेत्र					
1	गुरैया	4207	5234	6137	17.25
2	उसरिया	396	441	523	18.59
3	सुरगी	460	584	660	13.01
4	झिरलिंगा	972	1219	1383	13.45
5	चारगांव	1113	1351	1424	5.40
6	लकड़ाई जम्होड़ी	1017	1424	1533	7.65
7	खापामिट्ठे खाँ	480	631	659	4.44
8	झुड़ासिवनी	636	911	927	1.76
9	सारना	2043	2565	3001	17.00
10	पखड़िया	295	400	506	26.50
11	अतरवाड़ा	987	1107	1296	17.07
12	माल्हनवाड़ा	842	1104	1222	10.69
13	कुकड़ाचिमन	557	681	735	7.93
14	चारगांव भाट	196	262	352	34.35
15	थुनिया उदना	968	1335	1432	7.27
16	मोआदेई	560	677	853	26.00
17	मानेगांव	871	1008	1150	14.09
18	झुंगरिया	615	770	1008	30.91
19	मुरमारी	612	728	771	5.91

क्र.	क्षेत्र	जनसंख्या			जनसंख्या वृद्धि दर (2001–2011)
		1991	2001	2011	
1	2	3	4	5	6
20	अर्जुनवाड़ी	857	1122	1155	2.94
21	शिकारपुर	737	989	1065	7.68
22	पौनारी	433	445	458	2.92
23	देवर्धा	203	151	280	85.43
24	लिंगा	3148	3523	3813	8.23
25	जैतपुर खुर्द	313	311	318	2.25
26	गाडरवाड़ा	428	558	659	18.10
27	सालीमेटा	205	284	291	2.46
28	खुनाझिरकलां	1173	1530	1786	16.73
29	खेरवाड़ा	1103	1314	1586	20.70
30	कुण्डलीकलां	1880	2281	2414	5.83
ग्रामीण क्षेत्र		28307	34940	39397	12.76
छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र		153768	211252	255039	20.73


स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में पिछले दशक (2001 से 2011) में हुए 43787 की कुल जनसंख्या वृद्धि में से, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान क्रमशः 39330 और 4457 है। छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 84.55 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या और 15.45 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है। वर्ष 2001–2011 के बीच छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर 20.73 प्रतिशत थी।

सारणी 3.7 दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत)

क्र.	क्षेत्र	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर	
		1991–2001	2001–2011
1	2	3	4
1	नगर पालिका क्षेत्र	40.53	22.31
2	ग्रामीण क्षेत्र	23.43	12.76
छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र		37.38	20.73

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011



स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

3.5.1.1 वार्ड वार जनसंख्या

जनगणना 2011 अनुसार छिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम क्षेत्र 39 वार्डों में विभाजित था, जिसकी जनसंख्या 138291 है। वर्तमान में छिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम क्षेत्र 48 वार्डों में विभाजित है, जिसकी जनसंख्या 215642 है। छिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड क्र. 29 की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसकी जनसंख्या 5135 है। नगर के वार्ड क्र. 12 सबसे कम जनसंख्या वाला वार्ड है, इसकी जनसंख्या 3827 है।

जनसंख्या विश्लेषण हेतु जनगणना 2011 (39 वार्ड) के आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

3.5.1.2 जनसंख्या घनत्व

छिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड क्र. 9 की जनसंख्या घनत्व 2.82 सबसे कम है। नगर के वार्ड क्र. 29 सबसे अधिक 454.02 जनसंख्या घनत्व वाला वार्ड है।


सारणी 3.8 वार्ड वार जनसंख्या घनत्व विवरण


क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या	जनसंख्या घनत्व
1	2	3	5	6
1	डॉ. राधाकृष्णन	1155.55	4487	3.88
2	गायत्री	120.62	4386	36.36
3	वीर सावरकर	491.76	4657	9.47
4	पृथ्वीराज चौहान	102.78	4385	42.66
5	बादल भोई	46.26	4522	97.75

क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या	जनसंख्या घनत्व
1	2	3	5	6
6	लोकमान्य बालगंगाधर तिलक	49.29	4081	82.80
7	लाल बहादुर शास्त्री	40.03	4684	117.01
8	शहीद भगतसिंह	13.30	4066	305.71
9	महारानी लक्ष्मीबाई	1383.81	3908	2.82
10	सिद्धी विनायक	294.81	3858	13.09
11	स्वामी दयानंद सरस्वती	11.05	3948	357.29
12	सरदार वल्लभ भाई पटेल	66.55	3827	57.51
13	जगन्नाथ	14.91	4240	284.37
14	चन्द्रशेखर आजाद	17.78	4773	268.45
15	नेताजी सुभाषचन्द्र	63.48	4545	71.60
16	महात्मा गांधी	1106.34	4774	4.32
17	संतोषी माता मंदिर	58.23	4706	80.82
18	राजेन्द्र नगर	38.97	4401	112.93
19	पातालेश्वर	53.02	4421	83.38
20	पं. दीनदयाल उपाध्याय	17.49	4609	263.52
21	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर	175.31	4163	23.75
22	रानी दुर्गावती	709.24	5129	7.23
23	संत रविदास	144.59	4107	28.40
24	महाराणा प्रताप	1485.15	4852	3.27
25	छत्रपति शिवाजी	133.40	4510	33.81
26	संत कबीरदास	37.04	4087	110.34
27	श्रीराम मंदिर बड़ी माता	11.99	4633	386.41
28	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	27.50	4370	158.91
29	पं. मदनमोहन मालवीय	11.31	5135	454.02

क्र.	वार्ड का नाम	वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या	जनसंख्या घनत्व
1	2	3	5	6
30	रफी अहमद किदवई	18.47	3962	214.51
31	छोटी माता	18.86	4705	249.47
32	संत तुक़ड़ोजी महाराज	20.98	4240	202.10
33	ज्योतिबा फुले	92.68	4505	48.61
34	दुर्गा माता मंदिर	238.11	4104	17.24
35	कुलबहरा	1234.47	4631	3.75
36	भरतादेव	467.13	4341	9.29
37	चंदन नगर	22.34	4177	186.97
38	समर्थ रामदास	256.86	4274	16.64
39	स्वामी विवेकानंद	100.19	5131	51.21
40	तात्या टोपे	264.48	4838	18.29
41	शहीद मेजर अमित ठेंगे	37.68	4736	125.69
42	महावीर	23.96	4622	192.90
43	षष्ठी माता मंदिर	29.60	4898	165.47
44	पं. जवाहरलाल नेहरू	20.30	4870	239.90
45	महर्षि वाल्मीकी	122.63	5076	41.39
46	श्री झूलेलाल	89.96	4753	52.83
47	पं. माखनलाल चतुर्वेदी	163.60	5075	31.02
48	पंचवटी	607.04	4440	7.31
कुल		11710.89	215642	18.41

स्रोत: नगर पालिक निगम एवं जी0आई0एस0 सर्वेक्षण





सारणी 3.9 वार्ड अनुसार जनसंख्या घनत्व विश्लेषण

Ward Wise Population Density (Minimum Value-2.82 Maximum Value-454.17)					
No.	Population Density	Ward Number			Total Ward
1	2	3			4
1	>300	8, 11, 27, 29			4
2	250-300	13, 14, 20			3
3	200-250	30, 31, 32, 44			4
4	150-200	28, 37, 42, 43			4
5	100-150	7, 18, 26, 41			4
6	<100	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48			29
TOTAL					48

स्रोत: नगर पालिक निगम

सारणी 3.10 पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या

क्र	क्षेत्र	1991		2001		2011	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
नगर पालिक निगम क्षेत्र							
1	चिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम क्षेत्र	65576	59885	91573	84739	110307	105335
ग्रामीण क्षेत्र							
1	गुरैया	2191	2016	2767	2467	3136	3001
2	उसरिया	208	188	235	206	279	244
3	सुरगी	236	224	300	284	335	325
4	झिरलिंगा	507	465	636	583	720	663
5	चारगांव प्रहलाद	574	539	695	656	729	695
6	लकड़ाई जम्होड़ी	524	493	723	701	767	766
7	खापामिट्ठे खाँ	253	227	331	300	353	306
8	झुड़ासिवनी	337	299	470	441	490	437
9	सारना	1080	963	1344	1221	1521	1480
10	पखड़िया	146	149	215	185	251	255

क्र	क्षेत्र	1991		2001		2011	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8
11	अतरवाड़ा	504	483	593	514	689	607
12	माल्हनवाड़ा	432	410	580	524	633	589
13	कुकड़ाचिमन	282	275	361	320	377	358
14	चारगांव भाट	103	93	138	124	183	169
15	थुनिया उदना	489	479	709	626	718	714
16	मोआदेई	296	264	357	320	444	409
17	मानेगांव	450	421	534	474	595	555
18	झुंगरिया	314	301	396	374	522	486
19	मुरमारी	326	286	375	353	411	360
20	अर्जुनवाड़ी	439	418	580	542	593	562
21	शिकारपुर	372	365	488	501	528	537
22	पौनारी	230	203	236	209	238	220
23	देवर्धा	120	83	82	69	152	128
24	लिंगा	1590	1558	1796	1727	1980	1833
25	जैतपुर खुर्द	160	153	159	152	146	172
26	गाडरवाड़ा	222	206	291	267	338	321
27	सालीमेटा	109	96	148	136	146	145
28	खुनाझिरकलां	600	573	779	751	887	899
29	खैरवाड़ा	538	565	658	656	811	775
30	कुण्डालीकलां	974	906	1170	1111	1232	1182
ग्रामीण क्षेत्र		14606	13701	18146	16794	20204	19193
छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र		80182	73586	109719	101533	130511	124528

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

3.5.2 जनसंख्या लिंगानुपात


जनगणना 2011 के अनुसार, छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र का कुल लिंगानुपात 954 है। छिन्दवाड़ा ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 925 है और छिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम क्षेत्र में लिंगानुपात 955 है।

सारणी 3.11 जनसंख्या लिंगानुपात

क्र.	क्षेत्र	लिंगानुपात		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
नगर पालिक निगम क्षेत्र				
1	छिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम क्षेत्र	913	925	955
ग्रामीण क्षेत्र				
1	गुरेया	920	892	957
2	उसरिया	904	877	875
3	सुरगी	949	947	970
4	झिरलिंगा	917	917	921
5	चारगांव प्रहलाद	939	944	953
6	लकड़ाई जम्होड़ी	941	970	999
7	खापामिट्ठे खों	897	906	867
8	डुडासिवनी	887	938	892
9	सारना	892	908	973
10	पखड़िया	1021	860	1016
11	अतरवाड़ा	958	867	881
12	माल्हनवाड़ा	949	903	930
13	कुकड़ाचिमन	975	886	950
14	चारगांव भाट	903	899	923
15	थुनिया उदना	980	883	994
16	मोआदेई	892	896	921
17	मानेगांव	936	888	933
18	डुंगरिया	959	944	931
19	मुरमारी	877	941	876
20	अर्जुनवाड़ी	952	934	948
21	शिकारपुर	981	1027	1017
22	पौनारी	883	886	924
23	देवर्धा	692	841	842
24	लिंगा	980	962	926
25	जैतपुर खुर्द	956	956	1178
26	गाडरवाड़ा	928	918	950

क्र.	क्षेत्र	लिंगानुपात		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
27	सालीमेटा	881	919	993
28	खुनाझिरकलां	955	964	1014
29	खेरवाड़ा	1050	997	956
30	कुण्डालीकलां	930	950	959
ग्रामीण क्षेत्र		950	938	925
छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र		918	925	954

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011




स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

सारणी 3.12 वार्ड अनुसार लिंगानुपात

Ward Wise Sex Ratio (Minimum Value-857.70 Maximum Value-1181.47)			
No.	Sex Ratio (Females per 1000 Male)	Ward Number	Total Ward
1	2	3	4
1	>1200	9	1
2	100-1100	4, 14, 22, 32, 38, 39	6
3	900-1000	1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48	36
4	<900	2, 11, 18, 27, 30, 37, 47	7
TOTAL			50

स्रोत: भारत की जनगणना 2011



3.5.3 शिशु जनसंख्या

शिशुओं की जनसंख्या की बात करें तो 0 से 6 साल के आयु वर्ग में शिशुओं की स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें शासन की विभिन्न योजनाओं जैसे की वृहद टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आई.सी.डी.एस. केन्द्रों में बच्चों की टीकाकरण एवं पोषण अभियानों के कारण बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलता है। कुपोषण से बचाव संबंधी अभियान के अंतर्गत सी.एच.सी. स्तर पर एन.आर.सी. सुविधायें उपलब्ध होने के कारण शिशुओं के स्वास्थ्य में दिनों दिन सुधार हो रहा है। यह वर्ग विभिन्न बीमारियों के संपर्क में सबसे अधिक आता है, जिससे कारण मृत्यु दर में वृद्धि होती है, परंतु शासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी अभियानों के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है।


जनगणना 2011 के अनुसार, छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र का कुल शिशु लिंगानुपात 946 है। छिन्दवाड़ा ग्रामीण क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात 958 है और छिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात 943 है। वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों में यह देखा गया है कि छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में वृद्धि हुई है (सारणी क्रमांक 3.15)।

सारणी 3.13 शिशु जनसंख्या

क्र.	क्षेत्र	1991		2001		2011	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	2	3	4	5	6	7	8
नगर पालिक निगम क्षेत्र							
1	छिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम क्षेत्र	10794	10135	12162	11229	11684	11019
ग्रामीण क्षेत्र							
1	गुरैया	440	354	403	328	406	394
2	उसरिया	42	40	40	33	18	33
3	सुरगी	50	53	53	63	37	45
4	झिरलिंगा	93	80	97	76	84	70
5	चारगांव प्रहलाद	131	113	105	107	92	74
6	लकड़ाई जम्होड़ी	102	99	113	109	94	93
7	खापामिट्ठे खाँ	47	32	65	53	47	44
8	डुडासिवनी	72	53	83	71	45	44

क्र.	क्षेत्र	1991		2001		2011	
		बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
9	सारना	188	181	212	192	193	184
10	पखड़िया	32	28	50	38	24	32
11	अतरवाड़ा	125	104	85	81	88	72
12	मालहनवाड़ा	86	94	113	96	82	89
13	कुकड़ाचिमन	52	53	61	49	49	60
14	चारगांव भाट	19	21	15	27	17	16
15	थुनिया उदना	104	95	113	96	88	89
16	मोआदेई	73	52	49	40	47	48
17	मानेगांव	106	75	71	68	75	77
18	झुंगरिया	72	64	51	62	74	63
19	मुरमारी	79	68	76	77	48	36
20	अर्जुनवाड़ी	89	94	99	107	78	57
21	शिकारपुर	75	77	79	100	63	56
22	पौनारी	54	46	29	31	31	35
23	देवर्धा	15	15	12	12	23	27
24	लिंगा	287	277	256	224	218	183
25	जैतपुर खुर्द	25	29	20	13	26	27
26	गाडरवाड़ा	24	39	49	48	34	43
27	सालीमेटा	14	11	22	27	18	19
28	खुनाझिरकलां	142	131	140	129	99	109
29	खेरवाड़ा	137	146	104	106	79	79
30	कुण्डालीकलां	175	160	183	158	142	119
ग्रामीण क्षेत्र		2950	2950	2684	2848	2621	2419
छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र		13744	12819	15010	13850	14103	13336

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011



सारणी 3.14 वार्ड अनुसार शिशु जनसंख्या


Ward Wise Child Population (0-6) (Minimum Value-0.72 Maximum Value-46.51)				
No.	Density	Ward Number	Total Ward	
1	2	3	4	
1	>12	-	-	
2	11-12	5, 10, 13, 16, 18, 22, 24	7	
3	10-11	2, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 17, 20, 23, 25, 28, 38	13	
5	9-10	7, 11, 21, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39	12	
6	<9	12, 13, 14, 21, 22, 28, 37	7	
TOTAL			39	

स्रोत: जनगणना 2011

सारणी 3.15 शिशु लिंगानुपात

क्र.	क्षेत्र	लिंगानुपात		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
नगर पालिका क्षेत्र				
1	छिन्दवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र	939	923	943
ग्रामीण क्षेत्र				
1	गुरैया	805	814	970
2	उसरिया	952	825	1833
3	सुरगी	1060	1189	1216
4	झिरलिंगा	860	784	833
5	चारगांव प्रहलाद	863	1019	804
6	लकड़ाई जम्होड़ी	971	965	989
7	खापामिट्ठे खॉ	681	815	936
8	डुडासिवनी	736	855	978
9	सारना	963	906	953
10	पखड़िया	875	760	1333
11	अतरवाड़ा	832	953	818

क्र.	क्षेत्र	लिंगानुपात		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
12	मालहनवाड़ा	1093	850	1085
13	कुकड़ाचिमन	1019	803	1224
14	चारगांव भाट	1105	1800	941
15	थुनिया उदना	913	850	1011
16	मोआदेई	712	816	1021
17	मानेगांव	708	958	1027
18	डुंगरिया	889	1216	851
19	मुरमारी	861	1013	750
20	अर्जुनवाड़ी	1056	1081	731
21	शिकारपुर	1027	1266	889
22	पौनारी	852	1069	1129
23	देवर्धा	1000	1000	1174
24	लिंगा	965	875	839
25	जैतपुर खुर्द	1160	650	1038
26	गाडरवाड़ा	1625	980	1265
27	सालीमेटा	786	1227	1056
28	खुनाझिरकलां	923	921	1101
29	खेरवाड़ा	1066	1019	1000
30	कुण्डालीकलां	914	863	838
ग्रामीण क्षेत्र		910	920	958
छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र		933	923	946



सारणी 3.16 वार्ड अनुसार शिशु लिंगानुपात

Ward Wise Child Sex Ratio

(Minimum Value-761.72 Maximum Value-1310.34)

No.	Range	Ward Number	Total Ward
1	2	3	4
1	>1100	14, 16, 37, 38	4
2	1000-1100	1, 4, 8, 13, 19, 23,	6
3	900-1000	2, 5, 6, 12, 17, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35	16
4	800-900	3, 7, 9, 11, 18, 20, 27, 33, 36, 39	10
5	<800	10, 15, 29	3
TOTAL			39

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

3.5.4 साक्षरता

साक्षरता प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में से एक है जो किसी भी क्षेत्र के विकास पथ की रूपरेखा तैयार करने में सहायक है। जनगणना 2011 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर, छिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम क्षेत्र की साक्षरता दर से कम है। निवेश क्षेत्र में सबसे अधिक साक्षरता दर 77.64 प्रतिशत, छिन्दवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में दर्ज की गयी है। जनगणना 2011 अनुसार निवेश क्षेत्र में सबसे कम साक्षरता दर 51.62 प्रतिशत, अतरवाड़ा में दर्ज की गयी है (सारणी क्रमांक 3.18)। निवेश क्षेत्र में महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर से कम है। इसलिये, महिला साक्षरता दर में वृद्धि के लिये अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

सारणी 3.17 साक्षर जनसंख्या

क्र.	क्षेत्र	2001			2011		
		साक्षर पुरुष	साक्षर महिला	साक्षरों की संख्या	साक्षर पुरुष	साक्षर महिला	साक्षरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
नगर पालिक निगम क्षेत्र							
1	छिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम क्षेत्र	70749	55119	125868	89904	77518	167422
ग्रामीण क्षेत्र							
1	गुरैया	1969	1309	3278	2306	1740	4046
2	उसरिया	150	102	252	227	163	390
3	सुरगी	172	96	268	248	184	432
4	झिरलिंगा	428	287	715	535	409	944
5	चारगांव प्रहलाद	450	275	725	532	404	936

क्र.	क्षेत्र	2001			2011		
		साक्षर पुरुष	साक्षर महिला	साक्षरों की संख्या	साक्षर पुरुष	साक्षर महिला	साक्षरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
6	लकड़ाई जम्होड़ी	432	277	709	514	405	919
7	खापामिट्ठे खाँ	232	155	387	249	175	424
8	दुड़ासिवनी	363	306	669	362	238	600
9	सारना	878	575	1453	1137	919	2056
10	पखड़िया	131	81	212	194	169	363
11	अतरवाड़ा	327	145	472	411	258	669
12	माल्हनवाड़ा	281	149	430	468	361	829
13	कुकड़ाचिमन	229	136	365	259	163	422
14	चारगांव भाट	95	44	139	135	94	229
15	थुनिया उदना	451	242	693	472	354	826
16	मोआदेई	251	161	412	322	222	544
17	मानेगांव	401	271	672	427	281	708
18	झुंगरिया	223	121	344	337	237	574
19	मुरमारी	264	183	447	266	176	442
20	अर्जुनवाड़ी	352	210	562	410	336	746
21	शिकारपुर	326	226	552	390	332	722
22	पौनारी	167	95	262	162	103	265
23	देवधाँ	49	29	78	96	56	152
24	लिंगा	1359	1052	2411	1577	1230	2807
25	जैतपुर खुर्द	117	87	204	103	103	206
26	गाडरवाड़ा	204	154	358	261	178	439
27	सालीमेटा	88	62	150	105	90	195
28	खुनाझिरकलाँ	506	351	857	651	527	1178
29	खेरवाड़ा	462	328	790	614	446	1060
30	कुण्डालीकलाँ	841	587	1428	910	710	1620
	ग्रामीण क्षेत्र	12198	8096	20294	14680	11063	25743
	छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र	82947	63215	146162	104584	88581	193165

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

सारणी 3.18 साक्षरता दर

क्र.	क्षेत्र	साक्षरता दर		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
नगर पालिक निगम क्षेत्र				
1	छिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम क्षेत्र	61.13	71.39	77.64
ग्रामीण क्षेत्र				
1	गुरैया	45.90	62.63	65.93
2	उसरिया	47.47	57.14	74.57
3	सुरगी	26.52	45.89	65.45
4	झिरलिंगा	33.95	58.65	68.26
5	चारगांव प्रहलाद	32.70	53.66	65.73
6	लकड़ाई जम्होड़ी	29.30	49.79	59.95
7	खापामिटठे खाँ	45.21	61.33	64.34
8	डुडासिवनी	34.91	73.44	64.72
9	सारना	43.91	56.65	68.51
10	पखड़िया	18.98	53.00	71.74
11	अत्तरवाड़ा	25.43	42.64	51.62
12	माल्हनवाड़ा	13.30	38.95	67.84
13	कुकड़ाचिमन	34.83	53.60	57.41
14	चारगांव भाट	40.82	53.05	65.06
15	थुनिया उदना	24.48	51.91	57.68
16	मोआदेई	30.54	60.86	63.77
17	मानेगांव	24.80	66.67	61.57
18	डुंगरिया	15.61	44.68	56.94
19	मुरमारी	32.19	61.40	57.33
20	अर्जुनवाडी	35.82	50.09	64.59
21	शिकारपुर	36.64	55.81	67.79
22	पौनारी	31.18	58.88	57.86
23	देवधाँ	25.62	51.66	54.29
24	लिंगा	53.37	68.44	73.62
25	जैतपुर खुर्द	37.06	65.59	64.78
26	गाडरवाड़ा	23.83	64.16	66.62

क्रं.	क्षेत्र	साक्षरता दर		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
27	सालीमेटा	49.27	52.82	67.01
28	खुनाझिरकलां	38.11	56.01	65.96
29	खेरवाड़ा	28.65	60.12	66.83
30	कुण्डालीकलां	45.11	62.60	67.11
	ग्रामीण क्षेत्र	37.28	58.08	65.34
	छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र	49.88	69.19	75.74


स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

सारणी 3.19 पुरुष साक्षरता दर

क्रं.	क्षेत्र	पुरुष साक्षरता दर		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
नगर पालिक निगम क्षेत्र				
1	छिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम क्षेत्र	68.77	77.26	81.50
ग्रामीण क्षेत्र				
1	गुरैया	56.23	71.16	73.53
2	उसरिया	57.21	63.83	81.36
3	सुरगी	36.44	57.33	74.03
4	झिरलिंगा	44.77	67.30	74.31
5	चारगांव प्रहलाद	42.16	64.75	72.98
6	लकड़ाई जम्होड़ी	40.08	59.75	67.01
7	खापामिट्ठे खाँ	58.89	70.09	70.54
8	झुडासिवनी	42.73	77.23	73.88
9	सारना	56.57	65.33	74.75
10	पखड़िया	30.14	60.93	77.29
11	अतरवाड़ा	36.31	55.14	59.65
12	मालहनवाड़ा	23.84	48.45	73.93
13	कुकड़ाचिमन	45.74	63.43	68.7
14	चारगांव भाट	59.22	68.84	73.77
15	थुनिया उदना	35.38	63.61	65.74
16	मोआदेई	38.18	70.31	72.52

क्र.	क्षेत्र	पुरुष साक्षरता दर		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
17	मानेगांव	35.11	75.09	71.76
18	झुंगरिया	23.89	56.31	64.56
19	मुरमारी	41.41	70.40	64.72
20	अर्जुनवाड़ी	45.79	60.69	69.14
21	शिकारपुर	47.58	66.80	73.86
22	पौनारी	40.00	70.76	68.07
23	देवर्धा	35.83	59.76	63.16
24	लिंगा	64.60	75.70	79.65
25	जैतपुर खुर्द	51.90	73.60	70.55
26	गाडरवाड़ा	34.70	70.10	77.22
27	सालीमेटा	60.60	59.50	71.92
28	खुनाझिरकलां	51.50	65.00	73.39
29	खेरवाड़ा	43.90	70.20	75.71
30	कुण्डालीकलां	55.40	71.90	73.86
ग्रामीण क्षेत्र		48.20	67.20	72.66
छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र		65.00	75.60	80.13

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011




स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

सारणी 3.20 महिला साक्षरता दर

क्रं.	क्षेत्र	महिला साक्षरता दर		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
नगर पालिका निगम क्षेत्र				
1	छिन्दवाड़ा नगर पालिका निगम क्षेत्र	52.76	65.05	73.59
ग्रामीण क्षेत्र				
1	गुरैया	34.67	53.06	57.98
2	उसरिया	36.7	49.51	66.8
3	सुरगी	16.07	33.8	56.62
4	झिरलिंगा	22.15	49.23	61.69
5	चारगांव प्रहलाद	22.63	41.92	58.13
6	लकड़ाई जम्होड़ी	17.85	39.51	52.87
7	खापामिट्रे खाँ	29.96	51.67	57.19
8	डुडासिवनी	26.09	69.39	54.46
9	सारना	29.7	47.09	62.09
10	पखड़िया	8.05	43.78	66.27
11	अतरवाड़ा	14.08	28.21	42.5
12	माल्हनवाड़ा	2.2	28.44	61.29
13	कुकड़ाचिमन	23.64	42.5	45.53
14	चारगांव भाट	20.43	35.48	55.62
15	थुनिया उदना	13.36	38.66	49.58
16	मोआदेई	21.97	50.31	54.28
17	मानेगांव	13.78	57.17	50.63
18	झुंगरिया	6.98	32.35	48.77
19	मुरमारी	21.68	51.84	48.89
20	अर्जुनवाड़ी	25.36	38.75	59.79
21	शिकारपुर	25.48	45.11	61.82
22	पौनारी	21.18	45.45	46.82
23	देवर्धा	10.84	42.03	43.75
24	लिंगा	41.91	60.91	67.1
25	जैतपुर खुर्द	21.57	57.24	59.88
26	गाडरवाड़ा	12.14	57.68	55.45

क्र.	क्षेत्र	महिला साक्षरता दर		
		1991	2001	2011
1	2	3	4	5
27	सालीमेटा	36.46	45.59	62.07
28	खुनाझिरकलां	24.08	46.74	58.62
29	खेरवाड़ा	14.16	50	57.55
30	कुण्डालीकलां	34	52.84	60.07
	ग्रामीण क्षेत्र	25.6	48.21	57.64
	छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र	47.71	62.26	71.13

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011



स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

सारणी 3.21 पुरुष—महिला साक्षरता दर में अन्तर

क्र.	क्षेत्र	1991	2001	2011
1	2	3	4	5
1	छिन्दवाड़ा नगर पालिका निगम क्षेत्र	16.01	12.21	7.91
2	ग्रामीण क्षेत्र	22.63	19.01	15.02
3	छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र	17.32	13.34	9.00

स्रोत: भारत की जनगणना 1991, 2001 एवं 2011

सारणी 3.22 वार्ड अनुसार साक्षरों की जनसंख्या प्रतिशत

Ward Wise Literacy (Minimum Value-68.58 Maximum Value-87.86)			
No.	Literacy	Ward Number	Total Ward
1	2	3	4
1	>85	14, 29, 31	3
2	80-85	1, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39	20
3	75-80	2, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 38	12
4	70-75	10, 16, 17	3
5	<70	18	1
TOTAL			39


स्रोत: भारत की जनगणना 2011

3.5.5 अनुसूचित जाति

जनगणना 2001 अनुसार छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 27925 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 39115 हो गयी है। पिछले दशक में छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या वृद्धि दर 40.07 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 में छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 13.22 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 14.49 प्रतिशत हो गयी है।

सारणी 3.23 अनुसूचित जाति महिला-पुरुष की जनसंख्या

क्र.	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जाति पुरुष	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जाति पुरुष	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
नगर पालिका निगम क्षेत्र							
1	छिन्दवाड़ा नगर पालिका निगम क्षेत्र	11047	10336	21383	14699	14218	28917
ग्रामीण क्षेत्र							
1	गुरेया	686	611	1297	770	695	1465



क्र.	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जाति पुरुष	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जाति पुरुष	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
2	उसरिया	63	48	111	73	68	141
3	सुरगी	27	25	52	26	25	51
4	झिरलिंगा	29	32	61	30	31	61
5	चारगांव प्रहलाद	263	243	506	231	217	448
6	लकड़ाई जम्होड़ी	145	137	282	160	180	340
7	खापामिट्ठे खॉ	80	62	142	90	81	171
8	डुडासिवनी	138	128	266	129	118	247
9	सारना	366	349	715	411	410	821
10	पखड़िया	46	38	84	53	53	106
11	अतरवाड़ा	14	17	31	14	12	26
12	माल्हनवाड़ा	66	53	119	69	63	132
13	कुकड़ाचिमन	58	43	101	60	44	104
14	चारगांव भाट	46	40	86	53	57	110
15	थुनिया उदना	114	93	207	103	98	201
16	मोआदेई	32	24	56	30	26	56
17	मानेगांव	9	12	21	14	14	28
18	डुंगरिया	17	11	28	35	25	60
19	मुरमारी	27	32	59	25	17	42
20	अर्जुनवाड़ी	57	59	116	57	60	117
21	शिकारपुर	97	110	207	85	100	185
22	पौनारी	95	91	186	92	83	175
23	देवर्धा	21	25	46	37	34	71
24	लिंगा	243	247	490	244	236	480
25	जैतपुर खुर्द	41	43	84	39	60	99

क्र.	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जाति पुरुष	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या	अनुसूचित जाति पुरुष	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
26	गाडरवाड़ा	48	40	88	40	42	82
27	सालीमेटा	0	0	0	0	0	0
28	खुनाझिरकलां	103	106	209	120	123	243
29	खेरवाड़ा	116	108	224	152	134	286
30	कुण्डालीकलां	338	330	668	363	340	703
ग्रामीण क्षेत्र		3385	3157	6542	3605	3446	7051
छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र		14432	13493	27925	19913	19202	39115

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011



स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011



स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

3.5.6 अनुसूचित जनजाति

जनगणना 2001 अनुसार छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 32400 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 40031 हो गयी है। पिछले दशक में छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वृद्धि दर 23.55 प्रतिशत थी।

सारणी 3.24 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

क्र.	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
नगर पालिका निगम क्षेत्र							
1	छिन्दवाड़ा नगर पालिका निगम क्षेत्र	11404	10996	22400	14446	14181	28627
ग्रामीण क्षेत्र							
1	गुरैया	417	354	771	442	451	893
2	उसरिया	70	66	136	83	75	158
3	सुरगी	107	106	213	106	112	218
4	झिरलिंगा	163	166	329	196	194	390
5	चारगांव प्रहलाद	197	201	398	250	251	501
6	लकड़ाई जम्होड़ी	267	277	544	297	295	592
7	खापामिट्ठे खॉ	8	8	16	7	7	14
8	झुड़ासिवनी	117	106	223	128	122	250
9	सारना	246	236	482	294	293	587
10	पखड़िया	117	102	219	125	134	259
11	अतरवाड़ा	195	190	385	238	218	456
12	माल्हनवाड़ा	303	290	593	279	281	560
13	कुकड़ाचिमन	62	48	110	84	87	171
14	चारगांव भाट	23	23	46	25	26	51
15	थुनिया उदना	110	101	211	107	120	227
16	मोआदेई	153	130	283	199	177	376
17	मानेगांव	260	227	487	305	299	604
18	झुंगरिया	307	292	599	364	361	725


क्र.	क्षेत्र	2001			2011		
		अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुसूचित जनजाति महिला	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
19	मुरमारी	261	246	507	287	247	534
20	अर्जुनवाड़ी	137	153	290	112	122	234
21	शिकारपुर	106	109	215	123	142	265
22	पौनारी	63	50	113	77	75	152
23	देवधारा	31	27	58	67	55	122
24	लिंगा	64	65	129	62	47	109
25	जैतपुर खुर्द	23	24	47	16	20	36
26	गाडरवाड़ा	227	211	438	255	238	493
27	सालीमेटा	63	65	128	59	63	122
28	खुनाड़िश्वरकलां	400	375	775	453	442	895
29	खेरवाड़ा	248	251	499	303	292	595
30	कुण्डालीकलां	381	375	756	406	409	815
ग्रामीण क्षेत्र		5126	4874	10000	5749	5655	11404
छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र		16530	15870	32400	20195	19836	40031


स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

अनुसूचित जाति महिला जनसंख्या



स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011





स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

सारणी 3.25 वार्ड अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

Ward Wise SC/ST Population (Minimum Value-0.72 Maximum Value-46.51)			
No.	SC ST Population	Ward Number	Total Ward
1	2	3	4
1	>26	1, 4, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 24, 39	12
2	21-26	2, 3, 30, 35	4
3	16-21	7, 15, 31, 32, 33, 34, 38	7
4	11-16	20, 25, 36	3
5	6-11	5, 11, 23, 26, 27, 29	6
6	<6	12, 13, 14, 21, 22, 28, 37	7
TOTAL			39


स्रोत: भारत की जनगणना 2011


3.5.7 कार्यशील जनसंख्या

रोजगार के विभिन्न संसाधनों के राष्ट्रीय वर्गीकरण के आधार पर नगर में निवासरत कार्यशील जनसंख्या के गुणात्मक प्रभाव की विवेचना की जाती है, जिसके तहत कृषि एवं उस पर आधारित/आश्रित श्रमिक गृह उद्योग एवं उत्पादन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक तथा व्यापार/व्यवसाय एवं सेवा में कार्यरत श्रमिक को समाहित किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार श्रमिकों को काश्तकार, कृषि श्रमिक, घरेलू उद्योग श्रमिक एवं अन्य श्रमिक की श्रेणियों में बाँटा गया है। वर्ष 2001 में छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में कुल श्रमिकों की तुलना में मुख्य श्रमिकों का अनुपात 86.60 था जो वर्ष 2011 में बढ़कर 87.15 हो गया।

सारणी 3.26 कुल श्रमिकों की तुलना में मुख्य श्रमिकों का अनुपात (प्रतिशत)

क्र.	क्षेत्र	कुल श्रमिकों में मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत	
		2001	2011
1	2	3	4
नगर पालिक निगम क्षेत्र			
1	छिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम क्षेत्र	90.32	90.14
ग्रामीण क्षेत्र			
1	गुरैया	70.44	85.86
2	उसरिया	57.75	8.66
3	सुरगी	63.85	96.51
4	झिरलिंगा	92.19	99.28
5	चारगांव प्रहलाद	82.69	46.55
6	लकड़ाई जम्होड़ी	96.97	97.37
7	खापामिट्ठे खॉ	97.20	90.91
8	डुडासिवनी	74.79	72.97
9	सारना	66.98	51.26
10	पखड़िया	58.87	99.62
11	अतरवाड़ा	62.44	98.95
12	माल्हनवाड़ा	71.86	21.08
13	कुकड़ाचिमन	63.39	100.00
14	चारगांव भाट	79.59	99.51
15	थुनिया उदना	87.13	98.17
16	मोआदेई	47.87	59.90
17	मानेगांव	59.04	53.14
18	डुंगरिया	89.25	28.93
19	मुरमारी	95.67	50.00
20	अर्जुनवाड़ी	51.70	54.08
21	शिकारपुर	73.71	65.21
22	पौनारी	59.38	71.01
23	देवधाँ	98.72	99.05
24	लिंगा	87.78	95.16
25	जैतपुर खुर्द	44.54	45.45
26	गाडरवाड़ा	34.83	85.98
27	सालीमेटा	48.62	47.79
28	खुनाझिरकलां	57.95	87.73
29	खेरवाड़ा	59.01	64.36
30	कुण्डालीकलां	78.00	79.23





क्रं.	क्षेत्र	कुल श्रमिकों में मुख्य श्रमिकों का प्रतिशत	
		2001	2011
1	2	3	4
	ग्रामीण क्षेत्र	72.43	74.72
	छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र	86.60	87.15

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 एवं 2011

3.6 नगरीय विस्तार

छिन्दवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र का सर्वप्रथम गठन सन् 1867 में नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत किया गया, जिसका क्षेत्रफल 11.33 वर्ग किलोमीटर था। म.प्र. राजपत्र दिनांक 19.09.2014 को भाग-2 के पृष्ठ क्रमांक 3688 पर प्रकाशित सूचना क्रमांक 1534-ए/परिसीमन छिन्दवाड़ा द्वारा नगर पालिक निगम क्षेत्र को 48 वार्डों में विभक्त किया गया है। वर्तमान नगर पालिक निगम का क्षेत्रफल लगभग 117.0 वर्ग किलोमीटर है (जी.आई.एस. अनुसार)।

सारणी 3.27 नगरीय विस्तार एवं वार्डों की संख्या

क्रं.	वर्ष	वार्ड की संख्या
1	2	3
1.	1867	नगर पालिक स्थापना
2.	1975	27
3.	1984	35
4.	1994	39
5.	2014	48

स्रोत : छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 एवं नगर पालिक निगम

वर्ष 2006 के पूर्व नगरीय गतिविधियाँ प्रमुखतः छिन्दवाड़ा के संस्पर्शी क्षेत्र तक केंद्रित थी, किन्तु वर्ष 2010–2019 की समयावधि में नगर विस्तार नागपुर, परासिया, सिवनी एवं नरसिंहपुर मार्ग के आस-पास के क्षेत्र में हुआ है।

3.7 गंदी बस्तियाँ

छिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम से प्राप्त आंकड़ों अनुसार गंदी बस्तियों में 33 झुग्गी झोपड़ियाँ क्षेत्र हैं तथा 5055 परिवार निवास करते हैं। इस प्रकार गंदी बस्ती में निवास कर रही जनसंख्या नगर की कुल जनसंख्या का लगभग 9.38 प्रतिशत है।

3.8 अनुमानित जनसंख्या


छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 1991 में 153768 थी, जो 2001 में 211252 तथा 2011 में बढ़कर 255039 हो गई (सारणी क्रमांक 3.6)। नगर की भावी आवश्यकताओं का

निर्धारण मुख्यतः भावी अनुमानित जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। नगर की जनसंख्या अनुमानित करने में विभिन्न घटक जैसे नगर की जनसंख्या वृद्धि दर, आर्थिक रूप रेखा, शासन की औद्योगिक नीति आदि को विशेष महत्व दिया जाना आवश्यक है। छिन्दवाड़ा नगर की जनसंख्या का अनुमान क्षेत्रीय महत्व आदि को भी दृष्टिगत रखते हुये किया गया है। वर्ष 2035 की भावी जनसंख्या के आकलन करने हेतु, वर्ष 1991 से 2011 तक की जनगणना जानकारी एकत्र की गई, एवं विभिन्न सांखियकी पद्धति के आधार पर अंकगणितीय वृद्धि पद्धति, ज्यामितीय वृद्धि पद्धति, इंक्रीमेंटल वृद्धिपद्धति एवं घातांकीय वृद्धि पद्धति द्वारा की गई।

सारणी 3.28 छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035)

क्र.	जनसंख्या अनुमानित पद्धति	2035
1	2	3
1	वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)	377611
2	अंकगणितीय वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method)	367348
3	ज्यामितीय वृद्धि पद्धति (Geometric Method)	456015
4	घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Method)	504244

स्रोतः— भारत की जनगणना 2011



अतः अनुमानित जनसंख्या हेतु अधिकतम जनसंख्या 504244 घातांकीय वृद्धि पद्धति का उपयोग करते हुये प्रक्षेपित की गई है, जिसके आधार पर वर्ष 2035 की जनसंख्या 5.00 लाख अनुमानित करते हुये विकास योजना के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

3.9 आवास आवश्यकता

नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा जानकारी अनुसार 2020 तक आवासों की संख्या 52653 उपलब्ध है। वर्ष 2035 तक कुल 58458 आवासों की आवश्यकता होगी। इस आधार पर परिवार का आकार 4.5 व्यक्ति आता है।

सारणी 3.29 वर्ष 2020 अनुसार आवास आवश्यकता

क्र.	विवरण	आवासों की संख्या
1	2	3
1	वर्ष 2020 तक आवासों की संख्या	52653
2	वर्ष 2035 तक आवासों की आवश्यकता	58458

स्रोत: नगर पालिक निगम, छिन्दवाड़ा, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा अनुमानित

3.10 भौतिक अधोसंरचना

वर्ष 2035 तक छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 5.00 लाख तक पहुँचना अनुमानित है। नगर अधोसंरचना के घटकों का विकास जैसे जल प्रदाय, निकासी नालियां तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को इस प्रकार प्रस्तावित किया जाना है, जिससे नगर वासियों को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त नगर विकास योजना, वृहद् पर्यावरणीय प्रबंध योजना तथा नगरीय जल प्रदाय एवं पर्यावरणीय सुधार योजना के प्रस्ताव भी यथा आवश्यक उचित सुधारों के साथ इस विकास योजना में समाविष्ट किया जाना है।

3.10.1 जल प्रदाय

छिन्दवाड़ा नगर में वर्तमान स्थिति के अनुसार जल प्रदाय का प्रमुख जल स्रोत कन्हरगांव डैम (जलाशय) एवं माचागोरा (पिंच डैम) हैं। नगर में जल प्रदाय हेतु 39 जल संग्रहण टंकिया उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से शहर में जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक नल कूपों एवं कुओं से जल प्रदाय किया जाता है। छिन्दवाड़ा नगर में वर्तमान जल प्रदाय हेतु ग्राम चंदनगांव में भरतादेव फिल्टर प्लांट में 27 एम.एल.डी एवं ग्राम खापाभाट में धरमटेकड़ी में 22 एम.एल.डी के जल शोधन संयंत्र स्थित हैं। अतः नगर में कुल 49 एम.एल.डी. शोधन क्षमता एवं जल प्रदाय करने हेतु कुल जल संग्रहण क्षमता 119.50 एम.एल.डी. उपलब्ध है। जिसके अनुसार वर्तमान में शहर में केवल 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की जल प्रदाय क्षमता है।

3.10.1.1 मांग का आकलन एवं जल प्रदाय स्रोत (Demand & Gap Analysis)

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की जल प्रदाय एवं उपचार हेतु जारी निर्देशिका में यह सुझाव दिया गया है कि उन बड़े शहरों में जहां जल प्रदाय रास्ता

अस्तित्व में हो या बनाई जाने वाली हो वहां प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन 150 लीटर पानी प्रदाय किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय बिल्डिंग संहिता, जल प्रदाय की आधारमूल आवश्यकता निकासी एवं स्वच्छता प्रबंध संहिता (आई.एस.: 1172—1983) में न्यूनतम 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय ऐसे सभी निवासियों के लिये जहां मल निकासी के लिये पूर्ण तेज बहाव (फलस) व्यवस्था हो, किये जाने का अनुमोदन किया गया है।

अतः 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय पाइप लाइन से किया जाये तो इस दर से शहर में निम्नानुसार जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी :—

सारणी 3.30 जल आपूर्ति आकलन

क्रं.	वर्ष	जनसंख्या	जल आपूर्ति मात्रा (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	कुल जल आपूर्ति मात्रा (एम.एल.डी. में)
1	2	3	4	5
1	2011	215642	135	29.11
2	2035	500000	135	67.50

वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 5.00 लाख के लिए 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की आवश्यकता अनुसार कुल 60.75 एम.एल.डी. जल की आवश्यकता होगी। भविष्य में छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में जल संग्रहण क्षमता पर्याप्त उपलब्ध है।


यह प्रस्तावित है कि वर्ष 2035 तक पर्याप्त प्रदाय दबाव सहित नगर की 100 प्रतिशत जनसंख्या को पाईप द्वारा जल प्रदाय व्यवस्था में सम्मिलित किया जावे। वर्तमान में नगर लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या को ही पाईप द्वारा जल प्रदाय उपलब्ध है।

पेयजल के दुरुपयोग को रोकने तथा प्रदाय व्यवस्था में उच्चतर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सेवा मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जब तक उन्हें जल के वास्तविक उपयोग पर आधारित न किया जावे। जल दरों की व्यवस्था का निर्माण दक्षताओं हेतु आवश्यक है।

3.10.2 नालियां तथा मल उपचार

घरेलू मल निकासी हेतु सेनेटिरी नालियां तथा वर्षा जल की निकासी हेतु वर्षा जल प्रवाह नालियां, इस प्रकार पृथक—पृथक नालियां उपलब्ध कराई जाएंगी। शहर में निकासी व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए हैं :—

1. 100 प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था।
2. जल निकासी व्यवस्था का निर्धारण तथा सेवाओं पर निगरानी।
3. अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु उपचारण, पुर्नचक्रीकरण व पुनः उपयोग।
4. वाणिज्यिक स्थानों, बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सशुल्क शौचालय।



5. पर्यटकों की सुविधा हेतु चलित-शौचालय अथवा स्वच्छ आधुनिक (मॉड्यूलर) / जैविक शौचालय की व्यवस्था।
6. जन सामान्य हेतु उक्त सभी व्यवस्थायें आर्थिक रूप से वहन किए जाने योग्य होगी।

3.10.2.1 अपशिष्ट जल प्रवाह

अपशिष्ट जल प्रवाह की दर जनसामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा भू-जल रिसावों की दर पर निर्भर करती है। सामान्य व्यवहार के अनुसार अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल प्रवाह में परिवर्तित होता है। सामान्यतः अधिकांश क्षेत्र में पाईप लाईनों का स्तर भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तावित है और इसलिए भूमि जल रिसाव को अनदेखा कर दिया जाता है। भूमि जल रिसाव के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट वैज्ञानिक तथा तकनीकी अध्ययन अनुसार तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे जल संसाधन का अधिकतम संरक्षण किया जा सके।

- **फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट**

छिन्दवाड़ा नगर में शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट जल प्रबंधन/उपचार के लिए ग्राम सर्ग में 280 के.एल.डी. की क्षमता का फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थित है। वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 5.00 लाख के लिए फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट केवल घरों के शौचालय/सेप्टिक टैंक से निकलने वाले मल एवं अपशिष्ट जल के उपचारण हेतु उपयोगी है। इसके द्वारा सामान्यतः अपशिष्ट जल का उपचारण नहीं किया जाता है, जो कि अनुमानतः जल उपभोग का 25 प्रतिशत होता है।

वर्तमान में शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप अपशिष्ट जल, अनुपचारित ही नालियों के माध्यम से बड़े नालों में प्रवाहित हो रहा है। अतः नगर के नियोजित विकास के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं सीवरेज प्रणाली का विकास किया जाना प्रस्तावित है। उक्त हेतु विकास योजना में ग्राम सर्ग में कुलबहेरा नदी से लगकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या 5.00 लाख अनुसार 50 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र की आवश्यकता है।

3.10.2.2 वर्षा जल निकासी

छिन्दवाड़ा शहर में स्थित पहाड़ियों के कारण पानी का निकास बहुत जल्दी हो जाता है। शहर में स्थित मध्य तथा निचले क्षेत्र में भूमिगत अथवा खुले नालों की व्यवस्था के अभाव में पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिससे इन क्षेत्रों में पानी भर जाता है। नगर के मध्य तथा निचले क्षेत्रों में भूमिगत नालियों एवं खुली नालियों की अत्यंत आवश्यकता है। जिससे जल निकासी सुगमता से हो सके।

3.10.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नगर में प्रतिदिन लगभग 65 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ठोस अपशिष्ट के विसर्जन हेतु ग्राम खजरी में खसरा नंबर 228 का रकबा 9.146 हेक्टेयर भूमि प्रशासन द्वारा नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा को आवंटित की गई है। नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा द्वारा इस भूमि को लेण्ड फिल साइट के रूप में उपयोग में लायी जाती है। नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा द्वारा वैज्ञानिक तरीके से बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का पृथक्कीकरण करके ठोस अपशिष्ट निष्पादन की कार्यवाही की जा रही है।

छिन्दवाड़ा शहर से निकलने वाले कचरे को नगर पालिक निगम की कचरा संग्रहण वाहन (Door To Door Collection) के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है तदोपरांत ट्रेचिंग ग्राउण्ड क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का शोधन किया जाता है, जिसमें वर्तमान में घरों एवं शहर के अन्य हिस्सों से प्राप्त होने वाला गीला एवं सूखा कचरा (ठोस अपशिष्ट पदार्थ), को जैविक एवं अकार्बनिक प्रक्रिया से जैविक खाद के रूप में तैयार किया जाता है।

छिन्दवाड़ा शहर के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्नलिखित योजना प्रस्तावित है—

- तालाबों एवं मार्गों के किनारों पर नागरिकों द्वारा गंदगी फैलने वाले, गंदगी के स्थानों का चिन्हित करने के उपरांत उन जगहों पर कचरा पेटी लगाई जाना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया का बेहतर प्रबंधन छिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम द्वारा किया जाना चाहिये।

3.10.4 विद्युत प्रदाय

नगर में विद्युत वितरण म.प्र. विद्युत मण्डल विभाग छिन्दवाड़ा द्वारा प्रदाय किया जाता है। राष्ट्रीय विद्युत पॉलिसी-2005 के मापदण्ड अनुसार वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या अनुसार विद्युत प्रदाय की क्षमता पर्याप्त है।

3.11 सामाजिक अधोसंरचना


3.11.1 अग्निशमन


छिन्दवाड़ा नगर का वर्तमान में अग्निशमन केंद्र नगर पालिक निगम कार्यालय परिसर में स्थित है, जिसके द्वारा शहर में आगजनी की स्थिति को नियंत्रण किया जाता है। शहर की प्रस्तावित वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नवीन अग्निशमन केन्द्र छिन्दवाड़ा नगर पालिक निगम द्वारा विकसित किया जाना एवं अग्निशमन वाहनों की संख्या में वृद्धि करना प्रस्तावित है।


3.11.2 पुलिस कार्यालय

छिन्दवाड़ा नगर में मुख्यतः 3 पुलिस थाने स्थित हैं जो की क्रमशः ग्राम सिवनी प्राणमोती में कुंडीपुरा थाना, ग्राम पोआमा में देहात थाना एवं शहर के मध्य सिटी कोतवाली









स्थित है। एक अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु पुलिस थाना शहर के मध्य पुलिस परेड ग्राउण्ड में स्थित है। वर्तमान में शहर के अंदर शहर के मध्य करबला चौक पर यातायात पुलिस कार्यालय/थाना उपलब्ध है।

3.11.3 वाचनालय

वर्तमान में 3 वाचनालय संचालित है। शहर की प्रस्तावित वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर नवीन वाचनालय विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

3.11.4 शमशान घाट / कब्रिस्तान

वर्तमान में निवेश क्षेत्र में 17 शमशान घाट एवं 4 कब्रिस्तान स्थित है। साथ ही भविष्य में शमशान घाट/कब्रिस्तान प्रस्तावित किया जाना उचित होगा।

3.11.5 धोबी घाट

नगर में वर्तमान में धोबी घाट छोटा तालाब से लगकर स्थित है। जिसके तालाबों का जल प्रदूषित होता है। अतः इस समस्या के निदान हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा धोबी घाट विकास किया जाना चाहिए।

3.11.6 दूरसंचार

छिन्दवाड़ा नगर में दूरसंचार के साधन में विभिन्न कम्पनियों के कुल 159 (बी.एस.एन.एल., आईडिया, ऐयरटेल, रिलायंस) मोबाइल टॉवर स्थापित हैं। जो शहर में सुचारू रूप से संचार सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त 28 डाक घर एवं 102 दूरभाष केंद्र हैं।

3.11.7 सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं

सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं वर्तमान में ए.टी.एम. एवं वर्तमान सार्वजनिक शौचालयों की जानकारी मानचित्र में दर्शायी गयी है।

3.11.8 सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा

वर्तमान में छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में खाना बनाने में एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों के माध्यम से घरों में पहुंचाई जाती है। प्रस्तावित विकास योजना 2035 में सी.एन.जी. गैस पाइप लाइन द्वारा गैस की सप्लाई दी जाना प्रस्तावित है।

अध्याय—4 प्रस्तावित भूमि उपयोग

भूमि उपयोग योजना को नगरीय और ग्रामीण समुदायों के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक दक्षता, स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भूमि, संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं के वैज्ञानिक, कलात्मक, और व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है।

भूमि उपयोग योजना का लक्ष्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिये सुविधाजनक, न्याय संगत, स्वस्थ, कुशल और आकर्षक वातावरण बनाकर लोगों और उनके समुदायों के कल्याण को आगे बढ़ाना है।

4.1 विकास योजना 2011 का पुनर्विलोकन

छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 प्रस्तावित जनसंख्या 2.00 लाख हेतु दिनांक 09.08.2002 से प्रभावशील है। भारत सरकार द्वारा छिन्दवाड़ा नगर को अमृत गाईड लाईन के अनुसार विकास योजना तैयार करने हेतु वर्ष 2018 में चयन किया गया एवं छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 की समयावधि पूर्ण हो चुकी है। अतः नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना 2011 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 5.00 लाख हेतु तैयार की गई है। जिसमें वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर नवीन प्रस्ताव दिये गये हैं, जो नगर के विकास के साथ नगरीय जीवन स्तर के उन्नयन एवं आर्थिक विकास हेतु उपयोगी होंगे।

4.2 योजना अवधारणा

नगर का नैसर्गिक आकार नदी, नाले, पहाड़ एवं नगर के मध्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजमार्ग तथा क्षेत्रीय मार्गों पर निर्भर करता है। नगर का वर्तमान विस्तार मुख्यतः छिन्दवाड़ा—नागपुर मार्ग, छिन्दवाड़ा—परासिया मार्ग, छिन्दवाड़ा—सिवनी मार्ग, एवं छिन्दवाड़ा—नरसिंहपुर मार्ग तथा चांद, गुरैया व खजरी स्थानीय मार्ग के किनारे—किनारे भी विकसित है। नगर का विकास तथा मुख्य गतिविधियाँ भी इन मार्गों के आस—पास संचालित होती है। नगर का भौतिक विकास प्राकृतिक एवं मानव निर्मित बाधाओं से प्रभावित होता है।

वर्तमान में फब्बारा चौक, इंदिरा तिराहा, सत्कार तिराहा, ई०एल०सी० चौक, परासिया नाका, नरसिंहपुर नाका, नागपुर नाका, गोलगंज, गांधीगंज, गुरैया सब्जी मण्डी एवं कृषि उपज मण्डी नगर स्तरीय कार्यकलापों के केन्द्र है। मिश्रित भू—उपयोग के वर्तमान स्वरूप को भी विकास योजना में यथावत रखा जाना प्रस्तावित है। क्षेत्रीय यातायात हेतु बाय—पास मार्ग का प्रस्ताव, स्टेडियम, उद्यान हेतु प्रस्ताव विकास योजना के प्रमुख प्रस्तावों में शामिल है।

वर्तमान में हो रहे विकास की दिशा को दृष्टिंगत रखते हुये नगर का भावी विकास एवं स्वरूप का निर्धारण किया गया है, फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं अर्द्ध

सार्वजनिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रों को प्रस्तावित परिप्रेक्षण संरचना एवं यातायात के द्वारा समुचित रूप में जोड़े जाने की भी आवश्यकता है, ताकि इन सभी क्षेत्रों में आपसी सह-संबंध एवं युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इस प्रकार नगर का विकास एकीकृत रूप से हो सकेगा।

नगर के मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने की दिशा में प्रस्तावित विभिन्न क्षेत्र में इस हेतु उचित प्रावधान किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये नवीन प्रस्ताव रखे गये हैं, ताकि मध्य क्षेत्र में इन गतिविधियों का केन्द्रीकरण हो सके। नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय सुविधाओं के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर सुविधाओं को प्रस्तावित किया गया है।


4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता

छिन्दवाड़ा विकसित क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सावर्जनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं, परिवहन एवं आमोद-प्रमोद क्षेत्र में सम्मिलित हैं। रिक्त भूमि, जलाशय, वन क्षेत्र, ग्रामीण निर्मित क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित नहीं हैं।

यूआर.डी.पी.एफ.आई. (URDPFI) मानक में विभिन्न श्रेणियों के नगरों के लिए व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशासित है। छिन्दवाड़ा मध्यम श्रेणी का नगर है एवं यहां मुख्यतः कम एवं मध्यम ऊँचाई के भवन निर्मित हैं। छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि का चयन करने हेतु समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है, जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएँ एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से "Multicriteria Index" के माध्यम से विश्लेषण है।

4.4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव

अतीत एवं वर्तमान जन सांख्यिकीय संरचना, स्थलाकृति, वनस्पति, जीव, परिवहन तंत्र, भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना और भविष्य की जनसंख्या जैसे कारकों को ध्यान में रखकर छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र के लिये प्रस्तावित विकास योजना 2035 का भूमि उपयोग इस प्रकार तैयार किया गया है। छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र का प्रस्तावित और मौजूदा भूमि उपयोग का ब्यौरा नीचे उल्लिखित है।



सारणी 4.1 छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

क्र.	भू-उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र 2011 (हेक्टेयर में)	विकसित क्षेत्र 2020			प्रस्तावित क्षेत्र 2035			
			क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्रियान्वयन का प्रतिशत	उपयोगिता दर	प्रस्तावित क्षेत्र	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4+7)	प्रतिशत	उपयोगिता दर
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1.	आवासीय	905	1216.39	134.41	3.69	2629.14	3845.53	54.71	7.69
2.	वाणिज्यिक	114	73.97	64.89	0.22	47.80	121.77	1.73	0.24
3.	मिश्रित	-	20.69	-	0.06	511.82	532.51	7.58	1.07
4.	औद्योगिक	55	98.84	179.71	0.30	229.5	328.34	4.67	0.66
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	217	298.08	137.36	0.91	70.92	369.00	5.25	0.74
6.	सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ	63	30.95	49.13	0.09	23.04	53.99	0.77	0.11
7.	आमोद-प्रमोद	151	136.98	90.72	0.42	575.41	712.39	10.14	1.42
8.	यातायात एवं परिवहन	369	760.94	206.22	2.31	304.34	1065.28	15.16	2.13
योग		1874	2636.84	140.71	8.01	4391.97	7028.81	100	14.06

स्रोत : जी.आई.एस. विश्लेषण एवं जनगणना 2011

टीप:-

- वर्ष 2035 की प्रक्षेपित जनसंख्या 5,00,000 के अनुसार भूमि उपयोगिता दर की गणना की गई है।

4.4.1 आवासीय

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके। आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्तमान आवासीय सहित 3845.53 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 54.71 प्रतिशत है।

4.4.2 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत् रखते हुये मुख्य मार्गों प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि विकसित हो रहे आवासीय

क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके। वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक सहित 121.77 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 1.73 प्रतिशत है।

4.4.3 मिश्रित

विगत वर्ष में नगरीय विकास के मूल्यान्कन से यह परिलक्षित होता है कि मुख्य मार्गों पर आवश्यकता के अनुसार आवासीय, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास होता है। नियोजन कि दृष्टि से इस प्रकार के उपयोग नगर विकास में गतिशील आयामों के लिए आधार भूत पर्यावरण उत्पन्न करते हैं; जिससे क्षेत्र में गतिशीलता रहती है।

आवासीय परिसरों में बाजार के आर्थिक बल के कारण सामाजिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। बाजार के आर्थिक बल होने के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है, अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे। भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 532.51 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। मिश्रित उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का 7.58 प्रतिशत है।

छिन्दवाड़ा—नागपुर मार्ग, छिन्दवाड़ा—परासिया मार्ग, छिन्दवाड़ा—सिवनी मार्ग एवं छिन्दवाड़ा—नरसिंहपुर मार्ग तथा गुरैया, चक्कर मार्ग व खजरी मार्ग पर मार्ग चौड़ाई के दो गुना मिश्रित भूमि उपयोग (मानचित्र अनुसार) प्रस्तावित किया गया है।

4.4.4 औद्योगिक

नगर में औद्योगिक विकास, स्थानीय खनिज के आधार पर स्थापित होने वाले प्रदूषण रहित एवं लघु व मध्यम औद्योगिक इकाईयों के रूप में प्रस्तावित है। औद्योगिक इकाईयों के लिए ग्राम लहगड़ुआ में विकसित औद्योगिक क्षेत्र के समीप एवं ग्राम अतरवाड़ा में कुल 328.34 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है। औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का 4.67 प्रतिशत है। ग्राम लहगड़ुआ एवं ग्राम अतरवाड़ा के प्रस्तावित औद्योगिक भूमि उपयोग के अंतर्गत 30 मीटर गहराई तक प्रस्तावित वृक्षारोपण समिलित है।

4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक

छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 369.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 5.25 प्रतिशत है।

4.4.6 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें

छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 53.99 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 0.77 प्रतिशत है।

4.4.7 आमोद प्रमोद

सार्वजनिक उद्यानों और खुले स्थलों को सामान्य तौर पर किसी नगर के फेफड़ों के रूप में माना जाता है क्योंकि ये सीमान्त क्षेत्र तक लोगों के सामाजिक एवं भौतिक स्वास्थ्य का दिग्दर्शन कराते हैं। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिये सार्वजनिक उद्यानों, खुले स्थलों, खेल के मैदानों तथा अन्य मनोरंजन सुविधाओं का व्यवस्थित एवं युक्तिसंगत वितरण होना चाहिये। अतः विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु एक युक्तिसंगत योजना विकसित की गयी है। छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित आमोद-प्रमोद भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 712.39 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 10.14 प्रतिशत है।

4.4.8 यातायात एवं परिवहन

भविष्य की जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने और निवेश क्षेत्र के भीतर निरन्तरता बढ़ाने, नई सड़कों का निर्माण तथा वर्तमान सड़कों को चौड़ा करने का प्रस्ताव है। छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन भूमि उपयोग के अन्तर्गत कुल 1065.28 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 15.16 प्रतिशत है।

4.5 निवेश इकाईयाँ

छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र को 3 निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया है। विकास योजना में इन निवेश इकाईयों को आधार मानकर प्रस्ताव दिये गये हैं। ये निवेश इकाईयां वाणिज्यिक, आवासीय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आमोद-प्रमोद की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगी। निवेश इकाई निर्धारण में जनसंख्या एवं मानव निर्मित सीमाओं को आधार माना गया है। प्रत्येक निवेश इकाई को मुख्य कार्यकेन्द्र एवं यातायात संरचना से युक्तियुक्त रूप से जोड़ा गया है, ताकि ये इकाईयां सर्व-सुविधाओं के साथ आत्म निर्भर हो सकें।

4.5.1 क्षेत्रफल वितरण

विकास योजना 2035 के प्रस्तावों में छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र को 3 स्वसक्षम निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया है। परासिया मार्ग से नरसिंहपुर मार्ग के मध्य को निवेश इकाई सीमा माना गया है। परासिया से नरसिंहपुर मार्ग के मध्य भाग को निवेश इकाई क्रमांक 1, नरसिंहपुर मार्ग से नागपुर मार्ग के मध्य भाग को निवेश इकाई क्रमांक 2 एवं नागपुर मार्ग से परासिया मार्ग के मध्य भाग को निवेश इकाई क्रमांक 3 में विभाजित किया गया है। निवेश इकाईवार वर्तमान एवं प्रस्तावित उपयोग का वर्गीकरण सारणी 4.2 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.2 निवेश इकाईयों का विवरण

क्र.	निवेश इकाई	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3
1	निवेश इकाई क्रमांक-1	8839.67
2	निवेश इकाई क्रमांक-2	11148.35
3	निवेश इकाई क्रमांक-3	6376.83
	योग	26364.86

4.6 मध्यवर्ती क्षेत्र

अधिकतर नगरों में विभिन्न गतिविधियों का मुख्य केन्द्र सबसे पुराना क्षेत्र होता है। जहां समय के साथ-साथ नगर स्तरीय गतिविधियाँ आ जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव भी सबसे ज्यादा होते हैं। अन्य नगरों की तरह छिन्दवाड़ा नगर की इस पुरानी बस्ती क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएँ एवं आवश्यकताएँ हैं। इस क्षेत्र में ज्यादातर गतिविधियाँ बुधवारी, इतवारी, गोलगांज, छोटी माता मंदिर, रायल चौक तथा संलग्न बरारीपुरा क्षेत्रों में केन्द्रित हैं।


अतः कार्य संपादन लक्षण एवं गतिविधियों की एकात्मकता को ध्यान में रखते हुये छिन्दवाड़ा नगर की मध्यवर्ती क्षेत्र की सीमा निर्मानुसार निर्धारित की जाती है।

- उत्तर में : विक्रय कर कार्यालय से आजाद चौक, रायल चौक तक हिदायतुल्ला बिलिंग, सिंगोड़ी चौराहा, छोटा तालाब तक।
- पूर्व में : छोटा तालाब से (झाया पॉवर हॉर्झ) शक्ति चौक, गुरुद्वारा तक।
- दक्षिण में : गुरुद्वारा से पोला ग्राउंड तक।
- पश्चिम में : विक्रय कर कार्यालय से पोला ग्राउंड तक।

4.7 अनौपचारिक वर्ग

बेरोजगार एवं सीमित रूप से रोजगार से जुड़े कर्मी जो रोजगार की तलाश में हैं अथवा आर्थिक उन्नति के लिये आशान्वित हैं, अनौपचारिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये वर्ग शहर की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा आवासीय क्षेत्र के लिये सेवा जनसंख्या के रूप में भी कार्य करते हैं।

अनौपचारिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर, यातायात केन्द्रों एवं बड़े आवासीय समूहों के आस-पास स्थापित हो जाती हैं। चूंकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिये



औपचारिक वर्ग के साथ-साथ अनौपचारिक गतिविधियों के लिये भी विकास योजना में प्रस्ताव रखे गये हैं।

अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्रों की योजना, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के उपयोग परिक्षेत्र के नियंत्रित विकास में समाहित एवं सम्मिलित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित हैः—

- सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों का प्रावधान करना जैसे — नगर केन्द्र खण्ड स्तरीय दुकानें व सुविधा दुकान क्षेत्र।
- थोक व्यापार एवं यातायात नगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करना।
- संस्थागत क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद, औद्योगिक क्षेत्रों एवं अवसान केन्द्रों पर खाद्य सेवा प्रदान करने वाली सेवा दुकानें उपलब्ध कराना।
- आवासीय क्षेत्रों के निकट सेवा दुकानें।
- निर्माण स्थलों के समीप अस्थाई रहवास की व्यवस्था करना।

अनौपचारिक सेक्टर को नियोजित आवासीय विकास क्षेत्र में निम्नानुसार समाहित किया जाना प्रस्तावित हैः—

- परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय अनौपचारिक सेक्टर के लिये प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु भूमि सुरक्षित रखना।
- अभिन्यास स्वीकृति के समय अनौपचारिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रावधान भी समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है।
- अनौपचारिक सेक्टर इकाई का विकास क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जावे।

4.8 गंदी बस्ती क्षेत्र

छिन्दवाड़ा नगरीय क्षेत्र में गंदी बस्तियां हैं। गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु यह आवश्यक है कि इनकी रोकथाम, विकास, निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम चलाया जावे। इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है।

1. भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन एवं परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय सीमा में उसी वर्ग के लिये विकास।
3. गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का विकास।
4. जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव नहीं हो, उनको स्थानांतरित कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापना करना।

4.9 पुनर्विकास नीति

शहर की विकास प्रक्रिया के कारण कुछ वर्तमान निर्मित क्षेत्र शहरी विकास की दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जिससे इनका भू-मूल्य अधिक हो जाता है। ऐसे क्षेत्रों को पुनर्विकास क्षेत्र के रूप में चयनित किया जावेगा। ऐसे क्षेत्रों की विकास नीति निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा संचालित की जावेगी :-

1. उच्च मूल्य वाली अकार्यक्षम भू-उपयोग अंतर्गत भूमि/क्षेत्र जिस भूमि का अन्य सक्षम उपयोग हेतु मांग अधिक है, उन्हें पुनर्धनत्वीकरण/पुनर्विकास क्षेत्रों के रूप में चयनित किया जावे।
2. पुनर्विकास परियोजना को विशेष परियोजना के रूप में माना जावेगा। इन परियोजनाओं का रूपांकन, नगरीय रूपांकन के दृष्टिकोण के आधार पर करने के पश्चात निवेश प्रस्ताव तैयार किये जावेंगे।
3. उपयोग एवं गतिविधियों का निर्धारण, निष्पादन स्तर एवं अनुकूलता स्तर जिन्हें आसपास के उपयोग द्वारा प्रभावित किया गया है, निर्धारित होगा जिसकी परियोजना को परिक्षेत्र की योजना के रूप में तैयार किया जाना प्रस्तावित है।
4. स्वीकार्य विकास का घनत्व उपयोगिता एवं अधोसंरचना का यातायात दबाव की वाहन क्षमता और इसका समीकरण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा निर्धारित होगा।

यदि मध्य क्षेत्र में उन्नत पर्यावरण एवं यातायात सुधार की दृष्टि से पुनर्विकास योजना तैयार की जाती है तो उस स्थिति में फर्शी क्षेत्र अनुपात उस क्षेत्र हेतु निर्धारित फर्शी क्षेत्र अनुपात से 0.25 अधिक मान्य किया जा सकेगा।

भू-स्वामी अपने भूखण्ड में से कुछ भूखण्डीय क्षेत्र सार्वजनिक उपयोग जैसे—सड़क, फुटपाथ, पार्किंग इत्यादि हेतु छोड़ता है तो उसे शेष भूखण्ड में सामान्य स्वीकार्य एफ.ए.आर. एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी जाकर स्थानीय संस्था को समर्पित किये गये भूखण्ड क्षेत्र की भूमि को दो गुना तक फर्शी क्षेत्र अनुपात में जोड़ा जा सकेगा।

4.10 ग्राम आबादी विस्तार

छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी (मानचित्र में दर्शाये अनुसार) जो विकास योजना में कृषि क्षेत्र में स्थित है, उनका विस्तार सामाजिक तथा भौतिक अधोसंरचना का विकास एवं मानचित्र अनुसार दर्शित आबादी क्षेत्र से 200 मीटर तक में आवासीय अभिन्यास एवं मिश्रित उपयोग से संबंधित गतिविधियाँ सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अनुज्ञय रहेगी।

4.11 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

कमजोर आय वर्ग के लिए प्रत्येक आवासीय कालोनी में छोटे भूखण्डों का प्रावधान किया जाता है। यह वर्ग प्रायः रोजगार अस्थायी ठेला, गुमटी आदि की स्थापना के माध्यम

से प्राप्त करता है। अतः कमजोर आय वर्ग के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उल्लेखित प्रावधान तथा शासन द्वारा समय-समय पर इन वर्गों के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया प्रावधान स्वीकार्य होगा।

4.12 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

विभिन्न गतिविधियों की पुनर्स्थापना से रिक्त हुए स्थल के उपयोग के प्रस्ताव विम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं।

सारणी 4.3 असंगत भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

क्र.	उपयोग वर्णन	वर्तमान स्थल	स्थानांतरण का कारण	रिक्त स्थान का प्रस्तावित उपयोग
1	2	3	4	5
(अ) असंगत भूमि उपयोग				
1	सब्जी बाजार	तहसील कार्यालय मार्ग पर	यातायात में अवरोध	पार्किंग सुविधा
2.	बुधवारी सब्जी बाजार	पाटनी टाकीज के पास (मध्यवर्ती क्षेत्र)	यातायात में अवरोध	पार्किंग व सब्जी बाजार
3.	घास मंडी	मौसम विभाग का कार्यालय	शासकीय कार्यालय	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
4.	फुटपाथ पर स्थित दुकानों के सामने, बुधवारी बाजार क्षेत्र	जेल, तिराहा, चारफाटक, मुख्य डाकघर	यातायात एवं वाहन विराम की समस्या	मार्ग विस्तार
5.	जेल परिसर के सामने फुटकर दुकानें	फुटपाथ पर अतिक्रमण	यातायात एवं वाहन विराम की समस्या	मार्ग विस्तार
6.	पशु वधगृह एवं मांस बाजार	दिवानचीपुरा आवासीय क्षेत्र (मध्यवर्ती क्षेत्र)	पर्यावरण की समस्या	पार्किंग
7.	कृषि उपज मंडी एवं संलग्न गोदाम	गांधीगंज क्षेत्र	यातायात एवं वाहन विराम	पार्किंग, फ्रूट मार्केट व हॉकर्स जॉन
8.	तेल मिल	शनिवारा बाजार	वायु प्रदूषण एवं यातायात समस्या	वाणिज्यिक

9.	आरा मशीन	अलका टाकीज के पास	ध्वनि प्रदूषण एवं यातायात समस्या	वाणिज्यिक
10.	जिला जेल	बस स्टैण्ड के पास	सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
11.	महिला विविध शिल्प कला मंदिर	नरसिंहपुर मार्ग	अनुपयुक्त	शैक्षणिक
12.	फर्स्ट स्टेप स्कूल	चक्कर मार्ग	अनुपयुक्त	आवासीय
13.	सेन्टर स्कूल	कालेज मार्ग	अनुपयुक्त	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
14.	क्षय अरोग्य धाम	खजरी मार्ग पर	स्वास्थ्य हेतु हनिकारक	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
15.	क्रिश्चयन कब्रिस्तान	साउथ सिविल लाईन	आवासीय क्षेत्र के मध्य होने के कारण अनुपयुक्त	नगर उद्यान एवं वृक्षारोपण
16.	निजी बस स्टेन्ड / टैक्सी स्टेन्ड	बस स्टेन्ड के समीप	यातायात अवरोध	मार्ग विस्तार
17.	ट्रक विराम	रेलवे स्टेशन से चार फाटक, अलका टाकीज के पास	वाहन विराम, यातायात अवरोध	मार्ग विस्तार
18.	ट्रक, टैक्सी एवं आटो रिपेयर की दुकानें	बस स्टैण्ड क्षेत्र	फुटपाथ पर अतिक्रमण व वाहन विराम	मार्ग विस्तार

(ब) अकार्यक्षम भूमि उपयोग

1.	शासकीय बहुउद्देशीय माध्यमिक शाला	एम. एल. वी. माध्यमिक शाला के सामने	स्थान की कमी एवं यातायात परिवहन समस्या	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
2.	कन्या महाविद्यालय	फव्वारा चौक के सामने	स्थान की कमी एवं वाणिज्यिक क्षेत्र	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

स्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश

4.13 कार्यकेन्द्र

वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा प्रशासनिक गतिविधियाँ, नगर की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। यह गतिविधियाँ यातायात के मुख्य उदित केन्द्र होने से इनका नियोजन इस प्रकार किया गया है कि जिससे आवासीय क्षेत्र से इनके मध्य न्यूनतम यात्रा समय द्वारा सुविधाजनक सुरक्षित एवं तीव्र गति द्वारा पहुँच सुनिश्चित हो सके।

4.14 व्यापार एवं वाणिज्यिक

वाणिज्यिक गतिविधि केन्द्रों का वर्गीकरण नगर एवं निवेश इकाई स्तर पर किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रमुख चयनित मार्गों को गतिविधि कोरीडोर के रूप में चिह्नित किया गया है। इनमें आवासीय उपयोग के साथ-साथ स्थल विशेष एवं भविष्य की आवश्यकता अनुसार अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ जैसे-शैक्षणिक, संस्थागत, वाणिज्यिक एवं सेवा उद्योग आदि स्वीकार्य होंगी।

4.15 नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र

नगर स्तर की वाणिज्यिक गतिविधियाँ वर्तमान में मध्य क्षेत्र एवं उससे संलग्न क्षेत्र में केन्द्रित हैं। मध्य क्षेत्र में भीड़-भाड़ के कारण नगर स्तर की गतिविधियाँ नवीन नगरीय/उपनगरीय केन्द्रों एवं सामुदायिक केन्द्रों में प्रस्तावित की गई हैं।

4.16 कार्यालय

कुछ जिला स्तरीय एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय वर्तमान में सघन बहु आयामी विकसित क्षेत्र में कार्यरत है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में यातायात पार्किंग आदि समस्यायें पैदा होती है। अतः इन कार्यालयों को स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय—5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना

5.1 यातायात संरचना

नगर के मध्य से छिन्दवाड़ा से नरसिंहपुर—छिन्दवाड़ा—नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 547 स्थित है एवं सिवनी से मुलताई राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 स्थित है जो नगर को दो भागों में विभाजित करता है। दक्षिण की ओर छिन्दवाड़ा सिटी एवं उत्तर की ओर एस.एफ ग्राउण्ड, पुलिस लाईन, पी.जी. कालेज क्षेत्र एवं शनिचरा बाजार नगर का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सिवनी—नरसिंहपुर मार्ग (शहीद अमित ठेंगे तिराहा के पास) पर “ही” आकार का मार्ग संगम बनाता है तथा भोपाल—छिन्दवाड़ा मार्ग (पुराने जेल तिराहा के पास) “टी” आकार का मार्ग संगम बनता है। इस क्षेत्रीय मार्ग से नागपुर, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, सागर, भोपाल, बैतूल, आदि नगरों के लिये यात्री यातायात हेतु गुजरता है। रेलवे लाईन के कारण भी नगर दो भागों में विभक्त हुआ है। रेल मार्ग के कारण छिन्दवाड़ा सिटी से नई दिल्ली, भोपाल, इन्दौर एवं नागपुर, जबलपुर की ओर सरल एवं सुगम पहुंच मार्ग उपलब्ध है। इस हेतु चार फाटक रेलवे क्रांसिंग पर ओवर ब्रिज निर्मित है।

नगर के बढ़ते हुए आकार के कारण यातायात एवं परिवहन की सक्षम व्यवस्था नितांत आवश्यक है, जो नगर की परिभ्रमण संरचना पर निर्भर करती है। नगर में जनित यातायात, नगर के प्रमुख कार्य केन्द्र एवं भूमि उपयोग पर निर्भर करता है। इस प्रकार दोनों एक—दूसरे पर आधारित है नगर की परिभ्रमण संरचना, यातायात स्वरूप, यातायात मात्रा, मार्ग क्षमता, आदि सभी नगर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में लगने वाले समय, दूरी आदि को निर्धारित करती है।

- दक्ष एवं बहु आयामी परिवहन प्रणाली की व्यवस्था।
- मंदगति वाहनों के सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं विकास।
- मुख्य गतिविधि केन्द्रों एवं आबादी क्षेत्र के बीच सुविधाजनक एवं सुरक्षित पहुंच मार्ग का प्रावधान।
- मुख्य गतिविधि केन्द्रों जैसे—यातायात, वाणिज्यिक, शैक्षणिक एवं मुख्य कार्य केन्द्रों में पादचारी मार्गों का प्रावधान।
- समस्या ग्रस्त क्षेत्रों के यातायात तंत्र में सुधार।
- मुख्य मार्गों पर सीधे पहुंच को नियोजित करना जो मुख्य मार्ग गतिविधि क्षेत्र से होकर जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों को पृथक से मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु अतिरिक्त पहुंच मार्गों का प्रावधान।
- मिश्रित यातायात के अनुरूप सुसंगठित मार्ग संरचना।

- क्षेत्रीय एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण।
- वर्तमान नगर तथा प्रस्तावित क्षेत्र के मध्य सुगम मार्ग संरचना।
- आवश्यकता अनुसार चौराहों एवं तिराहों का विकास।
- सुगम यातायात हेतु ओहर ब्रिज एवं समतल पारण का प्रावधान।

5.2 यातायात की वर्तमान स्थिति

वर्तमान परिवहन व्यवस्था के अध्ययन से ज्ञात होता है कि, नगर में वाहनों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। नगर में मोटर साईकल, स्कूटर, साईकल, कार, ऑटोरिक्षा आदि यातायात के प्रमुख साधन हैं। तीव्र गति एवं मंदगति वाहनों द्वारा नगरीय मार्गों का मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिये समस्या है। अतः यातायात प्रबंधन के लिये नीति तैयार करने की आवश्यकता है। नगर में जनसामान्य द्वारा यातायात के साधन के रूप में साईकल, स्कूटर, मोटर साईकल आदि का उपयोग किया जाता है।

5.3 प्रस्तावित यातायात प्रणाली

कार्यानुरूप मार्गानुक्रम के अनुसार मार्गों का वर्गीकरण किया गया है। ऐसा करते समय निर्धारित विविध गतिविधियों का आपस में तथा आवासीय क्षेत्रों से सहसंबंध का ध्यान रखा गया है। नगर में विभिन्न प्रकार के मार्गों का अनुक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

1. क्षेत्रीय मार्ग
2. वृत्तीय मार्ग
3. बायपास मार्ग
4. मुख्य मार्ग
5. खण्ड स्तरीय मार्ग
6. उपखण्ड स्तरीय मार्ग
7. स्थानीय मार्ग
8. पादचारी मार्ग

वर्तमान में सिवनी, नागपुर, जबलपुर, बैतूल, नरसिंहपुर, भोपाल आदि शहरों हेतु मार्ग नगर के बाहर से रिंगरोड द्वारा परिवर्तित किए गये हैं जिसका विकास हो चुका है। विकास योजना 2035 के प्रस्तावों को तैयार करते समय विकास योजना 2011 में प्रस्तावित यातायात संरचना को ध्यान में रखा जाकर, नगर के विभिन्न मार्गों एवं कार्यस्थलों को जोड़ने हेतु मार्ग प्रस्तावित किये गये हैं।

5.3.1 क्षेत्रीय / बायपास मार्ग

नगर के मध्य से नरसिंहपुर-छिन्दवाड़ा-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 547 तथा सिवनी से मुलताई राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 एवं छिन्दवाड़ा-भोपाल राज्य राजमार्ग क्रमांक

19 गुजरते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 547 एवं 347 नगर को दो भागों में विभाजित करता है। यह मार्ग नगर के मध्य से गुजरने के कारण यातायात का अधिक दबाव रहता है। इन मार्गों का यातायात कम करने के लिये वर्तमान बायपास (रिंगरोड) मार्ग उपलब्ध है जिससे इन मार्गों से आने वाला यातायात का आवागमन, नगर के बाहर से सुगम हो जाता है।

नगर में स्थित वर्तमान रिंग रोड जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा निर्मित किया गया है, नगर की पूर्व दिशा की ओर से गुजरता है, जिसकी चौड़ाई 45 मीटर है, जो कि 58 किलोमीटर का रिंग बनता है।

5.3.2 मुख्य नगरीय मार्ग

यह मार्ग मुख्यतः नगर के सम्पूर्ण यातायात प्रवाह को वहन करने के साथ नगर के विभिन्न कार्य केन्द्रों, गतिविधि केन्द्रों तथा आमोद-प्रमोद के स्थानों को जोड़ते हैं। संभावित यातायात बाहुल्य को ध्यान में रखते हुए 18, 24, 36 एवं 45 मीटर चौड़ाई की मार्ग संरचना प्रस्तावित की गई है। विकास योजना 2011 में कुल 7 मुख्य मार्ग प्रस्तावित किये गये थे, इनमें से एक भी मार्ग का विकास नहीं हुआ है। इन मार्गों को युक्ति-युक्त रूप से पुनः प्रस्तावित करते हुए, विकास योजना 2035 के लिये नये मार्गों का समावेश करते हुए प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 18, 24, 36 मीटर प्रस्तावित है।

5.3.3 खण्ड स्तरीय मार्ग एवं उपखण्ड स्तरीय मार्ग

यह मार्ग वृत्त खण्ड स्तर के यातायात हेतु तथा मुख्य मार्ग से दूसरे मुख्य मार्ग को जोड़ने हेतु प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 18.00 मीटर प्रस्तावित की गई है तथा उपखण्ड मार्ग खण्ड मार्ग को जोड़ने हेतु प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी चौड़ाई 12.00 मीटर प्रस्तावित है।

5.3.4 स्थानीय मार्ग

समीपस्थ आवासीय क्षेत्र में आवागमन हेतु स्थानीय मार्ग शृंखला प्रस्तावित है, इसकी संरचना के मानक विकास नियमन में निर्धारित है। आवासीय क्षेत्रों में इन मार्गों की चौड़ाई 7.50, 9.00 एवं 12.00 मीटर तक, स्थल पर उपलब्धता अनुसार प्रस्तावित की जावेगी।

5.4 मार्गों की चौड़ाई


विकास योजना में वर्तमान मार्गों की चौड़ाई को प्रस्तावित किया गया है। जिसे सारणी में दर्शाया गया है।


सारणी 5.1 वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

क्र.	मार्ग का नाम	विकास योजना 2035 प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में
1	2	3
(अ)		
1	<p>नरसिंहपुर–छिन्दवाड़ा–नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 547</p> <ul style="list-style-type: none"> • बस स्टेप्ड से संकट मोचन मंदिर तक • संकट मोचन मंदिर से निवेश क्षेत्र सीमा तक • बस स्टेप्ड से बोदरी नदी तक • बोदरी नदी से निवेश क्षेत्र सीमा तक नागपुर मार्ग <p>(निवेश क्षेत्र सीमा के बाहर मार्ग की चौड़ाई राजमार्ग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही मान्य होंगे।)</p>	<p>24.00</p> <p>36.00</p> <p>24.00</p> <p>36.00</p>
2	<p>सिवनी से मुलताई राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347</p> <ul style="list-style-type: none"> • बस स्टेप्ड से कुण्डीपुरा थाना तक • कुण्डीपुरा थाना से निवेश क्षेत्र सीमा तक <p>(निवेश क्षेत्र सीमा के बाहर मार्ग की चौड़ाई राजमार्ग द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही मान्य होंगे।)</p>	<p>24.00</p> <p>36.00</p>
3	<p>छिन्दवाड़ा–भोपाल राज्य राजमार्ग क्रमांक 19</p> <ul style="list-style-type: none"> • जेल तिराहा से सर्किट हाउस तक • सर्किट हाउस से नगर पालिक निगम सीमा तक 	<p>24.00</p> <p>36.00</p>
4	इमलीखेड़ा चौराहे से रिंग मार्ग चौराहे तक	36.00

क्रं.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
ब अन्य वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई			
1	बस स्टेण्ड से खजरी चौराहे तक	24.00	30.00
2	चक्कर मार्ग (सर्किट हाउस से खजरी चौराहे तक)	24.00	24.00
3	खजरी मार्ग (चौक से बायपास तक)	18.00	24.00
4	चक्कर मार्ग (खजरी चौक से छोटे तालाब तक)	18.00	18.00
5	चांद मार्ग	18.00	18.00
6	भरतादेव मार्ग	12.00	18.00
7	गुरैया मार्ग	12.00	18.00
8	वर्तमान बायपास मार्ग (नरसिंहपुर मार्ग से सिवनी मार्ग तक)	18.00	24.00
9	ई.एल.सी. चौराहा से राजपाल चौक तक	6.00—9.00	12.00
10	पटेल मंगल भवन नाले के बाद से सुभाष कॉलोनी तक	12.00	12.00
11	राजपाल चौक से शक्ति चौक तक	7.00—9.00	9.00
12	शक्ति चौक से चार फाटक	6.00—9.00	9.00
13	नरसिंहपुर भेन रोड से सिवनी—प्राणभोती	8.00—9.00	12.00
14	गांधीगंज (रिलवे स्टेशन) से पुराना नरसिंहपुर नाका	9.00—12.00	12.00

क्रं.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
15	लालबाग चौक से पुराना नरसिंहपुर नाका	6.00—9.00	9.00
16	लालबाग चौक से पुराना बैल बाजार चौक	12.00—15.00	18.00
17	पुराना बैल बाजार चौक से मिशन अस्पताल तक	9.00—12.00	12.00
18	पंकज टाकीज से मिशन अस्पताल	6.00—9.00	9.00
19	पाटनी काम्पलेक्स से नागद्वार चौक	6.00—7.00	7.50
20	जिला उद्योग कार्यालय से श्रीराम कालोनी	6.00—7.50	9.00
21	टेलीफोन एक्सचेंज से पुलिस ग्राउंड	9.00	9.00
22	ओलम्पिक स्टेडियम से ई.एल.सी. चौक	12.00—18.00	18.00
23	पुराना नागपुर नाका से सुभाष कॉलोनी तक	14.00	18.00
24	वाटर सप्लाई मार्ग से गुरैया मार्ग तक	9.00—12.00	12.00
25	पाठाढाना मार्ग (नागपुर मार्ग से गुरैया मार्ग तक)	9.00—12.00	12.00
26	पोआमा मार्ग (गुरैया चौक से पोआमा चौक तक)	15.00—18.00	24.00
27	रानीकामठ मार्ग (गुरैया मार्ग से पोआम मार्ग तक)	12.00—15.00	18.00
28	काराबोह मार्ग (परासिया मार्ग से बायपास मार्ग तक)	12.00—15.00	18.00





क्रं.	मार्ग का नाम	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3	4
29	अजनिया मार्ग (पुराने बायपास से रिंग रोड तक)	12.00—15.00	18.00
30	अजनिया मार्ग (नरसिंहपुर मार्ग से रिंग रोड तक)	12.00—15.00	18.00
31	सोनपुर मार्ग (वोरिया से सोनपुर तक)	12.00—15.00	18.0
32	नरसिंहपुर मार्ग से ग्राम झण्डा तक	12.00—15.00	18.00
33	परासिया मार्ग (मुल्ला पेट्रोल पम्प) से गुरैया मार्ग तक	12.00—18.00	18.00


स्रोत: नगर तथा ग्राम निवेश सर्वेक्षण

नगरीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई निम्न सारणी क्रमांक 5.2 में दर्शायी गयी है:-

सारणी 5.2 प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई

क्रं.	मार्ग का नाम	एम.आर. / एस.आर.	प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई मीटर में
1	2	3	4
1	झण्डा मार्ग से रिंग रोड तक	एम.आर.-1	45.00
2	नरसिंहपुर मार्ग से सिवनी मार्ग तक	एम.आर.-2	36.00
3	बैतूल मार्ग से पोआमा मार्ग	एम.आर.-3	30.00
4	परासिया मार्ग से सिवनी मार्ग	एम.आर.-4	30.00
5	नागपुर मार्ग से चारफाटक	एम.आर.-5	30.00
6	एम.आर.-13 से रिंग रोड मार्ग तक	एम.आर.-6	24.00
7	रिंग रोड से प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र तक	एम.आर.-7	24.00
8	झण्डा मार्ग से नरसिंहपुर मार्ग तक	एम.आर.-8	24.00
9	पुराने बायपास मार्ग से अजनिया मार्ग तक	एम.आर.-9	24.00
10	ट्रांसपोर्ट नगर से अजनिया मार्ग तक	एम.आर.-10	24.00
11	एम.आर.-5 से चांद रोड तक	एम.आर.-11	24.00

क्रं.	मार्ग का नाम	एम.आर. / एस.आर.	प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई मीटर में
1	2	3	4
12	चांद मार्ग से रिंग रोड मार्ग तक	एम.आर.-12	24.00
13	इमलीखेड़ा रिंग रोड से एम.आर.-5 तक	एम.आर.-13	24.00
14	भरतादेव मार्ग से परासिया मार्ग तक	एम.आर.-14	24.00
15	रिंग रोड से एम.आर.-14 तक	एम.आर.-15	24.00
16	खजरी मार्ग से एस.आर.-29 तक	एम.आर.-16	24.00
17	भरतादेव मार्ग से सब्जी मण्डी तक	एम.आर.-17	24.00
18	एम.आर.-4 से एस.आर.-32 तक	एम.आर.-18	24.00
19	एस.आर.-13 से काराबोह बस्ती तक	एम.आर.-19	24.00
20	एम.आर.-6 से माल धक्का तक	एम.आर.-20	24.00
21	एम.आर.-6 से माल धक्का तक	एम.आर.-21	24.00
22	एम.आर.-14 से लोनिया करबल मार्ग तक	एस.आर.-1	18.00
23	एस.ए.एफ. रेल्वे क्रासिंग से काराबोह मार्ग तक	एस.आर.-2	18.00
24	काराबोह मार्ग से परासिया मार्ग तक	एस.आर.-3	18.00
25	बालाजी स्कूल से चांद मार्ग तक	एस.आर.-4	18.00
26	एस.आर.-4 से सोनाखार मार्ग तक	एस.आर.-5	18.00
27	नागपुर रोड से एम.आर.-3 तक	एस.आर.-6	18.00
28	एस.आर.-25 से गुरैया मार्ग तक	एस.आर.-7	18.00
29	एम.आर.-3 से एस.आर.-3 तक	एस.आर.-8	18.00
30	एम.आर.-15 से एम.आर.-3 तक	एस.आर.-9	18.00
31	एस.आर.-2 से एम.आर.-18 तक	एस.आर.-10	18.00
32	एम.आर.-4 से एम.आर.-16 तक	एस.आर.-11	18.00
33	सोनाखार रेल्वे अंडर पास से रिंग रोड तक	एस.आर.-12	18.00
34	एस.आर.-2 से खजरी मार्ग तक	एस.आर.-13	15.00
35	पटेल कॉलोनी से एम.आर.-5 तक	एस.आर.-14	15.00
36	एस.आर.-14 से कोलाढाना मार्ग तक	एस.आर.-15	15.00
37	नरसिंहपुर मार्ग से एम.आर.-4 तक	एस.आर.-16	15.00



क्रं.	मार्ग का नाम	एम.आर. / एस.आर.	प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई मीटर में
1	2	3	4
38	सिवनी मार्ग से एस.आर.-16 तक	एस.आर.-17	15.00
39	बोरिया मार्ग से बालाजी स्कूल तक	एस.आर.-18	15.00
40	एम.आर.-5 से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक	एस.आर.-19	15.00
41	एस.आर.-19 से एम.आर.-5 तक	एस.आर.-20	15.00
42	एस.आर.-19 से एम.आर.-5 तक	एस.आर.-21	15.00
43	हाउसिंग बोर्ड से एस.आर.-19	एस.आर.-22	15.00
44	सूर्या लॉन से भरतादेव मार्ग तक	एस.आर.-23	15.00
45	चंद्रप्रभा लॉन से एम.आर.-3 तक	एस.आर.-24	15.00
46	गुरैया बस्ती से चंदनगांव ढाना तक	एस.आर.-25	15.00
47	एम.आर.-3 से एम.आर.-14 तक	एस.आर.-26	15.00
48	एस.आर.-13 से एम.आर.-4 तक	एस.आर.-27	15.00
49	एम.आर.-16 से खजरी ढाना तक	एस.आर.-28	15.00
50	पी.जी. कॉलेज से एम.आर.-4 तक	एस.आर.-29	15.00
51	महाजन लॉन से चंदनगांव तक	एस.आर.-30	15.00
52	कोलाढाना से एम.आर.-21 तक	एस.आर.-31	15.00
53	खजरी मार्ग से एम.आर.-18 तक	एस.आर.-32	15.00
54	नरसिंहपुर मार्ग से सिवनी प्राणमोती मार्ग तक	एस.आर.-33	15.00
55	सोनाखार मार्ग से एम.आर.-12 तक	एस.एस.आर.-1	12.00

जहां मार्गों की चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है वहां वर्तमान चौड़ाई यथावत रखी जावेगी। छिन्दवाड़ा विकास योजना में दिये गये प्रस्ताव एवं निवेश क्षेत्र के निहित ग्रामों को परस्पर जोड़ने वाले ग्राम मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई न्यूनतम 12.00 मीटर निर्धारित की जाकर उससे संलग्न क्षेत्रों पर विकास की अनुमति दी जावेगी।

5.4.1 मार्ग संगम, तिराहा एवं चौराहा सुधार

नगर में यातायात यांत्रिकी में सुधार की बहुत संभावना है, जिससे वर्तमान मार्गों की यातायात संवहन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यह क्षमता बढ़ाने हेतु मार्ग को चौड़ा करना तथा संबंधित प्रस्ताव निम्नानुसार है :—

सारणी 5.3 मार्ग संगमों का सुधार

1. इंदिरा गांधी जेल तिराहा	2. ई०एल०सी० चौराहा
3. फव्वारा चौक	4. शहिद अमित ठेंगे चौराहा
5. पोआमा चौराहा	6. छोटा तालाब चौराहा
7. हनुमान मंदिर चौराहा	8. बैल बाजार चौराहा
9. बुधवारी बाजार	10. तहसील चौराहा
11. रेलवे स्टेशन चौराहा	12. पुराना खजरी नाका
13. सत्कार तिराहा	14. सर्किट हाऊस तिराहा

5.4.2 बस स्थानक

वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य परिवहन क्षेत्रीय बसों का बस स्थानक लगभग नगर के मध्य में जेल के सामने लगभग 1.00 हेक्टेयर भूमि पर स्थित है जो आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है। निजी बसों के लिये परासिया रोड पर, सत्कार तिराहे के पास अलग बस स्थानक है। उक्त बस स्थानक के निकट टैक्सियाँ अवसान करती हैं। उक्त बस स्थान को पिकअप बस स्टैण्ड के लिये उपयोग किया जावेगा जो स्थानीय सिटी बस के लिये उपयोग में लाया जा सकेगा, अतः वर्तमान एवं भावी अनुमानित आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना के सभी उपयोगों में स्थानीय निकाय एवं स्थानीय प्रशासन की सहमति से बस स्टैण्ड एवं बस स्थानक मान्य किये जा सकेंगे। ग्राम लहगडुवा में 11.298 हेक्टेयर भूमि सिटी बस टर्मिनल हेतु नगर पालिक निगम को आवंटन की कार्यवाही प्रचलन में है।

5.4.3 वाहन विराम केन्द्र

नगर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर विशेष कर सघन गतिविधि वाले क्षेत्र के समीप, मार्गों के किनारे, वाहन विराम हेतु स्थल नियत करना, मार्गों के प्रभावी यातायात वहन क्षमता को बनाये रखने के लिए बहुत आवश्यक है। अतः सभी मुख्य कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, औद्योगिक केन्द्रों एवं अवसान केन्द्रों के निकट वाहन विराम हेतु स्थान निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

1. फव्वारा गेट के निकट (हल्के वाहनों हेतु)	2. बस स्टैण्ड क्षेत्र
3. रेलवे स्टेशन	4. गांधीगंज क्षेत्र (हल्के वाहनों हेतु)
5. यातायात नगर के पास	6. सिवनी मार्ग पर (हल्के वाहनों हेतु)
7. बस स्टैण्ड के सामने	8. तहसील कार्यालय के पास
9. रोजगार कार्यालय के पास	10. गुरैया मार्ग पर (हल्के वाहनों हेतु)
11. जिला जेल की आंशिक भूमि पर	12. सभी मुख्य मार्गों पर (भारी/हल्के वाहनों पर)

इसके अतिरिक्त जीर्ण-शीर्ण आवासीय स्थल, नजूल एवं स्थानीय निकाय की भूमि पर, मार्ग चौड़ीकरण के प्रस्ताव के साथ-साथ वाहन विराम स्थल हेतु स्थान उपलब्ध कराये जा सकते हैं। स्थानीय निकायों को इस संबंध में पहल करना प्रस्तावित है।

अध्याय—6 विकास नियमन

6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगर वासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे :—

- निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास।
- भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तकरण, संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है।
- समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास।
- किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो।
- ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर है, भूमि का विकास, भवनों का निर्माण / परिवर्तन एवं तोड़ना।

6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे, तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं, वे म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किए जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे।
2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने में सक्षम हैं।
3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है। यह संभावना है कि विकास योजना में परिश्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी, प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी आवश्यकता एवं यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधन करना पड़े। ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि कोई विवाद / विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा।
4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार

पर चिन्हित किए गए हैं। उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा प्राप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं। इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं।

5. भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाये अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा।
6. आस—पास विद्यमान /निर्मित ऐवं धारा—30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 1973 की धारा—27, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग, जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उप—दर्शित नहीं है अथवा उप—दर्शित है, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी।
7. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे।
8. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन ऐवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होगी।
9. जिन अभिन्यासों सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गयी अर्थात् म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत या म.प्र. भू—राजस्व संहिता के नियमों के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृति दी गयी है उस दशा में यह माना जावेगा कि वह अभिन्यास विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरूप है।
10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में, राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो।
11. ऐसे क्षेत्र जहाँ जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो, उसके लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगी।

12. विकास अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जायेगा।
13. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएं, उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होगी। उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रणाली करते हुये एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी।
14. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर/स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये दी जायेगी, परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
15. विकास योजना में नदी, नालों एवं तालाबों के दोनों ओर दर्शाया गया वृक्षारोपण सांकेतिक स्वरूप का है। नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 30 मीटर तक एवं नालों की स्थिति में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम 50(ख) में निहित प्राक्धानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा। इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा।
16. झुगियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं। यदि झुग्गी-झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्त्रोतों, आमोद-प्रमोद तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा।
17. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा/बड़ा किया गया मानचित्र है। इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई-चौड़ाई नापी जाये, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये। लंबाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू-उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाए। विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग, स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किए जाए तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण/अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।
18. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है। विकास के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विकास नियमन, परिक्षेत्रिक नियमनों

- की आवश्यकता हो सकती है किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जाएगी।
19. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना/विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमएँ, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग/गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जायेगा।
 20. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे। उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग अधिमान्य होंगे।
 21. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिये गये हैं। नियमनों में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
 22. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर खसरों के आधार पर ही किया जायेगा।
 23. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किये जा सकेंगे।
 24. विकास योजना मानचित्र में निर्दिष्ट भू उपयोग व पुस्तक में वर्णित किसी लेख में विरोधाभास की स्थिति पर पुस्तक में वर्णित लेख मान्य होंगे।

6.3 परिमाणाये

उपयोग परिक्षेत्र	:- मुख्य भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र।
उपयोग परिसर	:- उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो।
अभिन्यास	:- अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो।
भूमि उपयोग मानचित्र	:- सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र।

- परिक्षेत्रिक योजना** :- निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो।
- नगरीय ग्राम** :- भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे।
- नगरीय विरासत का क्षेत्र** :- ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो।
- विकसित क्षेत्र** :- विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग।
- एकल / संयुक्त परिवार हेतु भूखण्डीय विकास** :- अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखण्डीय विकास से तात्पर्य, परिवार हेतु भूखण्डीय विकास (अभिन्यास) का भूखण्डों में उप-विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो।
- मिश्रित उपयोग** :- इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियाँ मान्य होंगी।
- ऊँचे भवनों का विकास** :- म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा।
- फर्शी क्षेत्र अनुपात** :- म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (30) के अनुसार।
- भवन की ऊँचाई** :- म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (9) के अनुसार।
- संवेदनशील क्षेत्र** :- परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय, ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र। इसके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे।

अन्य परिभाषायाँ व नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे।

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

निवेश क्षेत्र को निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित

किये गये हैं। प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, का नियंत्रण विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना के भू-उपयोग/प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा। निर्धारित मुख्य भू-उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, आमोद-प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं, जलाशय एवं कृषि। उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण म्ततवत! त्वमितमदबम् वनतबम् दवज विनदकण में दिया या है।

सारणी 6.1 मुख्य उपयोग परिक्षेत्र

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
1	आवासीय	आवासीय	(आर 1)
		भू-तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय	(आर 2)
		मध्यम घनत्व	(आर 3)
		निम्न घनत्व	(आर 4)
2	वाणिज्यिक	शहर केन्द्र	(सी 1)
		उपनगर केन्द्र	(सी 2)
		सामुदायिक केन्द्र	(सी 3)
		स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र	(सी 4)
		सुविधा व्यावसायिक केन्द्र	(सी 5)
		मण्डी	(सी 6)
		वर्गीकृत बाजार	(सी 7)
3	मिश्रित	आवासीय, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र	(एम)
4	औद्योगिक	सेवा उद्योग	(आई 1)
		सामान्य उद्योग	(आई 2)
		विशेष उद्योग	(आई 3)
5	मनोरंजन	उद्यान	(जी 1)
		हरित क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र	(जी 2)

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	क्षेत्रीय उद्यान (प्राणि शास्त्र या वनस्पति शास्त्र उद्यान)	(जी 3)
		प्राकृतिक क्षेत्रों या भू-दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण	(जी 4)
		खेल मैदान	(जी 5)
		स्टेडियम	(जी 6)
		झील के सामने का विकास	(जी 7)
		प्रदर्शनी मैदान	(जी 8)
7	विशेष प्रयोजन	सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों/शिक्षा और अनुसंधान/स्वास्थ्य/सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियाँ	(पी)
		पर्यटन प्रबंधन परिक्षेत्र	(एस पी 1)
		संरक्षित परिक्षेत्र	(एस पी 2)
		शुष्क पत्तन या कंटेनर डिपो	(एस पी 3)
		तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो	(एस पी 4)
		भवन निर्माण सामग्री यार्ड	(एस पी 5)
		प्रदूषणकारी उद्योग	(एस पी 6)
		सेज (एस.ई.जेड)	(एस पी 7)
		खनन क्षेत्र	(एस पी 8)
		आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य	(एस पी 9)
8	परिवहन	अन्य	(एस पी 10)
		बस स्टैण्ड या टर्मिनर्स	(टी 1)
		बस पिकअप स्टेशन	(टी 2)
		सड़कें	(टी 3)
		रेल्वे स्टेशन	(टी 4)
		रेल्वे लाइन	(टी 5)
		बस डिपो	(टी 6)
		ट्रांसपोर्ट नगर/लॉजिस्टिक हब	(टी 7)
		हैलीपेड/हवाई अड्डा	(टी 8)

क्र.	भू-उपयोग परिक्षेत्र	भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र	नाम पद्धति
1	2	3	4
9	सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं	मेट्रो रेल स्टेशन	(टी 9)
		जल शोधन संयंत्र	(पीयूएफ 1)
		मल शोधन संयंत्र/आकसीकरण ताल	(पीयूएफ 2)
		विद्युत सब स्टेशन	(पीयूएफ 3)
		ट्रेचिंग ग्राउण्ड	(पीयूएफ 4)
		ट्रंकलाइन कॉरीडोर, जल/मल/अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें/ गैस या तेल पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएं	(पीयूएफ 5)
		रेडियो/टी.वी. स्टेशन	(पीयूएफ 6)
		दूरसंचार केन्द्र	(पीयूएफ 7)
		अग्नि नियंत्रण स्टेशन	(पीयूएफ 8)
		ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र/अपघटन संयंत्र	(पीयूएफ 9)
		कब्रिस्तान/शमशान घाट	(पीयूएफ 10)
10	जल निकाय	नदियाँ	(डब्ल्यू 1)
		झील/तालाब/जलाशय	(डब्ल्यू 2)
		नाला/नहर	(डब्ल्यू 3)
		बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	(डब्ल्यू 4)
11	कृषि	कृषि भूमि	(ए 1)
		ग्राम आबादी विस्तार	(ए 2)

टीप :— छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त उपयोग परिक्षेत्रों को निर्धारित उपपरिक्षेत्रों में विभक्त कर प्रस्ताव दिए गए हैं। प्रत्येक उपयोग उपपरिक्षेत्रों में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियाँ शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी। ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, उसका नियंत्रण विकास योजना/परिक्षेत्रिक योजना के भू-उपयोग/प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा।

6.4.1 आवासीय उपयोग परिक्षेत्र

6.4.1.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे। आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6.2 में दिए गए हैं।

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है। इन नियमों में परिस्थिति संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित है। ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें, जल प्रदाय, जल-मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे।
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1:1.5 से 1:3 होना चाहिए, किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जायेगा।
3. भवन निर्माता/वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू-तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है एवं सारणी में दर्शायें भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है।
4. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तें) नियम, 1998 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप निम्न आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जाएँगे।
5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट-ज) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः निम्न आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये।
6. मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर या 12 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दोगुनी गहराई तक नियमानुसार मिश्रित उपयोग हेतु अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे मिश्रित उपयोग भवनों के निर्मित/पुनर्निर्माण या नवनिर्मित में भी अनुज्ञात किए जा सकेंगे।
7. मिश्रित भू-उपयोग अंतर्गत 12 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार फर्शी क्षेत्र अनुपात देय होगा।
 - 12 मीटर या अधिक 1.50
 - 18 मीटर या अधिक 1.75
 - 24 मीटर या उससे से अधिक 2.00

सारणी 6.2 आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	विकास का प्रकार	मूल आचारादन क्षेत्र प्रतिशत में	अधिकतम फर्मी सेत्र अनुपात	एम.ओ.एस. (मी.) में				भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी.में)	अधिकतम चैंचाई (मी.में)	एक भूखण्ड पर अधिकतम स्थीकार्य आवासीय इकाइयां
						अग्र	पार्श्व	आजू	बाजू			
1	4.0X8.0	32	पंक्ति	60	1.50	3.00	0.0	0.0	0.0	7.5	9.0	2
2	4.0X12.0	48	पंक्ति	60	1.50	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9.0	2
3	5.0X15.0	75	पंक्ति	60	1.50	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9.0	2
4	7.0X15.0	105	पंक्ति	50	1.50	3.00	1.5	0.0	0.0	7.5	9.0	2
5	9.0X15.0	135	अर्धपृथक्कृत	50	1.50	3.00	1.5	2.5	0.0	7.5	12.5	3
6	11.10X18.0	200	अर्धपृथक्कृत	50	1.25	3.00	2.5	2.5	0.0	9.0	12.5	4
7	12.0X18.0	216	अर्धपृथक्कृत	42	1.25	3.5	2.5	3.0	0.0	9.0	12.5	4
8	12.0X24.0	288	पृथक्कृत	40	1.25	4.5	2.5	3.5	1.5	9.0	12.5	4
9	12.0X24.0	360	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	2.5	3.0	3.0	12.0	12.5	5
10	15.0X27.0	405	पृथक्कृत	35	1.25	6.0	3.0	3.5	3.0	12.0	12.5	5
11	18.0X30.0	540	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.0	3.0	12.0	12.5	7
12	20.0X30.0	600	पृथक्कृत	33	1.25	6.0	3.0	4.5	3.0	12.0	12.5	7
13	25.0X30.0	750	पृथक्कृत	30	1.00	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7
14	30.0X33.0	990	पृथक्कृत	30	1.00	6.0	4.5	4.5	4.5	12.0	12.5	7

नोट :-

- उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।
- मिश्रित उपयोग के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अहता पूर्ण होती है, उनमें भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे। (आवासीय इकाई छोड़कर)
- सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है।

4. ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हों, को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस., आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए। ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी। किन्तु ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी।
5. घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में 4.5 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में 2.5 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा।
6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी।
7. झुगियों की पुर्नस्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे।
8. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर से कम चौड़ा मार्ग होने पर केवल 4 आवासीय इकाईयां मान्य होंगी।
9. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी। स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार/क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा।

6.4.1.2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास सारणी 6.3 में दर्शित मापदण्डों से नियंत्रित होगा:

सारणी 6.3 आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

भूखण्ड का क्षेत्र	आच्छादित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रनुपात
1	2	3
90 वर्गमीटर से कम	75%	1.25
90 से 180 वर्गमीटर तक	66%	1.25
180 वर्गमीटर से अधिक	60%	1.00

टीप: मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले वर्तमान आवासीय भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा साथ ही वे भूखण्ड जो म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 की श्रेणी अंतर्गत होंगे उन भूखण्डों पर नियम 42 के प्रावधान लागू होंगे।

6.4.1.3 आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गए हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा। ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण

हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास/निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे।

6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6.4 वाणिज्यिक भू-खण्ड के विकास मापदण्ड

क्र.	भूखण्ड का आकार (मी. में)	क्षेत्र (वर्ग मी. में)	मार्ग की चौड़ाई (मी. में)	फर्शी क्षेत्रानुपात	निर्मित क्षेत्र (प्रतिशत)	सीमांत खुला क्षेत्र (मीटर में)			
						अग्र	पाश्व	आजू	बाजू
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	6.0x9.0	54	12 या अधिक	1.5	80	4.5	0.0	0.0	0.0
2.	9.0x15.0	135	12 या अधिक	1.5	70	4.5	1.5	2.5	0.0
3.	12.0x18.0	216	12 या अधिक	1.5	60	4.5	1.5	2.5	2.5
4.	15.0x24.0	360	12 या अधिक	1.5	50	4.5	3.0	3.6	3.6

टीप :—

1. 500.0 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 1000.0 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्डों के लिए न्यूनतम खुला क्षेत्र अग्र भाग में 6 मीटर एवं तीनों ओर 4.5 मीटर होगा।
2. 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल एवं 12.5 मीटर तक के भवनों के लिए न्यूनतम खुला क्षेत्र चारों ओर 6 मीटर से कम नहीं होगा।
3. 18 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार फर्शी क्षेत्र अनुपात देय होगा।
 - 18 मीटर या अधिक 1.75
 - 24 मीटर या उससे से अधिक 2.00
4. यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे। सारणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांकों के मानक लागू होंगे।

5. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी।
6. अग्र कॉरिडोर की भूमि का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग निषेध होगा।
7. वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक स्ततवत! त्वमितमदबम 'वनतबम' दबज वनदक्षण में वर्णित हैं।

सारणी 6.5 वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

क्र.	वर्ग	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3
1.	भूखण्डों का क्षेत्र	अधिकतम 50 प्रतिशत
2.	परिस्मण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र	अधिकतम 40 प्रतिशत
3.	खुले स्थानों को समिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र	न्यूनतम 10 प्रतिशत (8 : 2)
4.	मार्गों की चौड़ाई — बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई — दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई — दुकानों के सामने पदचारी की न्यूनतम चौड़ाई	12 मीटर 18 मीटर 6 मीटर
5.	दुकानों के आकार	मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर
6.	विराम स्थल	म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

6.4.2.1 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक क्षेत्रों में पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी :—

1. मार्गों की चौड़ाई, विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप होगी।
2. मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार अधिकतम एफ.ए.आर. देय होगा।
 - 12 मीटर या अधिक — 1:1.50
 - 18 मीटर या अधिक — 1:1.75
 - 24 मीटर या अधिक — 1:2.00

3. 100 वर्गमीटर तक के भू-खण्डों में न्यूनतम 4.5 मीटर अग्र खुला क्षेत्र ऑफ स्ट्रीट वाहन विराम हेतु खुला छोड़ना होगा।
4. 100 वर्गमीटर से बड़े भू-खण्डों पर वाहन विराम म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार रखना आवश्यक होगा।
5. वाणिज्यिक विकास की गहराई, भवन जिस मार्ग पर हो, उस मार्ग की चौड़ाई के दो गुना या 30 मीटर, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगी।
6. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू-खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू-खण्ड का निर्माण किए जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 61 के अनुसार दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार होगा। इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी।
7. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जायेगी।
8. वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा :—

➤ 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड	100 प्रतिशत
➤ 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड	100 प्रतिशत
➤ फर्शी क्षेत्र अनुपात	1.50

6.4.2.2 वर्तमान मार्गों पर मिश्रित गतिविधियाँ

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतर वाणिज्यिक गतिविधियाँ मार्गों पर संचालित हैं। अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया है :—

- (1) वाणिज्यिक मार्ग (सी)
- (2) आवासीय—सह—वाणिज्यिक मार्ग (आर.सी)

इन उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत मार्ग चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात सारणी 6.6 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 6.6 वर्तमान मिश्रित क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

क्र.	मार्ग का नाम	वर्गीकरण	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4	5	6
1	गुरैया मार्ग	मिश्रित	12.00	18.00	1.75

क्र.	मार्ग का नाम	वर्गीकरण	वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)	अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात
1	2	3	4	5	6
2	भरतादेव मार्ग	मिश्रित	12.00	18.00	1.75
3	चक्कर मार्ग	मिश्रित	15.00–18.00	18.00	1.75
4	खजरी मार्ग	मिश्रित	24.00	24.00	2.00

टीप:-

1. बस स्टैण्ड (मानसरोवर काम्पलेक्स) से प्रारंभ होकर क्रमशः नागपुर, परासिया, नरसिंहपुर, सिवनी मार्ग पर मार्ग चौड़ाई से दो गुना गहराई तक, विकास योजना मानचित्र में अंकित प्रस्ताव अनुसार मिश्रित उपयोग मान्य होंगे।
2. उपरोक्त मार्ग खण्डों के वर्तमान उपयोग के आधार पर कॉलम 3 अनुसार मार्गों का वर्गीकरण किया गया है। अतः निर्धारित मापदण्ड अनुसार मिश्रित उपयोग अन्तर्गत वर्तमान मार्ग खण्ड के लिये ही लागू होंगे, जो विकास योजना में अंकित प्रस्ताव तक ही मान्य होंगे।
3. भू-खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर या उससे अधिक होने पर कम से कम 4.50 मीटर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम हेतु खुला छोड़ना होगा।
4. मिश्रित उपयोग प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई से दो गुना स्वीकार होगा।

निर्मित क्षेत्र :-—वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू-तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना निम्नानुसार की जायेगी।

क्र.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	भू-तल पर निर्मित क्षेत्र अधिकतम
1	2	3
1.	अधिकतम 200 वर्ग मीटर तक	66 प्रतिशत
2.	200 वर्ग मीटर से अधिक 400 वर्गमीटर तक	60 प्रतिशत
3.	400 वर्गमीटर से अधिक	50 प्रतिशत

6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे।

6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

6.4.4.1 मिश्रित उपयोग

आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय/गैर वाणिज्यिक/गैर सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियाँ।

6.4.4.2 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है। बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है। इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है। आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग बढ़ने के कारण वास्तविकता को नियोजन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता। अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता, सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे।

6.4.4.3 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय, गैर वाणिज्यिक एवं गैर सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधि किये जाने से है।
2. ऐसे कार्यकलापों की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है।
3. मिश्रित उपयोग से, अलग-अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आयेगी किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़-भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है। प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा।

6.4.4.4 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें

1. मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं भूतल निर्मित क्षेत्र इत्यादि) मिश्रित उपयोग के लिये भी लागू रहेंगे।
2. मिश्रित उपयोग के यह नियमन पूर्व से विकसित क्षेत्र एवं नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे तथा पार्किंग हेतु परिसर उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे। विकसित क्षेत्र में पुनर्विकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किए जा सकेंगे।

3. 12.0 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर-आवासीय गतिविधियाँ जैसे वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियाँ मान्य की जा सकेंगी।

6.4.5 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन सारणी 6.9 में दर्शाए गए हैं।

6.4.6 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

1. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 19 के परिशिष्ट-ज में दिए गए अनुसार होगी।
3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है। अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे।
4. उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट-छ: में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है।

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड सारणी 6.9 में दर्शाए गए हैं।

6.5 अन्य नियमन

6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे।

6.5.2 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे।

6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे।

6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निम्न सारणी में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

सारणी 6.7 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

क्र.	विवरण	मानक
1	2	3
1.	फुटपाथ व्यापार वृत्त खण्ड केन्द्र उपवृत्त खण्ड केन्द्र ¹ सुलभ शॉपिंग	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
2.	शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय	1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार
3.	थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्पलेक्स	3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
4.	चिकित्सालय	3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर
5.	विद्यालय प्राथमिक माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक	3 से 4 इकाई 5 से 6 इकाई
6.	उद्यान नगर उद्यान स्थानीय उद्यान	8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार 2 से 3 इकाई
7.	आवासीय	1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या
8.	बस स्थानक / रेलवे स्टेशन	परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा।

टीप:- प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी।

6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र 18.00 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्वीकार्य होंगे तथा शेष मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3)(चार) के अनुरूप होंगे। ई-वाहन/बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासंन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे।

6.5.6 यातायात नगर/मैकेनिक नगर/लॉजिस्टिक हब/निजी बस स्थानक

इस उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी— ट्रक टर्मिनल, मोटर गैरेज, वर्कशॉप, स्पेयर पाटर्स एवं सुधार की दुकानें रात्रि विश्राम गृह बोर्डिंग/लाजिंग, बैंक, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, बुकिंग ऑफिस, वेयर हाउस एवं अनुषांगिक गतिविधियाँ।

यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन निम्नानुसार हैः—

1. मार्ग की न्यूनतम ऊँचाई 18.00 मीटर से कम नहीं होगी।
2. सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा।
3. यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है। स्थल के आधार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी।

6.5.7 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल

शॉपिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे। उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक, मिश्रित एवं आवासीय भू—उपयोग में मान्य होगी। खुला मॉल, कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य होंगे।

6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन

1. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू—आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा जोनल प्लान तैयार कर निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे। जब तक जोनल प्लान लागू नहीं होगा तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे।
2. विकसित क्षेत्रों में पुनर्विकास की अनुमति सीधे स्थानीय निकाय द्वारा दी जावेगी।
3. भवन की ऊँचाई, अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे।

6.5.9 उद्यान

1. समस्त प्रकार के आमोद—प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुषांगिक स्वीकार्य होगी।
2. स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे।

6.5.10 बायपास मार्ग पर स्वीकृत गतिविधियों हेतु मानक

बायपास मार्ग पर स्वीकृत गतिविधियों हेतु मानक

1.	अधिकतम एफ0ए0आर0	1:0.75
2.	अधिकतम भूतल कवरेज	25 प्रतिशत

3.	अधिकतम ऊँचाई	9.00 मीटर
4.	सीमांत खुला क्षेत्र समुख अन्य तीनों ओर	12.00 मीटर 6.00 मीटर

टीप:

1. मल्टीप्लेक्स हेतु अधिकतम एफ0ए0आर0 1:0.30 तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं साफ्टवेयर इकाईयों हेतु अधिकतम एफ0ए0आर0 1:1.50 स्वीकार्य होगा।
2. 5000 वर्गमीटर से बड़े भूखण्डों पर एफ0ए0आर0 एवं भूतल क्षेत्रफल की गणना कुल भूमि क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत भाग पर ही की जावेगी।
3. बायपास मार्ग पर विकास के पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत विकास कार्य मान्य होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग बायपास (रिंग रोड) मार्ग के दोनों ओर केवल कृषि उपयाग में 200—200 मीटर तक स्वीकार्य गतिविधियाँ

1. ईंधन भराव केन्द्र/सर्विस स्टेशन
2. मोटल
3. रिसोर्ट
4. होटल/टूरिस्ट लॉज/रेस्ट हाउस
5. बस स्टैण्ड/पिकअप स्टेशन/टेक्सी स्टैण्ड
6. ढाबा/रेस्टोरेन्ट
7. पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी
8. नाका/धर्मकांटा/वेइंग ब्रिज
9. भवन सामग्री स्थल
10. कोयला भण्डारन
11. दूर संचार केन्द्र/एस0टी0डी0/पी0सी0ओ0/सायबर कैफे
12. मल्टीप्लेक्स/सिनेमा
13. स्वास्थ्य केन्द्र/क्लीनिक

- 14. यात्रियों के लिये अधोसंरचना सुविधा/एम्बूजमेन्ट पार्क**
- 15. शासकीय अर्द्धशासकीय कार्यालय**
- 16. भौतिक अधोसंरचना सुविधा जैसे:- जल-मल निकास, जल प्रदाय विद्युत व्यवस्था मार्ग इत्यादि**
- 17. बैंक/ए०टी०एम०/पोस्ट ऑफिस**
- 18. वाणिज्यिक माल**
- 19. ट्रक टर्मिनल/कन्टेनर डिपो**
- 20. प्रेस काम्पलेक्स/सुलभ शौचालय**
- 21. धर्मशाला**
- 22. पार्किंग**
- 23. अग्निशमन केन्द्र**
- 24. सूचना एवं प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर इकाईयाँ**

6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियाँ निम्नानुसार प्रावधानित हैं :-

1. नदी के दोनों ओर 30.00 मीटर तथा नाले के दोनों ओर 9.00 मीटर क्षेत्र खुला रखा जावेगा एवं उसमें सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण किया जावेगा।
2. तालाबों के किनारे न्यूनतम 30.00 मीटर दूरी तक का क्षेत्र खुला रखा जावेगा। इस सीमा के अंतर्गत आने वाली संरचना में किसी प्रकार का बदलाव या नव निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जावेगी।
3. नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम-से-कम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियमों के अनुसार होगा।
4. नहर की स्थिति सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों में कम से कम 4.50–4.50 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा।
5. छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में स्थित खदानों में जल भराव होने के कारण जन सुरक्षा की दृष्टि से खदानों के आस-पास न्यूनतम 9.00 मीटर तक का क्षेत्र खुला रखा जावेगा।
6. प्रदूषित जल/मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा।
7. जलाशय/जल स्रोतों के किनारे के क्षेत्रों में भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को सीवेज लाईन, जब उसका निर्माण हो जाए से जोड़ना होगा।
8. निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ०ए०आर० में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

9. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे।
 10. नियंत्रित क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं बैठक की व्यवस्था स्वीकार्य की जा सकती है।
 11. प्रतिबंधित क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं विरासत महत्व के स्मारकों को सुरक्षित रखा जायेगा। इन स्मारकों के रख-रखाव को प्रोत्साहित किया जावेगा।
 12. नगरीय विरासत वाले क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विरासत महत्व के स्मारकों के संरक्षण एवं सुधार को दृष्टिगत रखते हुये एवं स्थल का अध्ययन कर विकास अनुमतियाँ दी जा सकेंगी।
 13. नियंत्रित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से पर्यटकों के परोक्ष मनोरंजन, आमोद-प्रमोद को प्रोत्साहन या दर्शनीय स्थलों के विस्तार एवं अन्य कार्य स्वीकार्य होंगे।
 14. नियंत्रित क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों में आच्छादित क्षेत्र या फर्शी क्षेत्रानुपात में वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
 15. संवदेनशील क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के रख-रखाव के विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे।
1. ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र :-
 - नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन।
 - प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी आधिपत्य में हो, तो भी।
 - समय-समय पर उत्खनित/खोजे गए विरासतीय भवन।
 2. नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन
 3. प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी आधिपत्य में हो तो भी समय-समय पर उत्खनित/खोजे गये विरासतीय भवन।
 16. नगर के पुराने आबादी क्षेत्र में अनेक छोटी बड़ी चूने की खदानें हैं, जो वर्तमान में बंद हैं। इन खदानों के चारों आरे 9.00 मीटर की परिधि में किसी प्रकार की विकास अनुज्ञा दिया जाना पुर्णतः प्रतिबंधित है। साथ ही खदानों की स्थिति को राजस्व अभिलेख अनुसार निर्धारित किया जावेगा।

6.7 उपयोग परिसर में स्वीकृत गतिविधियाँ

सारणी 6.8 उपयोग परिसर में स्वीकृत गतिविधियाँ

क्र.	उपयोग 1 2	स्वीकृत उपयोग परिसर 3
1.	आवासीय	आवासीय भूखण्डीय विकास, अपार्टमेंट हाउसिंग/फ्लेट्स, अतिथि गृह/रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हॉल, मैरिज गार्डन, बाल सुधार गृह/कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, किलनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु किलनिक/औषधालय, खेल का मैदान/ नेवरहुड पार्क, झूलाघर/डे-केयर सेंटर, किलनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, मल्टीफ्लेक्स मॉल, होटल, ईधन भराव एवं भराव—सह—सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय/संस्थान, समस्त विद्यालय, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत/ नृत्य/ नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्द्धशासकीय/ शासकीय कार्यालय/सुविधायें, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप, पिकअप स्टेशन, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र गृह, मनोरंजन क्लब, खेल मैदान/स्टेडियम, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर।
2.	वाणिज्यिक	
	(अ) सामान्य वाणिज्यिक	आवासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियाँ (आवासीय भूखण्डीय विकास को छोड़कर), सिनेमा हाल, होटल, ईधन भराव एवं भराव—सह—सेवा केन्द्र, प्रिटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर—संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन,

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
1	2	3
		वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, माल, मल्टीप्लेक्स, ओपन मॉल, फिटनेस क्लब, मिश्रित उपयोग।
	(ब) वर्गीकृत वाणिज्यिक	सामान्य वाणिज्यिक में स्वीकार्य गतिविधियाँ तथा थोक व्यापार एवं लॉजिस्टिक हब।
	(स) लॉजिस्टिक	कोल्ड स्टोरेज, फ्यूल स्टोरेज, पेट्रोल पम्प, सर्विस सेंटर, हॉस्टल्स, गेस्ट हॉउस, लॉजिंग हॉउस, स्थानीय दुकान, रेस्टारेंट, किलनिक / डिस्पेंसरी, गोडाउन / वेयरहाउस, फेब्रिकेशन वर्कशॉप, फायर स्टेशन, रो-हाउस, नर्सिंग होम, ट्रेनिंग सेंटर, कार्यालय, शॉपिंग मॉल, खेल गतिविधियाँ।
3.	मिश्रित	आवासीय उपयोग परिक्षेत्र, वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक अंतर्गत उल्लेखित सभी गतिविधियाँ स्वीकृत होंगी।
4.	औद्योगिक	औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह / रेस्ट हाउस, होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, किलनिक / डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, किलनीकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, होटल, इंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस, फेलैटेड फैक्टरी, स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें / अर्द्धशासकीय / शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, बस स्टैण्ड, यातायात नगर।

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
		1
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	अतिथि गृह / रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, किलनिक / डिस्पैण्सरी, प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर / डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, किलनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग -ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील), सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, विश्व विद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा / इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्नीक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ-मानसिक विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान / प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत / नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें / अर्द्धशासकीय / शासकीय कार्यालय, दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, गृह, मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, लाइब्रेरी, म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, मिश्रित उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग”
6.	सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं	अग्निशमन स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर-संचार टावर / स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल / अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय, यातायात सुविधाएं, संचार सुविधाएं, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य।

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर		
		1	2	3
7.	यातायात एवं परिवहन	रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन/ रेल्वे साइडिंग/ यार्ड/ आपरेशनल एरिया, बस स्टेण्ड, बस डिपो, ट्रक टर्मिनल—नगर, हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशॉप, अनुषांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव—सह—सेवा केन्द्र।		
8.	आमोद—प्रमोद			
	(अ) क्षेत्रीय/ नगर उद्यान/ मनोरंजन	खेल का मैदान, पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन साईट, क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी, जिम्नेजियम मय वोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईंग क्लब, फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, वाटर पार्क मय राइडर कियोस्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, पम्प हाउस, ईंधन भराव एवं भराव—सह—सेवा केन्द्र, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/ सुविधाएं।		
	(ब) स्टेडियम/ खेल मैदान	स्टेडियम/ खेल मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, क्लब /रिसोर्ट, घुड़सवारी प्रशिक्षण, जिम्नेजियम, बोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईंग, फिटनेस क्लब, मेला स्थल, नर्सरी, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास, पम्प हाउस, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/ सुविधाएं।		
	(स) मेला मैदान	मेला मैदान, खेल का मैदान, पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, क्लब, घुड़सवारी, जिम्मेजियम, बोट क्लब, आंतरिक स्टेडियम—अस्थाई प्रकृति के, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईंग, फिटनेस क्लब, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, रिसोर्ट, पर्यटक/कुटीर—अस्थाई प्रकृति के, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/ सुविधाएं।		

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर		
		1	2	
	(द) हरित क्षेत्र	खेल का मैदान, नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी प्रशिक्षण, बोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईंग, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, खेल उद्यान, पम्प हाउस, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान।	3	
	(इ) वृक्षारोपण	पर्यावरण वानिकी, खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी, बोट क्लब, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट—अस्थाई प्रकृति की, वाटर पार्क, पर्यटक/कुटीर—अस्थाई प्रकृति की, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/सुविधाएं।		
9.	कृषि	(अ) कृषि भूमि	ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो “कृषि” शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है। शमशान घाट/कब्रिस्तान, जल—मल शोधन केन्द्र, ईंट भट्टे दुग्ध डेयरी, तेल डिपो, फार्म हाउस, वेयर हाऊस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय/ अर्द्ध—शासकीय/ पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/शैक्षणिक/संचार गतिविधियाँ, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (विलनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु विलनिक/औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हाल, मैरिज गार्डन, बिंग बाज़ार, बालगृह, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईधन भराव एवं भराव—सह—सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय/नर्सरी, प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ—मानसिक विकलांगता ब—शारीरिक विकलांगता), पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी,	

क्र.	उपयोग	स्वीकृत उपयोग परिसर
		3
1	2	<p>लाइब्रेरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, ओपन मॉल ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन, वॉटर पार्क, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेरी प्लांट स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल/अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव-दाह, जल/वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, समस्त खेल गतिविधियाँ/लॉजिस्टिक हब, बस स्टैण्ड, यातायात नगर, हाट/साप्ताहिक बाजार, जेल, फाइरिंग रेंज, शूटिंग रेंज, शासकीय परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों का पुनर्वास, सौर ऊर्जा संयंत्र, ढाबा, ट्रांसपोर्ट नगर, सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा*** ए समस्त प्रकार के भण्डारण।</p>
(ब) ग्राम आबादी विस्तार		<p>ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो “कृषि” शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है। इंट भट्टे, दुग्ध डेयरी, फार्म हाउस, समस्त स्वास्थ्य सुविधाएँ (संक्रामक रोगों के अतिरिक्त), रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल/बारात घर/मांगलिक भवन/कल्याण मंडपम, मैरिज गार्डन, ऑटो सर्विस स्टेशन/मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, वाहन शोरूम, होस्टल/लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, सामाजिक कल्याण केन्द्र, नर्सरी, सेवाओं/सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक/ए.टी.एम., रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान, होटल, समस्त खेल गतिविधियाँ, सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधाएँ में स्वीकृत सभी गतिविधियाँ, कम्यूनिटी हाल, बालगृह, सुविधाजनक दुकानें, बस/पिकअप स्टेशन, ‘सूचना प्रौद्योगिकी’ एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग*, कृषि पर्यटन सुविधा” एवं समस्त प्रकार के भण्डारण।</p>

नोट :-

- (1) *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।
- (2) **गैर-प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
- (3) ***कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार मान्य होगा।

सारणी 6.9 उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित वार्ग की न्यूनतम चौकाई भूमि भैटर में	भू-तल अधिकातम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	कंचाई भैटर में	न्यूनतम एमओ.एस.		न्यूनतम वाहन पालिंग	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फँटेज भीटर में
							सामने	पीछे	साइड ए	
शैक्षणिक गतिविधियाँ										
1.	वोकेशनल संस्थान (व्यवसाय संबंधी)	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार फँटेज = 20 भी.
2.	विश्वविद्यालय	यू.जी.सी. अनुसार	18.00	—	—	—	—	—	—	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार फँटेज = 100 भी.
	अ-प्रशासकीय	भूमि का 45 — प्रतिशत	30	1:1.25	12.50	30.00	6.00	6.00	6.00	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार फँट एम.ओ.एस. केवल फँट साइड में
	ब-आवासीय	भूमि का 25 — प्रतिशत	30	1:1.25	12.50	30.00	4.50	4.50	4.50	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार फँट एम.ओ.एस. केवल फँट साइड में

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या मूल्यांक का	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ीई मीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	जंचाई मीटर में	न्यूनतम एमओ.एस.		न्यूनतम वाहन पालिंग मीटर में	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रॉटेज मीटर में
							सामने	मीडे	साइड ए	
सं-खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधि	भूमि का 15 –	केन्द्रफल हेक्टर में	10	1:0.15	12.50	30.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉट एम.ओ.एस. केबल फ्रॉट साइड में
द-पार्क एवं लैण्ड स्केप (प्राकृतिक भू दृश्यीकरण)	भूमि का 15 –	प्रतिशत	5	1:0.05	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	एम.ओ.एस. छोड़कर ही निर्माण कार्य हेतु	
3.	शैक्षणिक महाविद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	फ्रॉटेज = 60 मी.
4.	शिकित्सा / इंजीनियरिंग महाविद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	30.00	9.00	9.00	फ्रॉटेज = 75 मी.
5.	अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	9.00	फ्रॉटेज = 75 मी.
6.	पॉलीटेक्नोक	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	फ्रॉटेज = 60 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	चूनतम भूमि या भूखण्ड का केन्द्रफल हेवटर में	सामने स्थित मार्ग की चूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कहरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	कंचाई भीटर में	चूनतम एम.ओ.एस. भीटर में		चूनतम याहन पाइंग साईड से	चूनतम याहन पाइंग साईड से	अन्य नियंत्रण/चूनतम फँटेज मीटर में
							सामने	पीछे			
7.	प्राथमिक / सेकण्डरी विद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फँटेज = 45 मी.
8.	प्राथमिक विद्यालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	15.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फँटेज = 30 मी.
9.	नर्सरी स्कूल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फँटेज = 25 मी.
10.	प्लॉ स्कूल	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फँटेज = 12 मी.
11.	समन्वित आवासीय विद्यालय	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फँटेज = 35 मी.
12.	विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फँटेज = 24 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम शूमि या सूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चीज़हाँ मीटर में	एफ.ए. आर.	कंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस.		न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फण्टेज मीटर में
						सामने	पीछे	साइड स्	
13.	व्यवसायिक प्रबंधन संस्थान	0.50	12.00	35	1:1.25	12.50	24.00	9.00	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार फण्टेज = 35 मी.
14.	व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार फण्टेज = 24 मी.
15.	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	0.50	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार फण्टेज = 30 मी.
16.	संगीत / नृत्य / नादय प्रशिक्षण केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार फण्टेज = 24 मी.
17.	कौचिंग इन्स्टीट्यूट (शिक्षण संस्थान)	0.10	12.00	30	1:1.25	12.50	9.00	4.50	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार फण्टेज = 20 मी.
18.	कौचिंग सेंटर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	7.50	4.50	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार फण्टेज = 12 मी.
19.	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार फण्टेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूगि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेवटर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कहरेज प्रविशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस.		न्यूनतम वाहन पार्किंग स्थाने	न्यूनतम वाहन पार्किंग स्थाने	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्राइटेज मीटर में
							सामने पोछे	साईड स			
20.	शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्राइटेज = 18 मी.
21.	जौदायीक प्रशिक्षण संस्थान	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्राइटेज = 30 मी.
22.	नासिंग एवं पैरामोडिकल संस्थान	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्राइटेज = 24 मी.
23.	होटल मैनेजमेंट संस्थान	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्राइटेज = 30 मी.
24.	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्राइटेज = 30 मी.
25.	अन्य शैक्षणिक संस्थान	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्राइटेज = 30 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	चूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की चूनतम बीकॉर्ट मीटर में	भू-तल आधिकारम कद्दरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	जंचाई भीटर में	चूनतम एम.ओ.एस.		चूनतम याहन पाकिंग	चूनतम मीटर में	सामने पीछे साईड स्	अन्य नियंत्रण / चूनतम फण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे				
26.	आई.टी.आई.	तकनीकी विभाग अनुसार	शिक्षा 12.00	35	1:1.25	12.50	18.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फण्टेज = 30 मी.	
27.	किंडर गार्डन स्कूल	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फण्टेज = 18 मी.	
28.	झाईविंग स्कूल	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	7.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फण्टेज = 30 मी.	
29.	प्रयोगशाला	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फण्टेज = 18 मी.	
स्वास्थ्य गतिविधियाँ												
30.	सामान्य विकित्तालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.50	12.50	15.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फण्टेज = 30.00 मी.	
31.	विशेष / सुपर स्पेशियलिटी विकित्तालय	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.50	12.50	15.00	9.00	9.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फण्टेज = 30.00 मी.	

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने लिखत मार्ग की न्यूनतम चौकाई मीटर में	भू-तल अधिकतम काढ़ेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	कंचाई भीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. भीटर में		न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम क्रण्टेज भीटर में
							सामने	पीछे	साईड स	
32.	विलनिक / डिस्पैसरी	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. सू.वि.नि. अनुसार क्रण्टेज = 18 मी.
33.	प्रश्तुति गह	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. सू.वि.नि. अनुसार क्रण्टेज = 18 मी.
34.	प्राथमिक रक्तास्थ केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. सू.वि.नि. अनुसार क्रण्टेज = 18 मी.
35.	नसिंग होम	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. सू.वि.नि. अनुसार क्रण्टेज = 18 मी.
36.	पोलिक्लिनिक	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. सू.वि.नि. अनुसार क्रण्टेज = 18 मी.
37.	कलीनिकल प्रयोगशाला	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. सू.वि.नि. अनुसार क्रण्टेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम ए.ओ.एस. मीटर में		न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फण्टेज मीटर में
						सामने	पीछे	साईड से	
38.	पेशेलांजी लैवे	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50 म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फण्टेज = 18 मी.
39.	पालतू पशु विळानिक	0.05	12.00	35	1:0.50	7.50	6.00	4.50	4.50 म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फण्टेज = 12 मी.
40.	पालतू पशु औषधालय	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50 म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फण्टेज = 12 मी.
41.	डायग्नोस्टिक सेंटर	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	9.00	6.00	6.00 म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फण्टेज = 18 मी.
42.	ल्लड बैंक	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50 म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फण्टेज = 18 मी.
43.	रेड क्रास केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	6.00	6.00	6.00 म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फण्टेज = 18 मी.
44.	फिजियोथेरेपी केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50 म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फण्टेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या सूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कढ़ेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	कंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में		न्यूनतम वाहन पार्किंग सामने पीछे साईड स	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में	नियंत्रण/न्यूनतम फ्रेटेज मीटर में
							सामने	पीछे			
45.	एक्सरे / रेडियोलॉजी	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रेटेज = 18 मी.
रहवासी गतिविधियाँ											
46.	कामकाजी नहिला छात्रावास	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रेटेज = 18 मी.
47.	बालगृह	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रेटेज = 18 मी.
48.	बाल सुधार गृह	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रेटेज = 18 मी.
49.	शूलघर / डे-केयर सेंटर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रेटेज = 18 मी.
50.	अनाथालय	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रेटेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का स्थित नार्ता की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	सामने भू-तल अधिकतम कहरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	छंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में		वाहन पार्किंग सामने गोडे साईड स	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में	नियंत्रण / न्यूनतम फ्रेटेज शीटर में
						सामने	गोडे			
51.	सुदार्शन	0.20	12.00	35	11.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार फ्रेटेज = 18 मी.
52.	धर्मशाला	0.05	12.00	35	11.125	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार फ्रेटेज = 18 मी.
53.	लौंजिंग	0.05	12.00	35	11.150	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार फ्रेटेज = 18 मी.
54.	लौंजिंग एवं बोहिंग	0.05	12.00	35	11.150	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार फ्रेटेज = 18 मी.
55.	होस्टल	0.05	12.00	35	11.150	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार फ्रेटेज = 18 मी.
56.	बोहिंग	0.05	12.00	35	11.150	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार फ्रेटेज = 18 मी.
57.	रेस्ट हाउस / अतिथि गृह	0.20	12.00	35	11.125	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार फ्रेटेज = 24 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / नतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने लिथिट मार्ग की न्यूनतम चौड़ी भीटर में	भू-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर.	ऊंचाई भीटर में	न्यूनतम एम.वी.एस. भीटर में		न्यूनतम वाहन पार्किंग सामने पीछे साईड से	न्यूनतम वाहन पार्किंग सामने पीछे साईड से	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फँटेज भीटर में	
							सामने	पीछे	सामने	पीछे		
58.	रात्रि विद्रोह गृह	0.05	12.00	35	1:1.50	7.50	6.00	4.50	4.50	4.50	म.प्र. भूविनि. अनुसार	फँटेज = 24 मी.
59.	सर्किट हाउस	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	6.00	म.प्र. भूविनि. अनुसार	फँटेज = 24 मी.
60.	भूखण्डीय विकास	—	7.50	—	—	12.50	लेआउट लेआउट	लेआउट	लेआउट	लेआउट	म.प्र. भूविनि. अनुसार	(1) फँटेज = ले-आउट अनुसार, (2) खुला क्षेत्र = 10 प्रतिशत, (3) सेवा क्षेत्र = 1.0 प्रतिशत
61.	झूप लाडसिंग	0.40	12.0	30	1:1.50	12.50	7.50	6.00	6.00	6.00	म.प्र. भूविनि. अनुसार	(1) खुला क्षेत्र = 10 प्रतिशत,

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	मूँ-तल अधिकतम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	लंचाई भीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस.		न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रांटेज मीटर में
							सामने पीछे	साईड स		
62.	जावासीय सह व्यवसायिक / स्थानीय दुकान	0.01	12.00	40	1:1.50	12.50	4.50	1.50	—	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 6.0 मी.
63.	अपार्टमेंट हाउसिंग	0.05	12.00	30	1:1.50	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 18 मी.
वाणिज्यिक गतिविधियाँ										
64.	शापिंग माल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
65.	मल्टीप्लेक्स	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

(2) सेवा क्षेत्र
= 1.0
प्रतिशत

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या मूख्य का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित यार्ता की न्यूनतम चौड़ी मीटर में	भू-तल अधिकातम काफ़ेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस.		न्यूनतम वाहन पार्किंग	नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रेंटेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड स्	
66.	सुपर मार्केट / घिपार्टमेंटल स्टोर्स	0.20	12.00	33	1:1.75	12.50	15.00	7.50	7.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार फ्रेंटेज = 24 मी.
67.	कैफेटेरिया	0.10	12.00	33	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार फ्रेंटेज = 24 मी.
68.	कर्बेनशन सेटर	0.10	12.00	30	1:1.50	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार फ्रेंटेज = 24 मी.
69.	सुविधाजनक डुकानें	—	12.00	35	1:1.50	9.00	6.00	4.50	4.50	(1) फ्रांटेज = 9 मी. (2) मूख्य का अधिकातम क्षेत्रफल शूमि के 5% पार्किंग सहित

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौपाई मीटर में	भू-तल अधिकतम कढ़ेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस.		न्यूनतम वाहन पार्किंग	नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रेटेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड स	
70.	स्थानीय ढुकाने	—	12.00	35	1:1.50	12.50	9.00	6.00	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
71.	सामाजिक हाट बाजार	0.20	12.00	35	—	4.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
72.	व्यवसायिक कॉर्पोरेट कार्यालय	0.20	12.00	35	1:1.75	12.50	9.00	6.0	6.0	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
73.	सिनेमा हाल	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम स नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	भूमि विकास नियम अनुसार	(1) फ्रेटेज = 9 मी. (2) भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल भूमि के 5% पार्किंग सहित

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	चूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की चूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकरण कब्जेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊचाई भौटर में	चूनतम एम.ओ.एस. मीटर में		चूनतम वाहन पार्किंग साईड स	चूनतम नियंत्रण / चूनतम फ्रांटेज मीटर में
							सामने	पीछे		
78.	व्यवसाय / कार्यालय	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फ्रांटेज = 9 मी.
79.	ऑटो सर्विस स्टेशन / नोटर मीरेज एवं वर्कशाप	0.05	12.00	30	1:1.25	12.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फ्रांटेज = 9 मी.
80.	स्टोरेज / गोदान अज्बलनशील पदार्थ	0.08	12.00	30	1:0.75	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फ्रांटेज = 18 मी.
81.	स्टोरेज जबलनशील पदार्थ भीजल आदि	18.00	25	1:0.50	12.50	30.00	20.00	20.00	20.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार (1) फ्रांटेज = 30 मी. (2) निर्मित क्षेत्र के चारों ओर 20.00 मी. स्थान चुला रखना होगा।
82.	जंकचाई	0.10	12.00	25	1:0.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फ्रांटेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का वेरपल हेवर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ीई मीटर में	फू-तल अधिकतम कद्दरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	कंचाई भौतर में	न्यूनतम एम.ओ.एस.		न्यूनतम मीटर में	चूनातम वाहन पार्किंग	चूनातम सार्वजनिक स्	नियंत्रण / न्यूनतम फ्रण्टेज भौतर में
							सामने	पीछे				
83.	वेयर हाउस / स्टोरेज / एफ. एम.सी.जी. गोदाम	0.08	12.00	30	1:0.75	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
84.	कॉल सेन्टर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.
85.	ए.टी.एस.	—	12.00	—	—	—	—	—	—	X 3.00 भौतर का निर्णय एम. ओ.एस. स्पेस को छोड़कर, निर्मित किये जा सकने वाले भौतर में स्वीकार्य होगा।	X 3.00 भौतर का निर्णय एम. ओ.एस. स्पेस को छोड़कर, निर्मित किये जा सकने वाले भौतर में स्वीकार्य होगा।	3.00 भौतर
86.	भैरज छाल	0.10	12.00	30	1:1.00	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 12 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकारम कर्वरेज प्रतिशत में	एफ.ए.आर. में	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में		न्यूनतम बाहन पाकिंग	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रेटेज मीटर में
							सामने पीछे	सामने पीछे		
87.	बारात घर	0.10	12.00	30	1:1.00	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार
88.	कल्याण मंडपम	0.10	12.00	30	1:1.00	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार
89.	मांगलिक शवन	0.10	12.00	30	1:1.00	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार
90.	मेरिज गार्डन	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार
91.	कार्गो भव्य ट्रूकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियाँ या विना इन सुनिधाओं के	0.20	12.00	25	1:0.50	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित नार्थ की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	एफ.ए.आर.	छंचाई मीटर में	न्यूनतम एमओ.एस. मीटर में	न्यूनतम वाहन पार्किंग स्.	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम क्रूप्टेज मीटर में
92.	ऑटो गोवाईल शोरूम नय सर्विस स्टेशन / गाड़न विक्रय केन्द्र के या बिना इन सुविधाओं के	0.10	12.00	30	1:1.0	12.50	9.00	6.00
93.	शिटिंग प्रेस	0.10	12.00	30	1:1.25	12.50	9.00	6.0
94.	पेट्रोलियम उत्पाद हिपो	1.00	12.00	30	1:1.00	12.50	24.00	20.00
95.	गेस गोडाउन	—	12.00	30	1:1.00	12.50	—	—
								(1) क्रूप्टेज = 18 मी. (2) निर्मित दोन के चारों ओर 12.00 मी. स्थान खुला रखना होगा।

अनु. क्र.	उपयोग / नातिविधि	न्यूनतम भूमि या मूल्यांक का शेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्फ की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल आधिकारातम कक्षरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	कंचाई भीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस.		न्यूनतम बाह्य मीटर में	पाइपिंग	न्यूनतम बाह्य फ्रॉण्टेज भीटर में	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रॉण्टेज =
							सामने	पीछे	चाईड स			
96.	अनाज चाँडी	1.00	18.00	35	1:1.25	12.50	18.00	12.00	12.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉण्टेज = 45 मी.	
97.	सब्जी/फल मण्डी	0.20	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉण्टेज = 18 मी.	
98.	लोहा मण्डी	1.00	18.00	35	1:1.25	12.50	18.00	12.00	12.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉण्टेज = 45 मी.	
99.	खबन सामग्री यार्ड	1.00	18.00	35	1:1.25	12.50	18.00	12.00	12.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉण्टेज = 45 मी.	
100.	सी.एन.जी. कंपन्य	0.10	18.00	10	1:0.15	7.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉण्टेज = 20 मी.	
101.	सार्विस स्टेशन	0.05	12.00	30	1:1.25	12.50	7.50	6.0	6.0	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉण्टेज = 12 मी.	

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	चूनतम भूमि या प्रूषण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की चूनतम चौड़ाई मीटर में	मू-तल अधिकतम कठहरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	कंचाई मीटर में	चूनतम एम.ओ.एस. मीटर में	चूनतम वाहन पार्किंग	चूनतम वाहन पार्किंग परिसर में	अन्य नियंत्रण / चूनतम फ्रॉटेज मीटर में
102.	बूटी पालंर	0.01	12.00	35	1:1.25	12.50	6.00	4.50	4.50	फ्रॉटेज = 9 मी.
103.	तौल कांटा	0.05	12.00	30	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फ्रॉटेज = 9 मी.
104.	थोक नाकेट	0.60	18.00	35	1:1.25	12.50	18.00	9.00	9.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फ्रॉटेज = 18 मी.
105.	दवाई नाकेट	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फ्रॉटेज = 18 मी.
106.	स्टेशनरी नाकेट	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फ्रॉटेज = 18 मी.
107.	ऑटोमोबाईल नाकेट	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फ्रॉटेज = 18 मी.
108.	फायर बर्केस नाकेट	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फ्रॉटेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूगति या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित नार्त की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकातम कक्षरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	कंचाई भीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. भीटर में		सामने पीछे साईड स्	न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रेटेज भीटर में
							सामने	पीछे			
109.	सरफा मार्केट	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. यू.वि.नि. अनुसार	फ्रेटेज = 18 मी.
110.	ब्राकरी मार्केट	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. यू.वि.नि. अनुसार	फ्रेटेज = 18 मी.
111.	कपड़ा मार्केट	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. यू.वि.नि. अनुसार	फ्रेटेज = 18 मी.
112.	बत्तन बाजार	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. यू.वि.नि. अनुसार	फ्रेटेज = 18 मी.
113.	मरम्मत बाजार	0.20	12.00	30	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. यू.वि.नि. अनुसार	फ्रेटेज = 18 मी.
114.	टिम्बर मार्केट	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. यू.वि.नि. अनुसार	फ्रेटेज = 18 मी.
115.	कोनिकल बाजार	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. यू.वि.नि. अनुसार	फ्रेटेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	चूनतम भूमि या भूखण्ड का बैनफल हेक्टर में	सामने स्थित गार्ग की चूनतम चौशाही गीटर में	भू-तल अधिकातम कदरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर. में	रंचाई गीटर में	चूनतम एम.ओ.एस. गीटर में		चूनतम वाहन पार्किंग	चूनतम फ्रॉटेज गीटर में
							सामने	पीछे	साइड स्	
116.	ई-चौपाल	0.20	12.00	30	1:1.50	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 18 मी.
117.	कम्प्यूटर सेंटर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.25	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 18 मी.
118.	इकार्नेल शॉपिंग	0.10	12.00	35	1:1.25	12.25	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 18 मी.
119.	बैंकेट हॉल	0.10	12.00	30	1:1.00	12.50	6.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 12 मी.
120.	एफ.एस.सी.जी. गोडाउन	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	7.50	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 18 मी.
121.	वेयर बाल्स	0.08	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित भार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकातम कक्षरेज प्रतिशत में	एक.ए. आर. में	ऊंचाई मीटर	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में	न्यूनतम वाहन पार्किंग		न्यूनतम बाहन पार्किंग फॉर्म फॉर्म मीटर में	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फॉर्म फॉर्म मीटर में
								सामने	पीछे	साइड से	
122.	कोल यार्ड	0.50	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	फॉर्म = 24 मी.
123.	मीट शाफ्ट	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	फॉर्म = 18 मी.
124.	सायरर केफे	0.20	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	फॉर्म = 18 मी.
125.	ठाबा	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	फॉर्म = 12 मी.
126.	रेल / एयर टिकिट घर	0.10	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	फॉर्म = 12 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या शूलकण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित आर्ग की न्यूनतम चौकाई मीटर में	भू-तल आधिकारिक कारब्रेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	जंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस.		न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रेटेज मीटर में
							सामने	पीछे	साइड स्	
सांस्कृतिक गतिविधियाँ										
127.	झुला रांगमंद	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	1:0.10	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.विनि. अनुसार
128.	गोग केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.विनि. अनुसार
129.	आध्यात्मिक केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.विनि. अनुसार
130.	सांस्कृतिक / सूचना केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.विनि. अनुसार
131.	सामाजिक कल्याण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.विनि. अनुसार
132.	लाइब्रेरी	0.10	12.00	35	1:1.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.विनि. अनुसार

फ्रेटेज =

12 भी.

अनु. क्र.	उपयोग/गतिविधि	स्थान भूमि या भूखण्ड का हेतुफल हेतुर में	सामने स्थित वार्ग की न्यूनतम चौड़ई मीटर में	भू-तल अधिकातम कक्षरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस.		न्यूनतम वाहन पार्किंग	न्यूनतम वाहन मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस.	नियंत्रण/ न्यूनतम फण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे				
133.	शासिक परिसर	0.10	12.00	35	1:1.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फण्टेज = 12 मी.
134.	कॉन्फ्रेन्स हॉल/प्रदर्शनी केन्द्र	0.20	12.00	30	1:1.50	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फण्टेज = 12 मी.
135.	नाद्य गृह	0.20	12.00	30	1:1.50	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फण्टेज = 12 मी.
136.	कम्प्यूनिटी हॉल	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फण्टेज = 12 मी.
137.	स्वयं सेवी संरचना	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फण्टेज = 12 मी.
138.	क्रेच/हुलाघर	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फण्टेज = 12 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	चूनतम भूमि या पूर्खण्ड का क्षेत्रफल हेवटर में	सामने स्थित भार्ग की चूनतम ढीऱ्हई बीटर में	भू-तल अधिकारम कवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर. में	कंचाई बीटर में	चूनतम एम.ओ.एस. बीटर में		चूनतम वाहन पाकिंग	चूनतम फॉटेज बीटर में	अन्य नियंत्रण/चूनतम फॉटेज बीटर में
							सामने	पीछे	साईड स्		
139	आटे / गोलेरो संग्रहालय	0.05	12.00	35	1:1.25	12.50	7.50	4.50	4.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फॉटेज = 12 मी.
खेल / मनोरंजन गतिविधियाँ											
140	खेल का मेदान / नेवरहूड पार्क	खेल / पार्क की आवश्यकतानुसार	खेल / पार्क की आवश्यकतानुसार	.	.	.	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फॉटेज 24 मी.
141	गोलक कोर्स	भारतीय खेल प्राप्ति. के मानक अनुसार	भारतीय खेल प्राप्ति. के मानक अनुसार	18.00	10	1:0.10	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	(1) एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में। (2) फॉटेज = 75 मी.
142	एम्बूलेंट पार्क / बथ राइब्स, कियोर्क, संघाण कार्यालय, बांस पलोर सहित या निना इन सुविधाओं के	2.0	18.00	20	1:0.10	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	(1)एम.ओ.एस. केवल निर्माण कार्य के संदर्भ में। (2)फॉटेज = 30 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम शुभे या भूषण का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई गीटर में	एफ.ए.आर.	कंचाई गीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. गीटर में		न्यूनतम बाह्य पाइंग साईड से	न्यूनतम बाह्य प्रतिशत कवरेज में	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रॉण्टेज गीटर में
						सामने पीछे से	सामने पीछे से			
143	कलब / रिस्टोर्ट	0.20	12.00	20	1:1.00	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फ्रॉण्टेज=18 मी.
144	छुइसवारी प्रशिक्षण स्कूल	2.00	18.00	20	1:0.25	12.50	12.00	9.00	9.00	(1) भारतीय खेल प्राप्ति, की नियंत्रित शर्तों अनुरूप। (2) फ्रॉण्टेज = 50 मी.
145	जिम्बेजियम बय पूल गेम, स्लोकस एवं जूस शॉप, योग केन्द्र या इन सुविधाओं विना	0.20	12.00	30	1:0.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फ्रॉण्टेज=18 मी.
146	बोट कलब	भारतीय प्राप्ति, के मानक अनुसार	खेल 18.00	15	1:0.10	आवश्यकतातु सार	12.00	9.00	9.00	(1)एम.ओ.एस. केवल नियंत्रण कार्य के संदर्भ में। बोट कलब का निर्माण

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में	न्यूनतम वाहन पार्किंग	न्यूनतम वाहन पार्किंग/
147	आंतरिक स्टेडियम	खेल की	12.00	25	1:0.75	12.50	12.00	6.00
		आवश्यकतानुसार						जल तट से लग कर आवश्यकतानु सार किया जा सकेगा। (2) फण्टेज = 30 मी.
148	स्टेडियम	खेल की	18.00	30	1:0.00	12.50	12.00	6.00
		आवश्यकतानुसार						स.प्र. भूवि.नि. अनुसार फण्टेज = 18 मी.
149	स्पोर्ट्स काम्पलेक्स	खेल की	18.00	35	1:0.25	12.50	12.00	6.00
		आवश्यकतानुसार						स.प्र. भूवि.नि. अनुसार फण्टेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम शुल्क या भूखण्ड का देशफल हेवटर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	भू-तल अधिकातम कक्षरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर. में	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस.		न्यूनतम याहून पाइंग पाइंग	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साइड स्	
150	आरचर्ड	0.10	12.00	20	1:0.25	7.00	9.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार
151	तरणात्त	0.20	12.00	25	1:0.00	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार
152	पिकनिक हट	0.10	12.00	25	1:0.25	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार
153	फलांग कलब	0.20	12.00	30	1:0.00	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार
154	फिटनेस कलब	0.10	12.00	35	1:1.25	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार
155	मेला मैदान	आवश्यकतानुसार	18.00	20	1:0.75	7.50	15.00	9.00	9.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार
156	नसरी	0.10	12.00	30	1:0.75	9.00	9.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम शून्य या शूण्ड का क्षेत्रफल हेवटर में	सामने स्थित आर्ग की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	एफ.ए. आर. कठुरेज प्रतिशत में	कंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में		न्यूनतम वाहन पार्किंग	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रेण्टेज गीटर में
						सामने	पीछे	साईड स	
157	पक्षी अवयारण्य	1.00	12.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फ्रेण्टेज = 30 मी.
158	वनस्पति उद्यान	1.00	12.00	20	1:0.25	12.50	30.00	12.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फ्रेण्टेज = 30 मी.
159	प्राणी उद्यान	1.00	12.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फ्रेण्टेज = 30 मी.
160	मत्स्यालय	1.00	12.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फ्रेण्टेज = 30 मी.
161	केमिंग साइट	1.00	12.00	20	1:0.25	12.50	18.00	9.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फ्रेण्टेज = 30 मी.
162	वाटर पार्क स्प्रे राईशर, कियोस्क संधारण कार्यालय, डांस पलोर सहित या विना इन शुब्बियाँ के	1.00	12.00	20	1:0.10	आवश्यकता अनुसार	18.00	9.00	(1)एम.ओ. एस. केवल नियन्त्रण कार्य के संदर्भ में (2) फ्रेण्टेज = 30

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या मूख्यण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित नार्ता की न्यूनतम चौड़ई मीटर में	भू-तल आधिकारिक कर्करेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	कंचाई भीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस.		न्यूनतम वाहन पार्किंग	न्यूनतम पार्किंग साप्तरी में	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फण्टेज मीटर में सी.
							सामने पीछे	साइड में			
163	रिसार्ट पर्टटक / कुटीर	1.00	12.00	20	1:0.10	आवश्यकता अनुसार	18.00	9.00	9.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	(1)एम.ओ. एस. केवल निर्णय कार्य के संदर्भ में। (2) फण्टेज = 30 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ी हेक्टर में	भू-तल अधिकातम कहरेरेज प्रतिशत में	ए.ए. आर.	ऊंचाई भीटर में	न्यूनतम एसओ.एस. भूहन सामने सामने		न्यूनतम वाहन पार्किंग साइड स	न्यूनतम वाहन पार्किंग साइड स	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फँटेज भीटर में	
							सामने	पीछे				
शासकीय गतिविधियाँ												
164	शासकीय / अर्द्ध शासकीय कार्यालय / उपकरण, अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर सहित,	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	10.00	5.00	5.00	म.प्र. मू.वि.नि.	(1)फँटेज = 12 मी.। (2) स्टाफ क्वार्टर का अधिकातम क्षेत्र नियण हेतु स्थीकार्य क्षेत्र का 20 प्रतिशत	अनुसार
165	न्यायालय	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	म.प्र. मू.वि.नि.	फँटेज = 30 मी.	अनुसार
166	जेल	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	म.प्र. मू.वि.नि.	फँटेज = 30 मी.	अनुसार
167	स्थानीय निकाय कार्यालय	आवश्यकता अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	म.प्र. मू.वि.नि.	फँटेज = 30 मी.	अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूजण्ड का देनकल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चैक्वाई मीटर में	भू-तल अधिकतम काढ़ेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	फंचाई भीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस.		न्यूनतम वाहन पार्किंग	न्यूनतम चैक्वाई मीटर में	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रॉटेज भीटर में
							सामने	पीछे			
168	पुलिस स्टेशन	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉटेज = 24 मी.
169	पुलिस पोस्ट	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉटेज = 24 मी.
170	बैंक	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	12.00	7.50	7.50	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉटेज = 18 मी।
सार्वजनिक सेवाएं चुविधाएं											
171	शासकीय / अर्हशास कीय	आवश्यकता अनुलम	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉटेज = 12 मी।
	कार्यालय / उपकरण, अत्यवश्यक स्टाफ बचाव चाहिए,										
172	पोस्ट ऑफिस	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉटेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	चूनतम भूमि या भूमुण्ड का हेत्रफल हेवटर में	सामने स्थित मार्ग की चूनतम चौड़ई मीटर में	एफ.ए.आर.	कंचाई मीटर में	चूनतम एम.ओ.एस. मीटर में		चूनतम वाहन पार्किंग साइड से	चूनतम वाहन पार्किंग पार्किंग प्लॉट में	अन्य नियन्त्रण / चूनतम क्रण्टेज मीटर में
						सामने	पीछे			
173	दूरसंचार टावर /स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
174	जल शोधन संयंत्र	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
175	कच्छाईन्ड ट्रिटमेंट प्लान्ट	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
176	वेस्ट बाटर शोधन उपचार संयंत्र	आवश्यकता अनुसार	12.00	25	1:0.25	12.50	12.00	9.00	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
177	दूर संचार केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.25	आवश्यकता अनुसार	12.00	6.00	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.
178	द्रांगमिशन टावर /वायर लेस स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार	फ्रण्टेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	चूनतम भूमि या भूखण्ड का देशफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की चूनतम चौड़ी मीटर में	पू-तल अधिकतम कक्षरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	फंचाई भीटर में	चूनतम एम ओ.एस.		चूनतम वाहन पार्किंग सामने	चूनतम एम ओ.एस. मीटर में	चूनतम वाहन पार्किंग साईड ए	अन्य नियंत्रण/ चूनतम फ्रेज भीटर में
							सामने	पीछे				
179	रेडियो स्टेशन	0.40	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	6.00	6.00	फण्टेज = 18 मी.।
180	वैधानिकाला	आवश्यकता अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
181	अनिश्चयन केन्द्र	आवश्यकता अनुसार	18.00	30	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	फण्टेज = 18 मी.
182	टेलीविजन स्टेशन	0.40	18.00	35	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
183	मीसम कार्यालय	आवश्यकता अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	फण्टेज = 18 मी.।
184	विद्युत सब स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	1	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	9.00	9.00	6.00	6.00	आवश्यकता अनुसार

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूताम भूमि या शूरुआण्ड का क्षेत्रफल हेवटर में	सामने स्थित वार्ग की न्यूताम चौड़ाई भीटर में	इकाई आर.	एकड़. आर.	कंचाई भीटर में	न्यूताम एमओ.एस.		न्यूताम वाइन पार्किंग	नियंत्रण/न्यूताम फँटेज भीटर में
							सामने	पीछे	साइड स्.	
185	शमशान / कब्रस्तान /सिमीटी	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	1	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार
186	दूर संचार टावर	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता अनुसार	1	आवश्यकता अनुसार	12.00	9.00	9.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार
187	गोशाला	0.20	12.00	35	1:0.50	9.00	12.00	9.00	9.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार
188	उपग्रह ट्रेकिंग स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	18.00	35	1:0.25	12.50	24.00	12.00	12.00	म.प्र. मू.वि.नि. 18 मी.
189	दूरसाध केन्द्र	आवश्यकता अनुसार	12.00	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. 24 मी.
190	विन्ड मिल्स /फार्म	आवश्यकता अनुसार	12.00	20	1:0.25	आवश्यकता अनुसार	12.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. 24 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम शून्य या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ई मीटर में	भू-तल अधिकतम कहरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	जंचाई मीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. मीटर में		न्यूनतम वाहन पार्किंग सामने पीछे साईड से	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फ्रेण्टेज मीटर में
							सामने	पीछे	साईड से	
191	सार्वजनिक मुत्रालय	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता । अनुसार	आवश्यकता । अनुसार	4.50	3.00	3.00	म.प्र. सू.वि.नि. अनुसार	फ्रेण्टेज = 7.50 मी.
192	विद्युत शब्दाल हृद	आवश्यकता अनुसार	18.00	आवश्यकता अनुसार	35	1:1.25	12.50	12.00	6.00	म.प्र. सू.वि.नि. अनुसार
193	ओवर रेव पानी की टंकी	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता । अनुसार	आवश्यकता । अनुसार	9.00	9.00	9.00	म.प्र. सू.वि.नि. अनुसार	फ्रेण्टेज = 12 मी.
194	शूमिगत पानी की टंकी	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता । अनुसार	आवश्यकता । अनुसार	9.00	6.00	6.00	म.प्र. सू.वि.नि. अनुसार	फ्रेण्टेज = 12 मी.
195	ऑक्सीलेशन पैड	आवश्यकता अनुसार	9.00	आवश्यकता । अनुसार	आवश्यकता । अनुसार	9.00	9.00	9.00	म.प्र. सू.वि.नि. अनुसार	फ्रेण्टेज = 18 मी.
196	सोर्टिक टैक	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता । अनुसार	आवश्यकता । अनुसार	7.50	6.00	6.00	म.प्र. सू.वि.नि. अनुसार	फ्रेण्टेज = 18 मी.

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामग्रे स्थित भार्ना की न्यूतम चौड़ाई मीटर में	पूर्णतम अधिकतम कढ़रेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर. में	कंचाई मीटर में	न्यूतम एसओ.एस.		न्यूतम वाहन पार्किंग	अन्य नियन्त्रण/ न्यूतम फ्रेटेज मीटर में
							सामग्रे	पीछे साईड से		
197	सार्वजनिक शौचालय	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता 1 अनुसार	आवश्यकता 1 अनुसार	आवश्यकता 1 अनुसार	7.50	4.50	4.50	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फ्रेटेज = 18 मी.।
198	चूता एवं कचराधार	आवश्यकता अनुसार	12.00	आवश्यकता 1 अनुसार	आवश्यकता 1 अनुसार	आवश्यकता 1 अनुसार	9.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फ्रेटेज = 18 मी.
199	बोरी घाट	आवश्यकता अनुसार	7.50	आवश्यकता 1 अनुसार	आवश्यकता 1 अनुसार	आवश्यकता 1 अनुसार	9.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार फ्रेटेज = 18 मी.
200	औद्योगिक सुविधायें एवं सार उद्योग	0.20	12.00	40	1:1.00	12.50	12	6.00	6.00	(1) शुरुआत के चारों ओर 3.0 मीटर चौड़ी पट्टी में बृक्षारोपण करना होगा। (2) फ्रेटेज = 18 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	चूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की चूनतम चौकाई मीटर में	भू-तल आधिकार्य कर्तवरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	चूनतम एमओ.एस. मीटर में		चूनतम वाहन पार्किंग	चूनतम वाहन पार्किंग	नियंत्रण/ चूनतम फ्रेटज मीटर में
							सामने पीछे	साइड स्			
201	डेयरी प्लांट	0.20	12.00	35	1:1.00	12.50	12	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	(1) शुखण्ड के चारों ओर 3.0 मीटर चौड़ी पट्टी में बुकारेपण करना होगा। (2) फ्रेटज = 12 मी.।
202	औद्योगिक शूखण्डीय विकास	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	(1) शुखण्ड के चारों ओर 3.0 मीटर चौड़ी पट्टी
203	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	फ्रेटज = 12 मी.।
204	डेयरी प्लांट	0.20	12.00	35	1:1.00	12.50	12	6.00	6.00	म.प्र. मू.वि.नि. अनुसार	(1) शुखण्ड के चारों ओर 3.0 मीटर चौड़ी पट्टी

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	चूनातम भूमि या भूखण्ड का सेवफल हेक्टर में	स्थित गार्फा की चूनातम चौड़ाई मीटर में	एफ.ए. आर.	जंचाई मीटर में	चूनातम एम.ओ.एस.		चूनातम वाहन मीटर में	पाकिंग	चूनातम नियंत्रण / चूनातम फ्रण्टेज मीटर में
						सामने	पीछे			
205	स्लाटर छाउस	0.20	12.00	35	1:1.00	12.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार = 12 मी.। (2) फ्रण्टेज में चूनातम प्रणाली करना होगा।
206	फेलेटेब फैक्ट्री	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार = 24 मी.।
207	एक्सटेंसिव / विशिष्ट एक्सट्रेटिव चांदग	-	12.00	-	-	-	-	-	-	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार खनिज विभाग के नियम अनुसार
208	सूचना प्रौद्योगिकी चांदग	0.10	12.00	35	1:1.50	12.50	10.00	4.50	4.50	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार फ्रण्टेज = 25 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का सेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित वार्ष की न्यूनतम चौड़ई मीटर में	भू-तल अधिकारम कारबोर्ज प्रतिशत में	एफ.ए. आर. में	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एमओ.एस.		न्यूनतम वाहन पार्किंग मीटर में	न्यूनतम फ्रॉटेज मीटर में	अन्य नियंत्रण/न्यूनतम फ्रॉटेज मीटर में
							सामने	पीछे	साइड ए		
209	फ्लूट पार्क	1.00	18.00	40	1:1.00	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. यू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉटेज = 30 मी.।
210	राष्ट्रीय पार्क	1.00	18.00	40	1:1.00	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. यू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉटेज = 30 मी.।
211	दुध केन्द्र	0.40	12.00	40	1:1.00	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. यू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉटेज = 30 मी.।
यातायात सुविधाएं											
212	बस स्टेंड	1.00	18.00	30	1:1.25	12.50	12.00	9.00	9.00	म.प्र. यू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉटेज = 30 मी.।
213	बस टर्मिनल	1.50	18.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	म.प्र. यू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉटेज = 50 मी.।
214	पिक्कअप स्टेशन	0.10	12.00	30	1:1.25	12.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. यू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉटेज = 12 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूतम चौड़ई मीटर में	भू-तल आधिकारम काल्पनेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	जंचाई मीटर में	न्यूतम ए.आ.ए.ए.		न्यूतम वाहन मीटर में	नियंत्रण/ न्यूतम फ्रेटेज मीटर में	
							सामने	पीछे	सार्वजु ल		
215	वस्स स्टैप	आवश्यकतानुसार	12.00	आवश्यकता 1 अनुसार	1	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	—	—	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	न्यूतम को छोड़कर, बाईं लेन में। फ्रेटेज = 75 मी.।
216	यातायात नगर	4.00	30.00	30	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	न्यूतम बाईं लेन में। फ्रेटेज = 75 मी.।
217	मेकेनिक नगर	1.00	18.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	न्यूतम बाईं लेन में। फ्रेटेज = 50 मी.।
218	ऑटो स्टेप्प / टैक्सी स्टेप्प	0.10	12.00	15	1:0.30	07.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	न्यूतम बाईं लेन में। फ्रेटेज = 12 मी.।
219	मल्टी लेवल पार्किंग	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	18.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	न्यूतम बाईं लेन में। फ्रेटेज = 30 मी.।	

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम सूझी या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित आर्थिकतम की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में	एफ.ए. आर.	ऊंचाई मीटर में	न्यूनतम एस.ओ.एस. वाहन मीटर में		न्यूनतम वाहन पाकिंग साइड स	न्यूनतम वाहन पाकिंग प्रतिशत में	नियंत्रण / न्यूनतम फ्रॉटेज मीटर में	अन्य
						सामने	पीछे				
220	बस डिपो / कर्मशाला	0.80	18.00	35	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉटेज = 30 मी.।
221	कारो	1.00	18.00	30	1:1.25	12.50	30.00	12.00	12.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉटेज = 30 मी.।
222	पाकिंग	आवश्यकताअनुसार	9.00	—	—	—	6.00	6.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉटेज = 18 मी.।
223	कन्टेनर डिपो	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉटेज = 50 मी.।
224	श्राई पोर्ट / कन्टेनर डिपो स्थ बुकिंग मरम्मत एवं फारवर्डिंग एजेन्सी गतिविधियों या विना वन सुविधाओं के	2.00	30.00	35	1:1.25	12.50	30.00	10.00	10.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉटेज = 50 मी.।
225	हेलीपोर्ट	आवश्यकताअनुसार ₹	18.00	आवश्यकता 1	आवश्यकता 1	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता यकता	आवश्यकता यकता	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फ्रॉटेज = 150 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	स्थाने की चौकाई में	स्थित यार्ट की चूनतम चौकाई में	चूनतम एम.ओ.एस. भू-तल अधिकार्य कर्मज प्रतिशत में		चूनतम एम.ओ.एस. भू-तल अधिकार्य कर्मज प्रतिशत में		चूनतम एम.ओ.एस. पार्किंग प्रतिशत में	चूनतम एम.ओ.एस. पार्किंग प्रतिशत में
				एफ.ए. आर.	कंचाई भीटर में	सामने पाइप से	सामने साइड से		
226	ऐवं द्वेषन	आवश्यकता अनुसार	18.00	आवश्यकता अनुसार	1	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	म.प्र. मूविनि. अनुसार	फ्रांटेज = 50 मी.।
227	धर्म कांटा / वैदिंग द्विज	0.05	12.00	15	1:0.25	7.50	9.00	6.00	फ्रांटेज = 18 मी.।
ग्रामीण क्षेत्र गतिविधियाँ									
228	मुर्गी पालन केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	म.प्र. मूविनि. अनुसार
229	फॉर्म हाउस	म.प्र. मूविनि. अनुसार	म.प्र. मूविनि. अनुसार	म.प्र. मूविनि. अनुसार	म.प्र. मूविनि. अनुसार	म.प्र. मूविनि. अनुसार	म.प्र. मूविनि. अनुसार	म.प्र. मूविनि. अनुसार	फ्रांटेज = 18 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेवटर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ी भीटर में	एफ.ए. आर. अधिकारम कक्षरेज प्रतिशत में	कंचाई भीटर में	न्यूनतम एमओ.एस. भूतम वाहन बीटर में		न्यूनतम वाहन पार्किंग साइड सामने गीढ़े साइड सामने	अन्य नियंत्रण / न्यूनतम फँटेज भीटर में
						सामने गीढ़े साइड	सामने		
230	डेवरी युनिट	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 18 मी.।
231	पशु पालन केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 18 मी.।
232	पशु शोष केन्द्र	0.20	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 18 मी.।
233	कृषि पर्यटन सुविधा	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार	फँटेज = 12 मी.।
234	अनाज गोदाम	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	12.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 18 मी.।
235	शवन जामगी योर्ड	0.20	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 24 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम शूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित नार्थ की न्यूनतम चौकाई गोटर में	भू-तल आविकतम कार्बोरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	ठंचाई गोटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. गोटर में		न्यूनतम याहन पाकिंग सामने पीछे साईड से	न्यूनतम याहन पाकिंग प्रणटेज गोटर में	अन्य नियंत्रण/ न्यूनतम फ्रणटेज गोटर में
							सामने	पीछे			
236											म.प्र. मू.दि.नि. अनुसार
237	ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.दि.नि. 12 मी.।
238	कृषक परामर्श/ सहायता केन्द्र	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.दि.नि. 12 मी.।
239	आंगनवासी	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.दि.नि. 12 मी.।
240	औषधालय	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.दि.नि. 12 मी.।
241	कृषि उपकरण कर्मशाला	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	6.00	म.प्र. मू.दि.नि. 12 मी.।

अनु. क्र.	उपयोग / गतिविधि	न्यूनतम भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल हेक्टर में	सामने स्थित मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई शीटर में	भू-तल अधिकातम काढ़ेरेज प्रतिशत में	एफ.ए. आर.	जंचाई शीटर में	न्यूनतम एम.ओ.एस. शीटर में		न्यूनतम वाहन पार्किंग सामने पीछे सार्विक स्	न्यूनतम वाहन पार्किंग सामने पीछे सार्विक स्	अन्य नियन्त्रण / न्यूनतम क्रण्टेज शीटर में
							सामने	पीछे			
242	चौपाल	0.10	12.00	35	1:1.00	7.50	9.00	6.00	6.00	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार	क्रण्टेज = 12 मी.।
243	उत्तर स्थल	0.20	12.00	10	1:0.15	7.50	12.00	6.00	6.00	म.प्र. शू.वि.नि. अनुसार	क्रण्टेज = 18 मी.।

— भूतल अधिकातम काढ़ेरेज हेतु सापदंड यदि 50प्र० भूमि विकास नियम से भिन्न हो तो उसे 50प्र० भूमि विकास नियम के अनुसार मान्य किया जावेगा।

— 12.50 से ऊंचे भवनों हेतु सभी भापदंड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम के अनुसार मान्य होंगे।

- नोट :- 1. सक्षम अधिकारी, उपरोक्त सारणी क्र 6.11 में उल्लेखित गतिविधियों के समतुल्य अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकेगा।
2. उपरोक्त कॉलम (3) में वर्णित विभिन्न परिसरों के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि केवल निर्देशित है। भूखंड का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियमक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किये गये अनुसार होगा। सारणी तदनुसार परिवर्तित मान्य होगी।

6.9 अन्य सुविधाएँ

छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1) अनुसार मान्य होंगी।

6.10 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होगी।

अध्याय-7 योजना क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव औचित्यहीन है, यदि इसके क्रियान्वयन एवं प्रभावशील करने हेतु सम्यक प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किये जाते हैं। यह अपेक्षित है कि, इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि विकास करके योगदान करना होगा। इसलिए यह आवश्यक होगा कि, ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जावें, जिससे कि विकास एवं निर्माण, विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सके। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा, जब म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर किया जावें।

विकास योजना के प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्यतः छिन्दवाड़ा नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के गठन तक नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा द्वारा किया जावेगा। इसके अतिरिक्त म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, नगर पालिका द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है, इससे विकास योजना के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसलिए यह अपेक्षित होगा कि, सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय निकाय, विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें।

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में रूपये 299830.7 लाख का व्यय अनुमानित है, इसमें विभिन्न भूमि उपयोग हेतु 1463.99 हेक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं भूमि के विकास पर व्यय शामिल है।

भूमि अर्जन की औसत दर रूपये 50.0 लाख प्रति हेक्टेयर मानी गई है। इस पर विकास संबंधी व्यय भूमि का दस गुना अनुमानित है। विकास व्यय का जहाँ तक प्रश्न है, वह भूमि उपयोग के प्रकार अनुसार अलग-अलग माना गया है। संपूर्ण विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 7.1 योजना क्रियान्वयन की लागत

क्र.	भूमि उपयोग विवरण	क्षेत्र (हेक्टेयर में)			भू—अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भू—अर्जन लागत (रु. 50 लाख प्रति हे. की दर से)	विकसित की जाने वाली भूमि का विकास व्यय (60 प्रतिशत शेष भूमि का)			कुल लागत (रु. लाख में)
		प्रस्तावित	वर्तमान	शेष (3-4)			क्षेत्र हे. में	विकास दर प्रति हे. (रु. लाख में)	लागत (रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आवासीय	3845.53	1216.39	2629.14	876.38	43819.0	1577.48	90	141973.56	185792.56
2	वाणिज्यिक	121.77	73.97	47.8	15.93	796.67	28.68	120	3441.6	4238.27
3	मिश्रित	532.51	20.69	511.82	170.61	8530.33	307.09	90	27638.28	36168.61
4	औद्योगिक	328.34	98.84	229.5	76.50	3825.00	137.70	120	16524	20349.00
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	369	298.08	70.92	42.55	2127.50	42.55	65	2765.88	4893.38
6	सार्वजनिक उपयोगिता ये एवं सुविधायें	53.99	30.95	23.04	7.68	384.00	13.82	50	691.2	1075.20
7	आमोद—प्रमोद	712.39	136.98	575.41	172.89	8644.50	345.25	55	18988.53	27633.03
8	यातायात एवं परिवहन	1065.28	760.94	304.34	101.45	5072.33	182.60	80	14608.32	19680.65
	योग	7028.81	2636.84	4391.97	1463.99	73199.33	2635.18	-	226631.4	299830.7

टीप:- भू—अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की हैं, जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन के समय किया जावेगा।

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है, कि विकास योजना के अधिकांश प्रस्तावों का वास्तविक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। उपयुक्त प्रबंधन की कमी के कारण जिन क्षेत्रों की योजना प्रभावित हुई है, उनका उल्लेख अध्याय 3 में किया गया है। जिस पर पुनर्विचार करते हुए योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन

हेतु नीति निर्धारण अनिवार्य है। अतएव निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारण की नितांत आवश्यकता है :—

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू—स्वरूप
2. सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्र का संरक्षण
3. भूमि का कुशलतम उपयोग
4. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता / संधारण
5. भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव
6. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना विकास योजना क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित है —
 - (अ) पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम
 - (ब) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम
7. मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू—उपयोग के क्रियान्वयन के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जावेगा कि, मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय प्राधिकारी को विकास हेतु उपलब्ध हो सके।

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है, जो प्रमुख रूप से तालाबों के संरक्षण इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट भू—स्वरूप तथा जल स्त्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कर्तिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है। अन्य पर्यावरण समस्याएं जैसे नगरीय अपशिष्ट के उपचार, निराकरण इनके पुनर्चक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या के व्यवस्थापन से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित हैं।

7.3.1 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिपेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय है

1. नदी एवं अन्य जल स्त्रोतों में जल—मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम।
2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू—उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना।
3. जल फैलाव क्षेत्रों में “स्टाप डेम” द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध।
4. नदी, नालों, तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों को प्रभावीकरण।
5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण।
6. सभी जल स्त्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था।

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा।

1. संस्था का गठन
2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन।
3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग।
4. नगरवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान।

7.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भूमि स्वामी/विकासकर्ता/सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाए। यहां समन्वयक संस्था की भूमि प्रदाय कर्ता की होगी। सार्वजनिक संस्थाएँ, प्रमुख सेवाएँ, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी।

7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभागिता करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं समन्वय के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है। नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है।

7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप तैयार कर क्रियान्वित किया जा सकेगा। वार्षिक योजना/वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, जिससे पांच वर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सकेगा। मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण, लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्तखण्ड तथा उपवृत्तखण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शायेगा। यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगरीय मार्ग तंत्र तथा प्रमुख सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा। इस

निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि का समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा।

योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका "सुविधादायक" के रूप में होना चाहिए। इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है। नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्त्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा। एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति की जाना प्रस्तावित है:—

1. एकीकृत नगर विकास योजना के तत्वों की पहचान,
2. एकीकृत नगर विकास योजना तैयार करना,
3. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान,
4. विकास परियोजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण,
5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना, जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास में समन्वित विकास का दृष्टिकोण रखते हैं,
6. समन्वय अधिकारियों और अन्य खण्डीय एजेन्सियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना।

7.5 विकास नियमन व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम उपयोग के साथ-साथ आधुनिक भूमि उपयोग की प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि, विकास नियमों को पुनर्भाषित किया जावें। भारतीय जीवन शैली के अनुरूप विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय-6 में नियमन वर्णित किये गये हैं।

7.6 योजना एवं कार्यक्रम

- (अ) क्षेत्रों के विकास हेतु क्रियान्वयन तीन चरणों में करने का प्रावधान है। प्रथम चरण में सन् 2025 तक की आवश्यकताओं तथा द्वितीय चरण में 2026 से 2030 तथा तृतीय चरण में वर्ष 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।
- (ब) योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि-स्वामियों, विकास कर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकास कर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है।

(स) योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिये नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जावेगा :—

1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना।
2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारित करना, जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्यरूप दे सके।
3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियों को तैयार करना।
4. परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ-साथ लगभग पांच से दस हेक्टेयर आकार के अद्विकसित भूखण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु विकास कार्यक्रम को मूर्तरूप देना।
5. योजना के तीनों चरणों की आवश्यकता, जलपूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्त्रोत का विकास।

7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धांत निम्नानुसार है

- यह सुनिश्चित करना कि, भूमि उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना के कारण विकास अवरुद्ध न हो।
- उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना।
- बिखरे हुए नगरीय विकास के लिये पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना।
- अद्विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन।
- भू-स्वामियों, सार्वजनिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना।

7.7 प्रथम चरण के घटक

प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को निम्न सारणी में वर्णित अनुसार चिन्हित किया गया है।

सारणी 7.2 प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

क्र.	विकास के घटक	क्षेत्रफल हेक्टेयर	प्रस्तावित स्थल	प्रस्तावित स्थल (निवेश इकाई)
1	2	3	4	5
1	आवासीय	561.49	नागपुर मार्ग, परासिया मार्ग, सिवनी मार्ग, नरसिंहपुर मार्ग	1,2,3
2	वाणिज्यिक	9.59	खजरी रोड	1
3	मिश्रित	102.61	नागपुर मार्ग, परासिया मार्ग, सिवनी मार्ग, नरसिंहपुर मार्ग	1,2,3
4	औद्योगिक	45.42	खापाभाट एवं लहगङ्गा	1
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	14.44	नागपुर मार्ग, बस स्टेप्ड के पास जेल—बगीचा एवं नागपुर रोड में इमलीखेड़ा	3
6	सार्वजनिक सेवाएँ—सुविधाएँ	4.62	ग्राम मटकुली	2
7	आमोद—प्रमोद	56.90	ग्राम चंदनगांव में भरतादेव पार्क एवं ग्राम खजरी	1,3
8	यातायात एवं परिवहन	82.97	ग्राम झण्डा एवं ग्राम अजनिया, मण्डी के सामने ग्राम कबाड़िया, ग्राम अतरवाड़ा, ग्राम चंदनगांव, ग्राम पोआमा	1,2,3
योग		878.04		

टीप: प्रथम चरण विकास के अंतर्गत निर्धारित प्रस्ताव का एक तिहाई क्षेत्रफल विकास हेतु निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत समस्त भू-उपयोगों को समायोजित किया गया है।

प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कार्यक्रम उनकी लागत प्राप्त होने के आधार पर रखे गए हैं। तथापि नगर की त्वरित आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण विकास में लिया गया है। नगर में कार्यरत विभिन्न शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संसाधनों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा।


7.8 प्रथम चरण कार्यक्रम

विकास योजना के क्रियान्वयन में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास मुख्यतः निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है इस हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता नहीं होगी।

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनीत घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 878.39 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 99943.57 लाख होगी। विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :

सारणी 7.3 प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत

क्र.	भूमि उपयोग विवरण	भू-अर्जन की मौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	भू-अर्जन की लागत (रु. 50.0 प्रति हेक्टेयर) (रु. लाख में)	विकसित की जाने वाली भूमि का विकास व्यय			कुल लागत (रु. लाख में) (4+7)
				मौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	विकास दर प्रति हेक्टेयर (रु. लाख में)	लागत (रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय	292.13	14606.33	525.83	90.00	47324.52	61930.85
2	वाणिज्यिक	5.31	265.56	9.56	120.00	1147.20	1412.76



3	मिश्रित	56.87	2843.44	102.36	90.00	9212.76	12056.20
4	औद्योगिक	25.50	1275.00	45.90	120.00	5508.00	6783.00
5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	14.18	709.17	14.18	65.00	921.96	1631.13
6	सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें	2.56	128.00	4.61	50.00	230.40	358.40
7	आमोद—प्रमोद	57.63	2881.50	115.08	55.00	6329.51	9211.01
8	यातायात एंव परिवहन	33.82	1690.78	60.87	80.00	4869.44	6560.22
योग		488.00	24399.78	878.39	-	75543.79	99943.57

7.9 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है। वर्तमान में नगर विकास एवं निवेश हेतु अलग—अलग प्रयास नहीं किये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय होता है। नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती है। नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्तमान में भूमि का उपयोग कर नगर विकास में निवेश के प्रयास तदर्थ एवं पृथक—पृथक् रहे हैं, जिसमें उपलब्धता बहुत अधिक अवसर एवं क्षमता को छिन्दवाड़ा जैसे नगर के लिए नगरीय वृद्धि एवं नगरीयकरण के परिपेक्ष्य में कार्यरत भूमि बाजार को रोकते हुए गतिशीलता दी जा सकती है। स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है, जो कि नगर में कार्यरत नगर भूमि बाजार को रोकने में मदद कर सकती है।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिह्नित किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगा।

7.10 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

- विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रम के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करते हैं। यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन

- के साथ—साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तदनुसार पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है।
2. योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्नानुसार तैयार करना प्रस्तावित है :—
- पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना।
 - आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकताओं वाली कार्य योजना का निर्धारण
 - प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिह्नित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना।
 - वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश का निर्धारण।
 - आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका का निर्धारण।
 - समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना।
 - वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण।
 - सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमि को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम को परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना।
3. नियोजन पर्यवेक्षण तंत्र :— योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :—
- स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति।
 - नगर विकास प्राधिकरण अथवा नगर पालिका द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।
 - नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास कार्यक्रम/क्रियान्वयन का मूल्यांकन।
 - समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
 - वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन।
4. नियोजन पर्यवेक्षण समिति का गठन :— विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व छिन्दवाड़ा विकास प्राधिकरण का होगा। विकास प्राधिकरण के गठन होने तक छिन्दवाड़ा नगर पालिका निगम द्वारा उक्त दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएं एवं विभाग भी सहभागी होंगे। अतः संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/45/32/2010 दिनांक 13/04/2010 द्वारा जिलाध्यक्ष छिन्दवाड़ा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के ज्ञापन क्रमांक 2876 दिनांक 15/05/1998 में उल्लेखित कार्यपद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी।

5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण : छिन्दवाड़ा विकास नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशांसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशांसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन को अनुशांसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

7.11 योजना की व्याख्या

छिन्दवाड़ा विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है। विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं। अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषय वस्तु के साथ-साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है।
2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग, सारणी एवं विकास नियमन के अध्याय-6 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगी। नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है। अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है।
3. ऐसे भूमि उपयोग/गतिविधियाँ जो प्रमुख भू-उपयोग वर्ग (मेजर लैण्ड यूज जोन) में परिभाषित नहीं है, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो स्वीकृत भूमि उपयोग सूची में सम्बद्ध तालिका में शामिल है, वे भू-उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आवेंगे।
4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव अपरिहार्य होता है, स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा। इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जावेगा।
5. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के है। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी।
6. यह कि नीतिगत दस्तावेज है, विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि से आवश्यकता से संबंधित व्याख्या निकाय योजना/परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुनः समायोजित की जा सकती है।

7.11.1 योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है, इसमें अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सभी घटकों के कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है। इसलिये नियोजन प्रक्रिया में कालावधि के आधार का निर्धारण किया जाता है। कालावधि के आधार पर ही नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित मानकर भावी नगर का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। छिन्दवाड़ा नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना हेतु वर्ष 2035 तक की कालावधि नियत की गई है। अतः नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण उपरोक्त कालावधि हेतु किया गया है। इसके अलावा दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते, क्योंकि नगर का विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं यह विकास योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिये भी आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी। अतः छिन्दवाड़ा विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा प्रस्तुत विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे।

परिभाषाएँ

001 आवासीय भू-खण्ड भू-खण्डीय आवास

एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज / गैरेजेस, सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो।

002 आवासीय भू-खण्ड समूह आवास

न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित होंगे।

003 आवासीय फ्लेट

एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो।

004 आवासीय-सह-कार्य भू-खण्ड

एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे।

005 आवासीय परिसर – विशेष क्षेत्र

विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान।

006 छात्रावास (होस्टल)

दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर।

007 अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह

अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपकरण एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर। बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों।

008 धर्मशाला एवं इसके समकक्ष

वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो।

009 बारात घर

सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान।

010 रैन-बसेरा (नाइट शोल्टर)

ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों।

011 फुटकर दुकानें

आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर।

012 मरम्मत दुकान

गृहसामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान, आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर।

013 व्यक्तिगत सेवा दुकान

फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों।

014 बेडिंग बूथ

यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो।

015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र

लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह।

016 स्थानीय दुकान केन्द्र

लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह।

017 साप्ताहिक बाजार/अनौपचारिक समूह इकाई

बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र। यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो।

018 थोक व्यापार

ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों।

019 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण

ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो।

020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)

आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।

021 गैस गोदाम

ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भण्डारण किया जाता हो।

022 तेल डिपो

संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर।

023 कबाड़खाना

अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय-विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर।

024 वाणिज्यिक कार्यालय

लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर।

025 बैंक

ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों।

026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला

वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर।

027 छविगृह

दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर।

028 पेट्रोल पंप

ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग व्यवस्था हो।

029 रेस्टॉरेंट/उपहार गृह

ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो।

030 होटल

ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो।

031 मोटल

ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो।

032 फ्लेटेड समूह उद्योग

ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं।

033 सेवा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सकें।

034 औद्योगिक भूखण्ड – हल्के उद्योग

अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर।

035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग

ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो।

036 उद्यान (पार्क)

आमोद-प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू-दृश्यीकरण, वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय, फैसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन, खुले, हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे।

037 क्रीड़ाग्रन्थ

बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर, इसमें भूदृश्यीकरण, वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों।

038 बाह्य खेल स्टेडियम

बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

039 आंतरिक खेल स्टेडियम

अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों।

040 आंतरिक खेल हाल

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों।

041 शूटिंग रेंज

ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों।

042 तरण पुष्कर

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।

043 आमोद-प्रमोद क्लब

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो।

044 ऐतिहासिक स्मारक

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों।

045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों।

046 पक्षी अभ्यारण्य

पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर।

047 वनस्पति उद्यान

अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर।

048 पिकनिक हट / केम्पिंग साइट

ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद-प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो।

049 फ्लाईंग क्लब

ऐसा परिसर जहां ग्लाईंडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों।

050 माल एवं टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाईन द्वारा टिकिट घर एवं माल के भण्डारण के लिए किया जाता हो।

051 रेल माल गोदाम

ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेल्वे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो।

052 रेल टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेल्वे टिकिट घर के रूप में किया जाता हो।

053 सड़क परिवहन टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो।

054 वाहन विराम

सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो।

055 टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतर्वर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है। वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो।

056 बस अवसान केन्द्र

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो। इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं।

057 बस स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख-रखाव, मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी।

058 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर

1. पानी की टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
2. भूमिगत टंकी – ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है।
3. आक्सीकरण पौँड – ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो।
4. सेप्टिक टैंक – ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो।
5. जल-मल पंपिंग स्टेशन – ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल-मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो।
6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय – ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी।
7. विद्युत उपकेन्द्र – ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो।
8. घूरा एवं कचराघर – ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्ढों को भरने हेतु लदान किया जाता हो।
9. धोबीघाट – ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो।

059 केन्द्र शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

060 स्थानीय शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो।

061 सार्वजनिक उपकरण कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

062 न्यायालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)

शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो।

064 चिकित्सालय

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो।

065 स्वास्थ्य केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर-व्यवसायिक आधार पर किया जाता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है।

066 उपचार केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो। जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है।

067 औषधालय

ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो।

068 क्लीनिक / चिकित्सा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा वाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो। पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा।

069 उपचार प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो।

070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा

ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो। यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

071 झूलाघर एवं दिवस देख-रेख केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो। यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है।

072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल

ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों।

073 माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो।

074 प्राथमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छँटवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो। इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं।

075 उच्चतर माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो।

076 एकीकृत शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो।

077 एकीकृत आवासीय शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो। इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं।

078 महाविद्यालय

ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो। इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं।

079 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कठिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो। ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये। इसमें प्रशिक्षण—सह—कार्य केन्द्र शामिल हैं।

080 सामाजिक कल्याण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो। यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है।

081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो।

082 पुस्तकालय

ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो।

083 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल है।

084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण

ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो।

085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो।

086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो। इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है।

087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें ऑटो/वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो।

088 बाल यातायात उद्यान

ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा-सह-उद्यान की सुविधा हो।

089 संग्रहालय

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो।

090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनीस्थल

ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग, छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो।

091 सभागृह (ऑडीटोरियम)

ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो।

092 खुला रंगमंच

ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो।

093 सामुदायिक भवन

ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो।

094 मेला मैदान

ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों।

095 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों।

096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था

ऐसा परिसर जिसमें गैर-वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों।

097 सुधार गृह

ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो।

098 अनाथालय

ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो। यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है।

100 योग, ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों।

101 पुलिस चौकी

पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर।

102 पुलिस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो।

103 जिला पुलिस कार्यालय

अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर।

104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक

आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर।

105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो।

106 जेल

ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास/बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो।

107 अग्निशमन पोस्ट

ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो। अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है।

108 अग्निशमन पोस्ट

एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर।

109 डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर।

110 डाक एवं तार घर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।

111 मुख्य डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर।

112 टेलीफोन एक्सचेंज

परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो।

113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन

समाचार एवं अन्य कार्यकर्मों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर। जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं।

114 ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो।

115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र

ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो।

116 वैधशाला एवं मौसम कार्यालय

ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सूविधा उपलब्ध हो।

117 बाग (ओरचर्ड)

सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है।

118 डेरी फार्म

ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो। जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

119 कुक्कुट फार्म

कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

120 सुअर पालन

सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं।

121 ग्रामीण केन्द्र

एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर।

122 मल्टीप्लेक्स

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद-प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय, शोरूम, होटल, रेस्टोरेन्ट, शापिंग मॉल संबंधी परिसर।

परिशिष्ट 1

नियम 17 (1)

**किसी भवन के विकास, निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा उसके किसी भाग में
परिवर्तन करने के लिये प्रथम आवेदन पत्र का प्रारूप**

प्रति,

.....

.....

महोदय,

मैं एतद् द्वारा यह सूचना देता हूं कि मैं नगर
मोहल्ला—बाजार सड़क बस्ती/मार्ग में भवन क्रमांक
..... अथवा प्लाट क्रमांक में/पर तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012
के नियम 17 के के अनुसार विकास निर्माण पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन करना
चाहता हूं मैं इसके साथ मेरे तथा वास्तुविद, इंजीनियर,
पर्यवेक्षक, नगर निवेशक अनुज्ञाप्ति क्रमांक (नाम स्पष्ट अक्षरों में)
जो उस निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करेगा, द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित निम्नलिखित
रेखांक और विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता है ।

1. मुख्य रेखांक
2. स्थल रेखांक
3. उप विभाग—अभिन्यास योजना
4. भवन मानचित्र
5. सेवा आयोजन
6. विशिष्टियां सामान्य तथा विस्तृत
7. स्वामित्व संबंधी

मैं निवेदन करता हूं कि विकास निर्माण को अनुमोदित किया जाये और मुझे कार्य
निषादित करने की अनुमति प्रदान की जाये ।

स्वामी के हस्ताक्षर

स्वामी के नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)

तारीख स्वामी का पता
प्राधिकारी द्वारा सीधे उपयोग के लिये रूपरेखा तैयार की जा
सकती है ।

परिशिष्ट 2

विशेष विवरण पत्रक

प्रस्तावित भवन का विशेष विवरण

1. भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल वर्गफुट / मीटर
2. कुल निर्मित क्षेत्र
 विद्यमान भू-तल वर्गफुट / मीटर / प्रस्तावित वर्गफुट / मीटर
 विद्यमान प्रथम मंजिल वर्गफुट / मीटर / प्रस्तावित वर्गफुट / मीटर
 विद्यमान द्वितीय मंजिल वर्गफुट / मीटर / प्रस्तावित वर्गफुट / मीटर
3. उद्देश्य कार्य जिसके लिये भवन का उपयोग प्रस्तावित है ।
4. विशेष विवरण जो निम्नलिखित के निर्माण में उपयोग में लाया जाएगा ।
 (एक) नींव
 (दो) दीवालें
 (तीन) फर्श
 (चार) छत ।
5. भवन में अन्तर्विष्ट होने वाली मंजिलों की संख्या
6. ऐसे व्यक्तियों की लगभग संख्या, जिन्हें कि वास स्थान दिया जाना प्रस्तावित है ।
7. उन शौचालयों की संख्या जिनकी कि व्यवस्था की जाएगी ।
8. क्या स्थल पर पूर्व में ही निर्माण हुआ है, यदि हो तो पूर्ववर्ती भवन रहने के लिये कब से उपयुक्त नहीं रहा
9. भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले जल का प्रयोग ।

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 3

(नियम 49) (3) देखिये विकास योजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्रारूप

प्रति,

प्राधिकारी

.....

मध्यप्रदेश।

महोदय,

मैं एतद द्वारा नगरमोहल्ला/बाजार
बस्ती/कालोनी/गली भूखंड क्रमांक खसरा क्रमांक
..... की भूमि के विकास/ पुनर्विकास करने का इच्छुक हूँ। क्षेत्र से संबंधित
विकास योजना/परिक्षेत्रिक विकास योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर उल्लिखित भूमि के
लिए उपखण्ड आयोजना तैयार करने के लिए उपलब्ध किए जा सकेंगे। विकास
योजना/परिक्षेत्रिक विकास योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक
भुगतान किया जा चुका है तथा रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है।

भूस्वामी के हस्ताक्षर

भूस्वामी का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)

भूस्वामी का पता

.....
.....

स्थान
दिनांक

परिशिष्ट 4

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी, 1998

क्रमांक एफ – 3/130/32/97, राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश के जिन विभिन्न नगरों की विकास योजनाएं अनुमोदित हैं, की विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए निम्नानुसार नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन करता है :–

- | | |
|--|------------|
| 1. संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागयुक्त तथा
जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2. नगर तथा ग्राम निवेश का संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय अधिकारी | सदस्य |
| 3. म.प्र.गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 4. संबंधित आयुक्त, नगर पालिका निगम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नगर पालिका | सदस्य |
| 5. लोक निर्माण विभाग का अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 6. लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री /
कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 7. म.प्र.विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 8. (अ) संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित है) | सदस्य सचिव |
| (ब) संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी
(जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
स्थापित नहीं हैं) | सदस्य सचिव |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. व्ही. उपाध्याय, उपसचिव.

परिशिष्ट 5

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय

संशोधन

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त, 1998

क्रमांक एफ – 3/130/32/97, राज्य शासन एतद् द्वारा नगरों की अनुमोदित 'विकास' योजनाओं के क्रियान्वयन एवं क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ – 3/130/32/97, दिनांक 20.01.98 द्वारा संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित 'नियोजन एवं पर्यवेक्षण' समिति में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है –

(1) समिति में निम्नलिखित भी सदस्य के रूप में शामिल किए जाते हैं :–

1. सांसद, संबंधित क्षेत्र
2. अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण
3. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत
4. महापौर, संबंधित नगर पालिका निगम
5. अध्यक्ष, नगर पालिका
6. अध्यक्ष, नगर पंचायत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता. /

उपसचिव.

परिशिष्ट 6

संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक 2876 / नगरानि / वि.यो. / 98

भोपाल, दिनांक 15 मई 1998

- प्रति, 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
2. आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर निगम/नगर पालिका

विषय :- विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्यवाही हेतु रूपरेखा ।

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ ३/१३०/३२/९७, दिनांक 20 जनवरी, 1998 द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी गठित की गई “नियोजन एवं पर्यवेक्षण” समिति की कार्य पद्धति की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है :—

1. पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन स्थिति का पर्यवेक्षण करेगी —
 - (अ) नगरीय अधोसंरचना का विकास
 - (ब) आवासीय एवं आश्रय योजनाओं का विकास
 - (स) सार्वजनिक सुविधाओं एवं नगरीय केन्द्रों/उप केन्द्रों का विकास
 - (द) आमोद-प्रमोद क्षेत्रों का विकास
2. समिति निम्नलिखित कार्यों के प्रगति की समीक्षा हेतु 3 माह में एक बार बैठक करेगी —
 - (अ) कार्यक्रम का चयन
 - (ब) परियोजना तैयारीकरण
 - (स) परियोजना क्रियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था
 - (द) कार्यक्रम क्रियान्वयन के मूल्यांकन के फलस्वरूप वांछित सुधार
3. समिति निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वास्त्रिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा प्रतिवेदन का अनुमोदन कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह, संचालक

परिशिष्ट 7

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 08 नवम्बर 2019

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2019

क्रमांक—एफ—3—115—2014 / बत्तीस :— राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13(1) के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2858—1—85—33—73, दिनांक 14 नवम्बर 1973 द्वारा छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र का गठन किया गया था निवेश क्षेत्र की सीमाओं को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13(2), के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना क्र0 एफ—3—115—2014—बत्तीस, दिनांक 24 अप्रैल 2015 द्वारा पुनरीक्षित किया गया था।

उक्त निवेश क्षेत्र की सीमाओं को अधिनियम की धारा 13(2) (क) के अन्तर्गत निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है। वृद्धि निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दर्शाई गई हैं :—

अनुसूची

छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएँ

उत्तर—पूर्व में	मनेगांव, डुंगरिया, झण्डा, खापामिट्ठे खो, डिरलिंगा, चारगांव, लकड़ाई जम्होड़ी.
पूर्व—दक्षिण में	लकड़ाई जम्होड़ी, सारना, अजनिया, सुरगी, कबाड़िया, सोनाखार, पखड़िया, अतरवाड़ा, माल्हनवाड़ा, कुकड़ाचिमन एवं अर्जुनवाड़ी.
दक्षिण—पश्चिम में	अर्जुनवाड़ी, मैनारी, जैतपुखुर्द, लिंगा एवं गाडरवाड़ा.
पश्चिम—उत्तर में	गाडरवाड़ा, सालीमेटा, खुनाज्जिरकलां, खैरवाड़ा, थुनियाउदना, गुरैया, कुण्डालीकलां, मोआदेई एवं मानेगांव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव,

परिशिष्ट 8

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 नवम्बर 2020 (भाग-2)

**कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाधाट
छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 नवम्बर 2020**

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्रों के प्रकाशन की सूचना

क्र. 91—नग्रानि—2020, —एतद्वारा सूचना दी जाती है कि छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र के लिये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्रों का मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा द्वारा निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा एवं उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय एवं दिवसों में निरीक्षण के लिये दिनांक 27 नवम्बर 2020 से उपलब्ध है:—

**निवेश क्षेत्र की अनुसूची
छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं**

उत्तर—पूर्व में	मनेगांव, डुंगरिया, झण्डा, खापामिट्ठेखों, झिरलिंगा, चारगांव, लकड़ाई जम्होड़ी.
पूर्व—दक्षिण में	लकड़ाई जम्होड़ी, सारना, अजनिया, सुरगी, कबाडिया, सोनाखार, पखड़िया, अतरवाड़ा, मालहनवाड़ा, कुकड़ाचिमन एवं अर्जुनवाड़ी.
दक्षिण—पश्चिम में	अर्जुनवाड़ी, मैनारी, जैतपुखुर्द, लिंगा एवं गाडरवाड़ा.
पश्चिम—उत्तर में	गाडरवाड़ा, सालीमेटा, खुनाझिरकलां, खैरवाड़ा, थुनियाउदना, गुरैया, कुण्डलीकलां, मोआदेई एवं मानेगांव.

यदि इस प्रकार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उन्हें आयुक्त—सह—संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, छिन्दवाड़ा को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अथवा प्रकाशन स्थल पर प्रस्तुत करें।

वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से ऊपर निर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त होगी उन पर उप संचालक द्वारा विचार किया जावेगा।

स्थान: उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
छिन्दवाड़ा

दिनांक: 27 नवम्बर 2020

ए. के. जैन, प्र. उप संचालक

परिशिष्ट 9

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2021

**कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट
टॉउन हॉल परिसर, टॉउन हॉल छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश)**

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 जनवरी 2021

**क्र. 24—नगानि—2021 भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के अंतिम प्रकाशन की
सूचना**

छिन्दवाड़ा वृद्धित निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक 27 नवम्बर 2020 एवं संशोधन 04 दिसम्बर 2020 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित किये गये समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्रस्तुत किए हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है।

अब, उपरोक्त योजना क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन एतदद्वारा अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 05 फरवरी 2021 से दिनांक 12 फरवरी 2021 तक (07 दिवस) कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगी:—

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

1. आयुक्त, जबलपुर, संभाग जबलपुर
2. कलेक्टर, कार्यालय, छिन्दवाड़ा
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, छिन्दवाड़ा
4. उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, छिन्दवाड़ा

स्थान: छिन्दवाड़ा

तारीख: 27 जनवरी 2021

व्ही.के. परस्ते, प्र. उप संचालक

परिशिष्ट 10

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2016

क्रमांक—एफ—3—1802016—अठारह—5—राज्य शासन एतद् द्वारा छिन्दवाड़ा विकास योजना हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17—क के अंतर्गत छिन्दवाड़ा विकास योजना हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ—3 / 150 / 32 / 98 भोपाल दिनांक 23.02.1999 द्वारा पूर्व में गठित समिति का निम्नानुसार पुर्णगठन किया जाता है। यह समिति मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17—क (2) सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 12 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।

अधिनियम की धारा 17—क	व्यक्ति का नाम/पद	संस्था/पता	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	महापौर	नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत छिन्दवाड़ा	सदस्य
(ग)	संसद	छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र छिन्दवाड़ा	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत छिन्दवाड़ा	सदस्य
(छ)	(1) सरपंच	ग्राम पंचायत उसरिया	सदस्य
	(2) सरपंच	ग्राम पंचायत गुरैया	सदस्य
	(3) सरपंच	ग्राम पंचायत सुरगी	सदस्य

(ज)	(1) प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाऊन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	(2) प्रतिनिधि	कांउन्सिल ऑफ आर्किटेकचर ऑफ इंडिया नई दिल्ली	सदस्य
	(3) प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया	सदस्य
	(4) प्रतिनिधि	कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा	सदस्य
	(5) प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छिन्दवाड़ा	सदस्य
	(6) प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर	संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता. /
उपसचिव.

परिशिष्ट 11

मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 क्रमांक 32
भोपाल, शुक्रवार दिनांक 9 अगस्त 2002 (प्रिंज नंबर 1836)
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल 26 जुलाई 2002

क्र. एफ.3—28—2001—बत्तीस—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ऐतद्वारा अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत छिन्दवाड़ा विकास योजना 2011 को अनुमोदन प्रदान किया जाता है एवं उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन इस अधिसूचना को “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित किया जाता है।

अनुमोदित विकास योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेंगी :—

- (1) कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
- (2) प्रभारी उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
- (3) आयुक्त, नगर पालिक निगम, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के अनुसार इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. राठौर, उपसचिव,

परिशिष्ट 12

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक

क्रमांक.....राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 17—क(1) के अंतर्गत छिन्दवाड़ा विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ—३—१८—२०१६—अठारह, भोपाल, दिनांक ०९.०६.२०१६ को निरस्त करते हुये छिन्दवाड़ा विकास योजना पुर्नविलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुर्नगठन किया जाता है। यह समिति, अधिनियम की धारा 17—क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी।

आधिनियम की धारा 17 (क) (1) की उपधारा	पदनाम	संस्था/पता	समिति में पद
1	2	3	4
(क)	महापौर	नगर पालिक निगम, छिन्दवाड़ा	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा	सदस्य
(ग)	संसद सदस्य	लोक सभा क्षेत्र, छिन्दवाड़ा	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र छिन्दवाड़ा	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	नगर विकास प्राधिकरण/साडा	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, छिन्दवाड़ा	सदस्य
(छ)	(1) सरपंच	ग्राम पंचायत, गुरैया (ग्राम गुरैया एवं उसरिया)	सदस्य
	(2) सरपंच	ग्राम पंचायत, सुरगी (ग्राम सुरगी)	सदस्य

(3) सरपंच	ग्राम पंचायत, झिरलिंगा	सदस्य
(4) सरपंच	ग्राम पंचायत, रोहनाखुर्द (ग्राम खापाभिट्ठे खाँ)	सदस्य
(5) सरपंच	ग्राम पंचायत, चारगांव प्रहलाद (ग्राम चारगांव प्रहलाद एवं ढूँडा सिवनी)	सदस्य
(6) सरपंच	ग्राम पंचायत, लकड़ाई जम्होड़ी	सदस्य
(7) सरपंच	ग्राम पंचायत, सारना	सदस्य
(8) सरपंच	ग्राम पंचायत, पखड़िया	सदस्य
(9) सरपंच	ग्राम पंचायत, माल्हनवाड़ा (ग्राम माल्हनवाड़ा एवं अतरवाड़ा)	सदस्य
(10) सरपंच	ग्राम पंचायत, अर्जुनवाड़ी (ग्राम अर्जुनवाड़ी एवं कुकड़ाचिमन)	सदस्य
(11) सरपंच	ग्राम पंचायत, शिकारपुर (ग्राम शिकारपुर एवं मुरमारी)	सदस्य
(12) सरपंच	ग्राम पंचायत, लोनिया (ग्राम पौनारी)	सदस्य
(13) सरपंच	ग्राम पंचायत, लिंगा	सदस्य
(14) सरपंच	ग्राम पंचायत, बड़गोना जोशी (ग्राम देवधी)	सदस्य
(15) सरपंच	ग्राम पंचायत, गोरेघाट (ग्राम जेतपुरखुर्द एवं सालीमेटा)	सदस्य
(16) सरपंच	ग्राम पंचायत, सरोरा (ग्राम गाडरवाड़ा)	सदस्य
(17) सरपंच	ग्राम पंचायत, खुनाझिरकलां	सदस्य
(18) सरपंच	ग्राम पंचायत, खैरवाड़ा	सदस्य
(19) सरपंच	ग्राम पंचायत, थुनिया उदना (ग्राम थुनिया उदना एवं चारगाँवभाट)	सदस्य
(20) सरपंच	ग्राम पंचायत, कुण्डालीकलां	सदस्य

	(21) सरपंच	ग्राम पंचायत, मानेगांव (ग्राम मानेगांव, मोआदेई एवं डुंगरिया)	सदस्य
(ज)	(1) प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा	सदस्य
	(2) प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, छिन्दवाड़ा	सदस्य
	(3) प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छिन्दवाड़ा	सदस्य
	(4) प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, छिन्दवाड़ा	सदस्य
	(5) प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट आफ टाउन प्लानर्स इंडिया, नई दिल्ली	सदस्य
	(6) प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट आफ इंजीनियर्स इंडिया, कोलकाता	सदस्य
	(7) प्रतिनिधि	कॉसिल ऑफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर (म.प्र.)	संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव,